खण्ड-300, अंक-9
गुरूवार, 30 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(21 दिसम्बर, 1972 ई0)

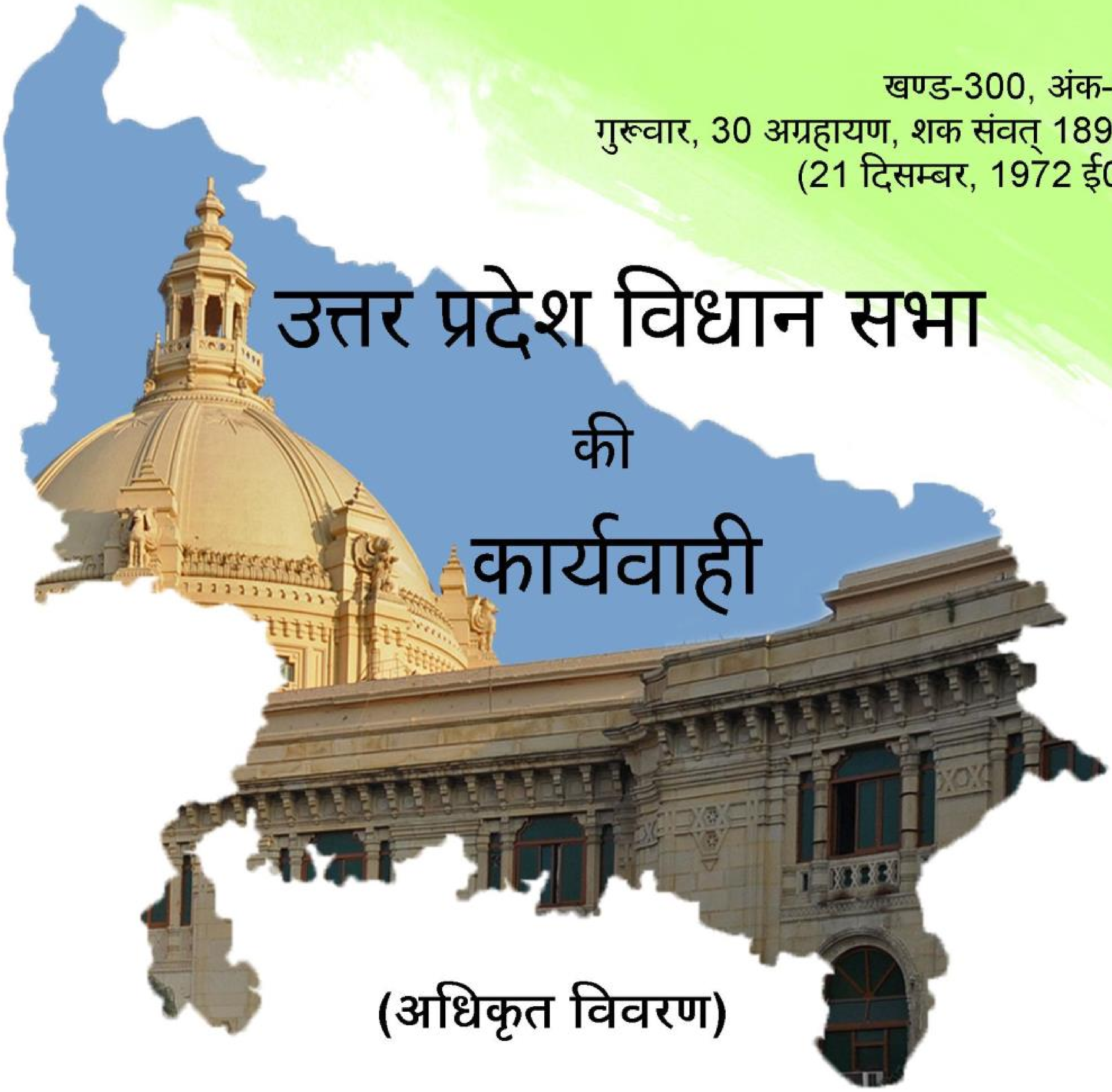

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

वृहस्पतिवार, 21 दिसम्बर, 1972

उपस्थित सदस्य 993–997

प्रश्नोत्तर 997–1039

विविध विषय 1040–1041

प्रेस प्रतिनिधियों के कल सदन से 5 बजे के उपरांत चले जाने के सम्बन्ध में जानकारी 1041–1045

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972 (सदन के पटल पर रखा गया) 1045

प्रतिनिहित विधायन समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन. . . . . (प्रस्तुत किया गया) 1046

थाना कैराना, जिला मुजफ्फरनगर की पुलिस की हिरासत में श्री जगवीर सिंह की मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य 1046–1049

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 (पुर:स्थापन स्थगित) .. 1049–1053

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 1053

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 (पारित) 1053–1138

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 1139–1141

हाथरस पालीटेकनिक में हरिजन एवं सवर्ण छात्रों के संघर्ष में एक छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 1141–1148

नत्थियां 1149–1155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 21 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—391

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपादयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी

गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह "जूदेव", श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जय राम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण,' श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ, सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बबन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल , श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेल सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोती लाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रंणजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री

राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रमनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री

शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सुबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 21 दिसम्बर, 1972

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न 1 पुकारने पर और किसी मंत्री के न खड़े होने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सरकार सोई हुई है? मंत्री कोई खड़ा नहीं हुआ। आप बहुत लीनियैन्सी बरत रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि किसे जवाब देना है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)—

इस सरकार को बरखास्त कर दीजिये।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—
मंत्री जी बहुत बाद में आये हैं।

श्री अध्यक्ष—
मैं निकाल तो नहीं सकता। लेकिन मंत्री महोदय को पहले आ जाना चाहिये था।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों का स्थायीकरण

**1—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—
क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 458/ओ० एण्ड एम-72, दिनांक 3 अप्रैल, 1972 द्वारा यह आदेश दिया है कि जो अस्थायी पद 3 वर्ष से अधिक चलते रहे हैं उनको स्थायी कर दिया जाय? यदि हां, तो उक्त आदेश का सचिवालय में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी वेतन-क्रम 120–250 में कार्य करने वाले अवर वर्ग सहायक के विषय में पालन क्यों नहीं हो रहा है, जब कि अधिकतर इनकी सेवायें लगातार 10 से 15 वर्ष की हो गई हैं फिर भी अभी तक अस्थायी बने हुये हैं?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—
जी नहीं, 3 अप्रैल, 1972 के शासनादेश द्वारा उपलब्ध स्थायी पदों में अस्थायी कर्मचारियों के यथाशीघ्र स्थायी किये जाने पर ही बल दिया गया था। तीन वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे अस्थायी पदों को स्थायी करने के आदेश वर्ष 1959 व 1960 में जारी किये जा चुके थे। सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के सम्बन्ध में इन आदेशों का यथासम्भव परिपालन हो रहा है।

श्री श्याम लाल कनौजिया—
क्या गृह मन्त्री बतलायेंगे कि जो शासनादेश भेजा गया है वह क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—
जो शासनादेश है वह बहुत लम्बा है। मैं उसे संक्षेप में बताये देता हूं। यह शासनादेश 3 अप्रैल, 1972 का है। यह अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में है। आदेश यह दिये गये है कि जिनकी सेवायें 3 वर्ष से अधिक की हो जायं भविष्य में उनको स्थायी करने की आवश्यक कार्यवाही की जाय। शासन की जानकारी में यह आया है कि कई विभागों में ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 25 वर्ष की सेवा कर ली है लेकिन वे अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं। आशा तो यह की जाती थी कि पुराने कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया होगा लेकिन खेद की बात है कि अस्थायी कर्मचारी अब भी भारी संख्या में हैं और यह स्थिति अत्यन्त असंतोष-जनक है। यह अनुरोध किया जाता है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई शिकायत न हो उनको शीघ्रातिशीघ्र स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जाय और सामान्य प्रशासन विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाय।

एम० लाल,
(ह०) मुख्य सचिव,

श्री श्याम लाल कनौजिया—
इन आदेशों पर 1960 से अब तक कहां तक परिपालन हुआ है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—
इनका परिपालन बराबर किया जाता रहा है। क्योंकि इसमें वैधानिक कांपलिकेशन्स आते रहे इसलिये देर होती रही। अब हम बराबर प्रयत्नशील ह कि इसमें जितनी जल्दी हो सके की जाय और देर न हुआ करे। इस सम्बन्ध म दिसम्बर, 1970 में जो अस्थायी कर्मचारी ह वे 639 हैं और पर्मानेन्ट 173 हैं। यह संम्भावना है कि हम इस साल करीब 173 को पर्मानेन्ट कर लगे।

श्री राम लाल भाई (जिला गोरखपुर)—

अप्रैल, 1972 की मुख्य सचिव के दस्तखत से यह जो शासनादेश जारी हुआ उसके बाद विभाग ने क्या कार्यवाही की ? किसी कर्मचारी को पर्मानेन्ट किया गया हो तो बतला दिया जाय ? नहीं किया तो क्या कारण था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, अभी अक्तूबर, 72 में जितने अभ्यर्थी थे सब का एक क्वालिफाइंग इक्जामिनेशन पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ । उसका अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है । जब रिजल्ट आउट हो जायेगा और उसमें पास होकर जो अभ्यर्थी आयेंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी । उसके अनुसार जहां पर्मानेंन्ट वैकेन्सी इक्जिस्ट करेंगी उसी आधार पर उन लोगों को पर्मानेन्ट किया जायेगा । इसके लिये जो एक प्रक्रिया बनी हुई है उसी के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रक्रिया का सहारा ले लिया । इससे जाहिर होता है कि ये 10-20 साल और लटकायेंगे । क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि 3 महीने के अन्दर उन अस्थायी लोगों को स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजल्ट आउट होना है । उसका जो भी परिणाम होगा उसी के आधार पर एक लिस्ट बनेगी और पर्मानेन्ट कर दिया जायेगा ।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, इन्होंने तो सवाल के जबाव को दोहरा दिया है । मैंने तो मियाद के बारे में कहा है कि वे 3 महीने के अन्दर जो लोग परीक्षा में पास हो जायं उन्हें पर्मानेन्ट करने का वे आश्वासन सदन को देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो जाय ।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, 3 अप्रैल सन् 72 का जो पत्रक निकाला गया है उसके अनुसार 639 लोग अभी अस्थायी हैं जिनको कि रिजल्ट आउट होने पर पर्मानेन्ट करने के बारे में विचार किया जायेगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह पत्रक आपके विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों पर भी लागू होता है ? आपके विधान सभा सचिवालय में 15–15 और 20–20 साल से अवर वर्ग के सहायक अस्थायी अभी तक पड़े हुये हैं । आप दूसरों के बारे में यहां पर बहस करा रहे हैं और आपके अन्डर में ही ऐसे कर्मचारी पड़े हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इससे यह नहीं निकलता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिलादेहरादून)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने 3 अप्रैल, 1972 की एक सरकार की आज्ञा पढ़ दी और उसके अनुसार यह प्रगति हुई कि 600 लोगों में केवल सवा सौ लोग ही पर्मानेन्ट किये जा सके या किये जायेंगे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अन्य लोगों के बारे में भी, पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखकर उनकी शीघ्र परीक्षा ले ली जायगी और एक समय निश्चित कर लिया जायगा कि 5, 7 या 10 माह के अन्दर उन्हें स्थायी कर दिया जायगा । दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विधान सभा के कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की बड़ी कद्र करता हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है वह सही है और उसका प्रयत्न किया जायगा। परन्तु जो नियम हैं उनमें उतने स्वतंत्र नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे मध्य में आता है। परीक्षा लेना उसके अधिकार में हैं। हम उनको लिखेंगे और उससे बात-चीत भी करेंगे और जो रास्ता निकलेगा उससे जल्दी से जल्दी निपटने का प्रयत्न करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने यह भी पूछा है कि क्या विधान सभा के कर्मचारी इसमें आते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे, मैनेजरसिंह जी को बुलाया है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

जैसाकि माननीय राम गोपाल संड जी ने कहा है कि यहां पर आये दिन राज्य कर्मचारियों की सुविधा और वेतन बढ़ोतरी के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी जो कि आपके नीचे बैठे हैं और आपके मातहत हैं क्या इनके ऊपर भी वह सन् 72 वाली राजाज्ञा लागू होती है या नहीं ? यदि नहीं होगा तो क्या इसके लिये आप सरकार को लिखेंगे कि अलग से राजाज्ञा जारी की जाय ताकि आपके मातहती में जो कर्मचारी है उनका स्थायीकरण हो जाय ?

श्री अध्यक्ष—

आपने मुझे चिट्ठी लिखी है तो मैंने आपको ढूंढ़ने का प्रयत्न किया, आज सबेरे भी प्रयत्न किया लेकिन उस वक्त तक आप आये नहीं थे। आप मेरे यहां आ जांय और पूरी लिस्ट दे दें तो उस पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

आपके सुझाव के अनुसार जब तक आपको लिस्ट न दें तब तक आप इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप भी आ जायं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पिछले दिनों इस विधान सभा के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पुनर्गठन समिति की रिपोर्ट पर बहस चल रही थी जो अपूर्ण रह गयी। अगर वह बहस पूर्ण हो जाती तो उसको कार्यान्वित करने के लिये कुछ कार्यवाही होती। आपका वित्त विभाग बीच में अड़ंगे लगाता है तो कम से कम जब तक आप उस आसन पर हैं कोई काम ऐसा तो करते रहें.....

श्री अध्यक्ष—

साढ़े 3 बजे आप भी मेरे यहां आ जायं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

श्रीमन्, यह सवाल मैंने भी उठाया था लेकिन आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने आपको पत्र भी लिखा था और सवाल के जरिये से भी जानकारी चाही थी लेकिन उसे आपने एलाउ नहीं किया। जब आप उस उच्च आसन पर हैं तो आपको इस तरह का भेद-भाव नहीं करना चाहिये कि एक तरफ तो आपने मेरे पत्र का उत्तर तक नहीं दिया और श्री मैनेजर सिंह न जब यही सवाल उठाया तो आपने उनसे कह दिया कि मेरे कमरे में आ जांय।

श्री अध्यक्ष--

आप भी आ जाइयेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इधर हमारे दल के और संसोपा के लोग जिनको सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, इसके लिये समय पूछन के लिये कोई अलग से समय निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो इस घंटे में इन लोगों को समय नहीं दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

जिन पर पहले नजर पड़ती है उनको समय देता हूं । आप तो बैठे हुए रहते हैं तब भी मैं बुला लेता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह तो दूसरी गलती है कि आप बैठे हुए लोगों को बोलने के लिये कहते हैं । आखिर प्रश्न पूछने के लिये कुछ प्रक्रिया बनी हुई है, कुछ नियम बने हुए हैं, तो आप बतलायें कि वह प्रक्रिया चलेगी या कोई और बात चलेगी, आपकी मंशा चलेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रक्रिया है कि जिस पर नजर पड़ जाय उसी को बुला लिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपकी नजर जिन पर पड़ती है उनको आप बुला लेते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस निगाह पर कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है कि इधर देखने में आपकी असमर्थता है जब कि उधर से यहां तक देखने में आप समर्थ हैं ? मैं समझता हूं कि यह गलत बात है ।

श्री अध्यक्ष--

यह गलत बात बिलकुल नहीं है । आप गलत बात कर रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह सही है कि मैं गलत बात कह रहा हूं लेकिन मैं मजबूर हूं गलत बात कहने के लिये और अगर आगे भी आपकी इसी प्रकार की व्यवस्था रही तो आगे भी गलत बात कही जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

फिर उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप इसी बात पर तुले हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह बड़े अवमान की बात है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जितने लोग उत्तीर्ण होंगे वे सभी पर्मानेंट कर लिये जायेंगे ? साथ ही इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि ऐसे नियुक्त किये गये कर्मचारियों को तीन वर्ष के भीतर लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया, उसके अनुसार जो लोग वहां से पास होकर आवेंगे—क्वालिफाइंग एक्जामिनेशन पास कर लेंगे उसके अनुसार उनकी वेटिंग लिस्ट बनायी जायेगी और उसी के अनुसार उनको परमानेंट किया जायेगा। जो नियम है उस नियम के अनुसार ही परमानेंट किया जायेगा। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उसी के आधार पर एक मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है तो इस संबंध में मैं कैसे कहूं कि सारी प्रक्रिया होगी। इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से नियमानुसार किसी को स्थायी करने, सीनियारिटी देने में कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष जी, इस बात को देखते हुये और जैसा कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत से कर्मचारियों को काम करते हुये 10/15 वर्ष हो चुके हैं और वे अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं कि नियमों की है। सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी भी यहां हैं। क्या सरकार इतने दिन से काम करने वाले कर्मचारियों को चाहे वे सेक्टेरियट में हों या विधान सभा में हों, को स्थायी करने के लिये विचार कर रही है कि नियमों में कुछ ढिलाई की जाये? मुकदमें की कुछ कठिनाई हो सकती है लेकिन नियमों आदि को देखते हुये ह्यूमेनेटेरीयन ग्राउंडस पर उनको स्थायी करने की कृपा करेंगे?

श्री ओम् प्रकाश सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया और परिपत्र में भी कहा है कि इसको हम करने के लिये प्रयत्नशील हैं और जो हमने कहा है हम उनको जल्दी से जल्दी स्थायी करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

जो मुख्य सचिव का पत्र है उसमें यह है कि शासन की जानकारी में यह आया है कि ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है। जब सर्क्यूलर जारी हुआ तो 25 साल सेवा पूरी कर लेने वाले कर्मचारी कितने थे और उनकी स्थिति क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह बड़ा विशाल प्रश्न है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, प्रश्न में कहा है कि क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनदेश संख्या 458/ओ० एण्ड एम–72 दिनांक 3–4–72 द्वारा यह आदेश दिया है कि जो अस्थाई पद 3 वर्ष से अधिक चल रहे हैं उनको स्थायी कर दिया जाये? यदि हां तो उक्त आदेश का सचिवालय म अल्प वेतन भोगी कर्मचारी वेतन-क्रम 120-250 रु० में कार्य करने वाले अवर वर्ग सहायक के विषय में पालन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि अधिकतर इनकी सेवायें लगातार 10 से 15 वर्ष की हो गई हैं फिर भी अभी तक अस्थायी बने हुये हैं? जब मूल प्रश्न यह है तो मंत्री जी को सूचना मांगने का क्या औचित्य है?

श्री अध्यक्ष—

वे तादाद नहीं बता सके। अगर उनको तादाद मालूम हो तो बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने कारण बताये हैं कितने कर्मचारी किस विभाग में 25 साल से हैं, इसको मालूम करने में बहुत समय लगेगा।

प्रवर वर्ग सहायक परीक्षा के फलस्वरूप सचिवालय में नियुक्तियां

**2—श्री राम मूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर), श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने वर्ष 1970 में सचिवालय में आयोजित प्रवर वर्ग सहायक परीक्षा में 49 प्रतिशत अंक पाने वाले वा ग्र अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया

है ? यदि हां, तो क्या उतने ही अंक पाने वाले वैभागिक अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्न में कथित परीक्षा सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में रिक्तियां भरने के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। वाह्य एवं वैभागिक अभ्यर्थियों के लिये अलग-अलग रिक्तियां आरक्षित थीं। परीक्षा प्रतियोगात्मक थी इसलिये चुनाव श्रेष्ठता के आधार पर किया गया। चूंकि सामान्य वैभागिक रिक्तियां 49 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों से ही भर गईं अतः 49 प्रतिशत अंक पाने वाले वैभागिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विभाग के लिये दस स्थान आरक्षित थे उनके लेने के बावजूद भी बाहर के उम्मीदवारों के अलावा विभाग वालों के अंक अधिक थे, फिर भी उनको नहीं लिया गया ? यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं लिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसी सूचना तो नहीं है कि विभाग वालों को नहीं लिया गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मेरा कहना यह था कि जो विभागीय स्थान निर्धारित थे उन में तो आपने लगभग 50–52 प्रतिशत वालों को लिया लेकिन जितने पर बाहरी लोगों को लिया है वही अंक विभाग वाले भी पाये तो उनको क्यों नहीं लिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

विभागीय का जो कोटा निश्चित था उतने को ही पूरा किया गया है, उसमें कोई भी अनियमितता नहीं की गई है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विभाग वालों का कोटा कितने प्रतिशत मार्क्स से पूरा हुआ और वाह्य लोगों का कितने प्रतिशत मार्क्स से पूरा हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह सही हो सकता है कि वाह्य वालों का कोटा पूरा हुआ हो लेकिन अन्तर यह है कि वाहय वालों के 6 पेपर्स होते हैं और विभागीय के 4 पेपर्स होते हैं, यह दोनों की परीक्षा में अन्तर है...

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने पूछा कि वाह्य लोगों का जो परीक्षा का परिणाम निकला, कितने प्रतिशत पर उनका निर्णय किया गया और विभागीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत पर निर्णय किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं निवेदन करूं कि यह कुल 186 स्थान थे, 83 स्थान विभाग वालों के लिये थे और 93 बाहर वालों के लिये थे और उसी के अनुसार नियमानुसार 49 प्रतिशत तक पाने वालों से वह स्थान भरे गये।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

वाह्य जो रिक्तियां थीं उनकी पूर्तियां 49 प्रतिशत पर हुई हैं और विभागीय की 52 प्रतिशत मार्क पाने वालों तक हुई हैं तो क्या यह सही नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया कि बाह्य वालों की वैकेन्सीज 49 अंकों तक पूरी हो गई और विभागीय की 51 अंक तक पाने वालों में से पूरी हो गई, इसलिये ऐसा हुआ ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

ऐसे कितने लोग हैं जो 49 और 51 के बीच अंक पाने वाले हैं और जितने ऐसे लोग हैं यदि वे अस्थायी हैं तो क्या मंत्री जी उन्हें भी स्थायी कर के 49 प्रतिशत तक के लोगों को भी नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो नियम हैं उनके अनुसार ही कार्यवाही होगी ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या यह सही नहीं है कि इस वर्तमान व्यवस्था में अधिक नम्बर पाने वाले कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और इसको देख कर क्या सरकार विभागीय कर्मचारियों क आरक्षण की व्यवस्था करेगी कि अधिक नम्बर पाने वाले कर्मचारी बाह्य लोगों की समानता में आ सकें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

विभागीय कैन्डीडेट्स का प्रोसीजर अलग है और उनको रियायत दी जा रही है उनको 4 पेपर देना पड़ता है और बाहरी लोगों को 6, उनको तो हम रियायत दे ही रहे हैं ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

आपने बाह्य और विभागीय दोनों तरह के लोगों के लिय आरक्षण किया है लेकिन विभागीय लोगों की स्थिति समानता की नहीं हो रही है तो क्या उनकी तादाद पूरी करने की वह व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

नियमों को सिथिल करने का विचार इस समय नहीं है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि परीक्षा प्रतियोगितात्मक थी, इसलिये चुनाव ज्येष्ठता के आधार पर किया । यह बात सत्य है कि जिन लोगों ने बाह्य लोगों से अधिक नम्बर पाये थे उनको नियुक्त करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्रीमन्, यह परीक्षा लोक सेवा आयोग ने ली थी और जो परीक्षाफल उन्होंने बनाया उसी के आधार पर कार्यवाही की गयी । हम पिक्चर में नहीं आते ।

सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के गैस गोदाम में अग्निकाण्ड

**3—श्री रामगोपाल सण्ड तथा श्री रूप नाथ सिंह यादव (जिल इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 9 नवम्बर, 1972 की शाम को सिविल लाइन्स स्थित इलाहाबाद नगर के किसी गैस के गोदाम म भयानक अग्नि कांड हो गया था ? यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति मरे एवं कितने घायल हुये ? अग्नि कांड में कितनी सम्पति नष्ट हुयी ? इस अग्नि कांड के दोषी कौन थे ? तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

जी हां । तीन व्यक्ति मरे और 14 व्यक्ति घायल हुये । फायर सर्विस अधिकारियों के अनुसार माल एवं मकानों की क्षति लगभग 3,47,773 रुपये की हुई जब कि

मकानों इत्यादि के मालिके के अनुसार अनुमानित क्षति का मूल्य 4,60,613 रुपया है। इलाहाबाद गैस सर्विस के आठ साझेदारों/प्रबन्धकर्ताओं के विरुद्ध एक मुकदमा धारा 285/304-ए भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया गया है जिसमें विवेचना जारी है।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 3 लाख 47 हजार 773 रुपये की क्षति हुयी तो क्या वे उस नियम को बताने की कृपा करेंगे जिसके अनुसार इतनी धनी बस्ती में 700 गैस के सिलन्डर रखने के लिये कम्पनी के मालिकों को लाइसेन्स दिया गया कि वे वहां पर इनको स्टोर करें ? इन 700 गैस सिलन्डरों में आग लगने से सारे शहर में अन्धकार छा गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि बड़े-बड़े टनों के गोले फट रहे हों। तो वह कौन सा नियम है जिसके अन्तर्गत कम्पनी के मालिकों को लाइसेन्स दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसके लिये सक्सप्लोसिव इन्सपैक्टर्स होते हैं। वह निरीक्षण करता है और उसके बाद ही उसने उपयुक्त समझा होगा। उस आधार पर ही लाइसेन्स दिया गया।

श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या नियमों में लिखा हुआ है कि किसी भी घनी बस्ती में जिसमें एक्सप्लोसिव पदार्थ हों जैसे कि ये 700 गैस सिलिन्डर भी हैं रखने की इजाजत नहीं दी जायगी ? यदि हां, तो क्या उस इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अब भी इस बारे में जांच हो रही है कि किन परिस्थितियों में उन्हें वहां पर सिलिन्डर रखने का लाइसेन्स दिया गया और जांच के उपरान्त जो भी दोषी पाया जायगा अवश्य दंडित किया जायगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के मकान जल गये, उन्हें क्षति हुयी और परिवार के लोगों की मृत्यु हुयी, उन्हें कितनी आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

62 परिवार जिनमें 160 सदस्य हैं उनको 10 हजार रुपये की सहायता दी गयी है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 1972 को लिखा जिसका उत्तर मुझे 2 दिसम्बर को दिया गया कि इस पर कार्यवाही के लिये गृह सचिव को भेज दिया गया है। वहां पर एक गरीब रामाधार नामक व्यक्ति रहता था जिसके परिवार में एक महिला और एक बच्चा मरा' क्या उस परिवार को कोई सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही शासन द्वारा की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मृत परिवार के लोगों को 1 हजार रुपया, जिनके पक्के मकानों में क्षति हुयी है 300 रुपये और कच्चे मकान वालों को 200 रुपये सहायता के रूप में दिये गये हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या श्री रामधार जो गरीब आदमी है, उसको कुछ सहायता के रूप में दिया गया या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिस अनुपात में बंटा वह मैंने बता दिया। रामाधार के बारे में नहीं बता सकता। जिनके परिवार में कोई मरा है उनको 1000 रुपये सहायता के रूप में दिये गये हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)

जिन-जिन लोगों को सहायता के रूप में सहायता दी गयी, उनके क्या-क्या नाम हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)—

यदि माननीय सदस्य नाम जानना चाहते हैं तो नाम भी पेश कर दिये जायेंगे। यह एक आकस्मिक घटना थी इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है। जिन लोगों,को कष्ट पहुंचा है उनकी क्षति हुयी है, या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुयी है, उनके प्रति सहानुभूति करके सहायता की गयी पर सरकार कोई सहायता देने के लिये वाध्य नहीं है। मानवता के विचार से कुछ न कुछ सहायता दी जाय वह दी गई है। यदि माननीय सदस्य नाम जानना चाहेंगे तो वे भी मंगाकर दे दिये जायेंगे।

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, सहायता उनको दी जाय जो सहायता के काबिल हों। ऐसा न हो कि जो गरीब आदमी हों वे सहायता से वंचित हो जायं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, कलेक्टर से रिपोर्ट आई कि इनको क्षति पहुंची है। सरकार ने समझा कि ये गरीब लोग हैं और आकस्मिक दुर्घटना है, कुछ की मृत्यु हो गई, इसमें इनको सहायता मिलनी चाहिये। वह सहायता दे दी गई। अगर माननीय सदस्य नाम जानना चाहते हैं तो वे नाम भी दे दिये जायेंगे।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, प्रसिद्ध साहित्यकार इलाचन्द्र, जोशी और एन० डी० अग्रवाल तथा यह जो और नाम माननीय रूप नाथ सिंह यादव ने लिया इनके सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को मिला है। उस प्रार्थना पत्र की एक प्रतिलिपि मुझे भी मिली है कि किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। मान्यवर, इलाचन्द्र जोशी का मकान बिल्कुल गिर गया। क्या उनको कुछ सहायता देंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य सूचित कर रहे हैं, उसको देखा जा रहा है और यदि सहायता नहीं हुई है तो सहायता देने का प्रयास किया जायेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि आइन्दा ऐसी घटनायें न हों इसलिये घनी बस्तियों में गोदामों को न रखने पर प्रतिबन्ध लगायेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, निश्चित ऐसे आदेश दिये जायेंगे कि घनी बस्तियों में इस तरह के सिलेन्डर और गैस के स्टोर की अनुमति न दी जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, दुर्घटना की जांच किस तरह से की गई है। यदि नहीं कराई गयी, तो किससे करायेंगे और इस जांच के बाद भविष्य में कोई नीति निर्धारित करेंगे कि जिससे दुर्घटनायें रुकें?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस की जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। इसमें घटना बिल्कुल स्पष्ट है। उसके आधार पर किसी विशेष प्रकार की जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मन्त्री आश्वासन देंगे कि ऐसी कम्पनियां और भी हैं जो घनी बस्तियों के अन्दर हैं। क्या जांच करा कर ऐसी कम्पनियों के स्टोर भी घनी बस्तियों के बीच में से हटायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं समझता हूं यह प्रश्न मुनासिब है। और इस बात की जरूर जांच होनी चाहिये कि इस प्रकार के विशेष पदार्थ घनी बस्तियों में न रखे जायं। यदि कानून इसमें बाधक होगा तो उसमें भी संशोधन कर देना चाहिये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें जो प्रबन्धकर्ता इन्वाल्व्ड थे क्या उनको थाने में ले जाकर ही छोड़ दिया गया। ऐसे बड़े लोगों के साथ क्यों रियायत की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण

मान्यवर, जो फर्म के मालिक हैं, साझेदार हैं, आठों में से किसी को स्पेअर नहीं किया है। उनको जमानत पर रिहा किया गया है और उन पर मुकदमा दायर किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, गैस के सिलिन्डर किस कम्पनी के थे और जो पैकिंग था वह डिफेक्टिव तो नहीं था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, ये डिफैक्टिव थे या नहीं थे यह तो जांच हो रही है तो देखा जायेगा। लेकिन वहां के रहने वाले व्यक्ति की औरतें जब खाना बना रही थीं उस आग से वह दुर्घटना हुई है। उसके अच्छे या बुरे होने की कोई आशंका नहीं है। आग के कारण यह दुर्घटना हुई है।

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने जैसे कहा कि इस दुर्घटना की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जब एक्सप्लोसिव सब्स्टेन्स इकट्ठा किया गया, इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट भी दी गई है, तो किस आधार पर कहा कहा गया कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरा मंशा यह है कि सरकार की ओर से कोई आग इसमें नहीं लगायी गयी। एक आकस्मिक घटना है। इस विचार से मैंने कहा, नहीं तो सहायता हम करते ही हैं चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो जिसमें कि सरकार की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं होती।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमन्, जब एक्सप्लोसिव्ज के कहीं भंडार या दुकान कायम होते हैं तो बाकायदा सरकार से रिपोर्ट ली जाती है, इंस्पेक्टर से रिपोर्ट ली जाती है कि कहां रखा जाएगा, वह स्थान कहां पर है, उसकी चौहद्दी होती है और यह रिपोर्ट होती है कि बस्ती के बाहर है। गोंडा में दो बार बीच शहर के अन्दर जो वहां आतिशबाजी बनाते हैं, आग लगी और बिस्फोट हुए जिसकी आवाज पांच मील तक गयी। फिर उसके बाद भी लायसेन्स उसे ही दे दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस इंस्पेक्टर ने उस लाइसेन्सी की रिपोर्ट दी थी उसको सस्पेंड किया गया या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं कि जांच हो रही है। सस्पेंशन हो, बर्खास्तगी हो, जेल जाय रिपोर्ट आने पर ही कोई कार्यवाही हो सकती है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मंत्री जी ने बताया कि पुलिस थाने ले गए और जमानत हो गयी, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन दफाओं में उन को गिरफ्तार किया गया वह दफाएं अनबेलेबिल हैं और

उनमें पुलिस को जमानत लेने का अधिकार नहीं है, केवल कोर्ट ही ले सकती है ? यदि ऐसा है तो पुलिस ने क्यों जमानत ली और यदि ऐसा नहीं है तो किन दफाओं में चालान हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यह नहीं कहा कि पुलिस ने जमानत ली । उन्होंने कहा कि उन को इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

श्रीमन्, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि यह आठो साझीदार थे । यह सूचना नहीं है कि इनकी जमानत कहां हुई, लेकिन मुकदमें दर्ज हुए और जमानत पर ये छूटे हुये हैं ।

कल्लू, निवासी सराय परसंडा (बाराबंकी) का प्रार्थना-पत्र

**4---श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि कल्लू पुत्र भम्मन, साकिन सराय परसंडा, थाना कोठी, जिला बाराबंकी ने थाना कोतवाली, बाराबंकी पर दिनांक 12 सितम्बर, 1971 को सूचना अंकित कराई और दिनांक 17 सितम्बर, 1971 व 8 जून, 1972 के बीच जिलाधिकारियों व शासन को दरख्वास्तें दीं कि दिनांक 11 सितम्बर, 1971 को उसके मकान पर कुछ लोगों ने हमला किया और उसका सामान, जेवरात और बकरियां लूट ले गये तथा उसके लड़के मुस्तफा को भी पकड़ कर ले गये जो आज तक लापता है ? यदि हां, तो मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

कल्लू उपनाम शफीक पुत्र भम्मन, निवासी ग्राम सराय परसंडा, थाना कोठी, जिला बाराबंकी ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-9-1971 को दिया था जिसमें उसनें राम सरन सिंह व पृथ्वीपाल सिंह निवासी ग्राम सराय परसंडा के विरुद्ध 11-9-1971 को सौ आदमियों को लेकर प्रार्थी के घर पर हमला करने, मारपीट करने तथा लूटपाट करने और प्रार्थी के लड़के मुस्तफा को पकड़ ले जाने की शिकायतें की थीं । उक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस क्षेत्राधिकारी के आदेशानुसार थाना कोतवाली बराबंकी पर उसी दिन धारा 395/397/364/429 भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ । चूंकि अपराध थाना कोठी के क्षेत्र से सम्बन्धित था, अतः 13-9-1971 को कागजात थाना कोठी भेज दिये गए । जांच से डकैती की सूचना गलत पाई गई । अतः मुकदमें में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

उपरोक्त मामले के संबन्ध में कल्लू ने 17-9-1971, नवम्बर, 1971 तथा 17-5-1972 को प्रार्थना पत्र दिये थे जिनमें प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतें थीं । जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गईं और यह पाया गया कि मारपीट की मामूली घटना को बढ़ा चढ़ा कर डकैती की झूठी रिपोर्ट प्रार्थी ने लिखाई थी । प्रार्थी के विरोधी पक्ष के लोगों का चालान धारा 107/117 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत फरवरी, 1972 में कर दिया गया था । जहां तक प्रार्थी के लड़के मुस्तफा का प्रश्न है, प्राप्त सूचना के अनुसार वह दिल्ली में नौकरी कर रहा है और कभी-कभी अपने घर आता है ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई---

यह वाकया है कि मंत्री जी सन् 1971 का और उसके बाद बहुत सी दरख्वास्तें आई० जी०, चीफ मिनिस्टर व मंत्री जी के पास भेजी गईं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी इन्क्वायरी सब इन्सपेक्टर ने की या किसी सीनियर अधिकारी से उसकी जांच करवाई गयी इसकी इन्क्वायरी कब शुरू हुई और वह कब क्लोज हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक ने इसका इन्सपेक्शन किया, इन्सपेक्टर ने भी की और थाना अध्यक्ष तो करता ही है। घटना साधारण सी थी। जो प्रार्थी है उसके पास ज्यादा बकरियां हैं। वे जब छूट जाती हैं तो लोगों के खेतों में जाकर नुकसान करती हैं। इसका अभियोग लगाया गया और लोग उससे उलाहना देने गये तो उस समय थोड़ा सा संघर्ष हो गया। फिर भी प्रीकाशनरी मेजर पर दफा 107/117 के अन्तर्गत लोगों को पाबन्द कर दिया गया।

श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, दफा 395 में रिपोर्ट हो जाय। जिस मुलजिम के खिलाफ दफा 395 में रिपोर्ट हो जाय तो उसको एरेस्ट किया जाता है। दफा 395 के अन्तर्गत दो मुलजिमों पर रिपोर्ट हुई।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

प्रार्थी ने जिस प्रकार की सूचना कोतवाली में दी उसी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई जैसा होना आवश्यक भी था। जब मौके पर जा कर देखा गया तो उसमें कोई तथ्य नहीं पाये गये और उसी के आधार पर कार्यवाही की गई।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि दफा 395 के अन्तर्गत शासन की तरफ से जिलाधिकारी ने कार्यवाही की, रिपोर्ट लिखी गई और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। कई धाराओं के अन्तर्गत केस दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मुख्य मन्त्री इसकी जांच सी० आई० डी० से करवायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैंने जैसा अनुरोध किया प्रार्थी ने जैसे ही कहा उसकी रिपोर्ट लिख ली गई। अगर किसी रिपोर्ट के आधार पर तत्काल ही कार्यवाही कर दी जाय तो हो सकता है कि उसका रूप और बिगड़ जाय इस लिये उसकी तफशीस का होना आवश्यक है। उसी के अनुरूप कार्यवाही की गई।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने कहा कि कल्लू का लड़का मुस्तफा दिल्ली में नौकरी करता है और कभी-कभी अपने घर आता है। यह किस आधार पर पुलिस ने शासन को सूचना दी है कि कभी-कभी वह अपनें घर पर आता है, किसने उसको घर पर देखा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, वहां पर अब भी वह आता जाता है और वह व्यक्ति भी है जिन्होंने उसको देखा है। वह लड़का दिल्ली में काम करता है परन्तु वह भयवश आने में घबड़ाता है। उसकी हत्या कर दी गई या वह पकड़ के ले जाया गया, यह सिद्ध नहीं हुआ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई--

यह मेरी कांस्टीटुएंसी का वाकया है। मैं आपको बताता हूं कि मुस्तफा का अभी तक पता नहीं है। उसकी बीबी अपने को बेवा समझती है और उसका बाप समझता है कि उसका लड़का मार डाला गया। पुलिसवालों ने यह कोशिश नहीं की है कि वे दिखावें कि वह दिल्ली में नौकर है। यह सब झूठ हैं। अगर वह दिल्ली में नौकर है तो उसको पकड़ कर दफा 182 की कार्यवाही क्यों नहीं कर लेते हैं ? मुस्तफा को एरेस्ट कर लीजिए और 182 का मुकदमा चला दीजिए कल्लू पर।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इसकी जांच सी०आई०डी० से करा लेते हैं और जिसने रिपोर्ट दी है उससे भी यह कहते हैं कि वह सबूत दे कि मुस्तफा दिल्ली में नौकर है, वह बताए कि कहां नौकरी करता है ताकि जांच हो सके।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद के विधायक के निवास स्थान पर घातक हमला

*१—सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक 16 अथवा 17 नवम्बर, 1972 को मुरादाबाद के एक विधायक पर घातक हमला पुलिस की मौजूदगी में उनके निवास स्थान पर जो कि कचहरी के अहाते में है किया गया और उनका सारा सामान लाकर पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के बंगले से 5 गज की दूरी पर जला दिया गया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्राप्त सूचना के अनुसार 16 नवम्बर, 1972 को मुरादाबाद के के० जी० के० कालेज के छात्र अपने बंद विद्यालय को खोले जाने की मांग करते हुए एक जुलूस के रूप में कचहरी पहुंचे। कचहरी के पास विधायक, श्री रियासत हुसैन के निवास स्थान पर कुछ छात्रों ने विधायक महोदय से बातकी जिससे उत्तेजित होने पर क्षात्रों ने उनका कुछ सामान तोड़ फोड़ डाला और कुछ टूटी फूटी वस्तुओं को जला भी डाला। यह सही नहीं है कि पुलिस की मौजूदगी में विधायक महोदय पर किसी प्रकार का घातक हमला किया गया। घटना की रिपोर्ट विधायक महोदय ने उसी दिन सांयकाल सिविल लाइन थाने में लिखाई जिस पर भा० द० विधान की धारा 147/436/380/427 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। विधायक महोदय ने अपनी लिखित सूचना में भी घातक हमले का उल्लेख नहीं किया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मेरा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक के कमरे से 5 गज की दूरी पर उसका सामान जला दिया गया। पहले वे पी०एस०पी० में थे और अब तो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के महामन्त्री हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि विधान सभा के सदस्य के साथ यह हुआ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी वह रिपोर्ट पढ़ दें जो श्री रियासत हुसेन साहब ने लिखायी।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

नकल० एफ० आई० आर०

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, कांग्रेस पार्टी, यू० पी० लेजिस्लेटिव कांग्रेस पार्टी मंत्री 16-11-1972, लक्ष्मी कुटीर, मुरादाबाद।

एस० ओ०, सिविल लाइन, मुरादाबाद, महोदय मैं आज दिनांक 16-11-1972 को लगभग डेढ़ बजे दिन अपने निवास स्थान पर लक्ष्मी कुटीर कन्टैक्ट कम्पाउन्ड में कुछ व्यक्तियों के साथ बैठा था जिनके नाम निम्नलिखित हैं। (1) श्री सफदर, नि० मलिया मलुपुर, थाना

मूंढा, (2) गुलफाम सिंह, नि० औंस, थाना बहजोई, (3) मेंहदी हसन, नि० मदनापुर, थाना मूंढा, (4) राम आसरे, नि० मोहल्ला मंडी चौब, अमरोहा, (5) डा० फकीर चन्द, नि० सरकड़ा खास · · · · ।

[इस समय विरोधी पक्ष के ऊपर वाली दीर्घा से पर्चे फेंके गये और नारे लगाए गये । इन्कलाब जिन्दाबाद, बेकारी बन्द करो ।]

श्री अध्यक्ष—

अरे भाई यह क्या बात है ।

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मान्यवर, इसको प्रोत्साहन तो दीजिए कम से कम ।

· · · (6) दुश्यन्त वीर सिंह, नि० सरकड़ा खास और इनके अलावा कुछ और व्यक्ति भी बैठे थे कि यकाएक के० जी० के० कालिज व अन्य संस्थाओं के लड़कों के समूह ने मेरे निवास स्थान पर हमला कर दिया । लड़के रियासत हुसैन हाय-हाय, जोशी प्रिंसपल हाय-हाय के नारे लगा रहे थे । मैंने लड़कों से यह कहा कि मैं चाहता हूं कि कालेज जल्दी से जल्दी खुले और सुचारु- (एस० डी० रियासत हुसैन एम० एल० ए० 16–11–1972) रूप से चले परन्तु लड़कों के समूह ने जहां और उल्टी-सीधी नारे बाजी की और यह भी कहा आपने शम्भू नाथ खन्ना के खिलाफ इन्क्वायरी कमीशन क्यों बैठा दिया । मैंने बार-बार यह बात कही कि मैं चाहता हूं कि सरकार के शासन में कालिज चलता रहे । क्योंकि हो सकता है इन्क्वायरी में काफी समय लगे । परन्तु लड़कों के समूह में से जो लोग मेरे सोने के कमरे में घुसे शराब भी पीये हुए थे उन्होंने एक दम तोड़ फोड़ शुरू कर दी । उस तोड़ फोड़ में टेलीफोन को वहीं तोड़ डाला फर्नीचर व दरी इत्यादि को जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कालिज इन्क्वायरी सम्बन्धित कागजात थे जला व फोड़ कर बरबाद कर दिये उन्होंने । और तोड़फोड़ से की गई नुक्सान की सूची संलग्न है ।मेरा यह विश्वास है कि लड़कों का यह आगमन कि शम्भू नाथ खन्ना जो के० जी० के० कालिज के मैनेजर हैं उनके इशारे व सिखाये हुआ है । उनकी यह ही के० जी० के० कालिज के विषय को सरकार में उठाने से इंक्वायरी कमीशन नियुक्त हुआ है और कमीशन के मांगे जाने पर कल कुशनेयर का जवाब सील्ड कवर में डी० आई० ओ० एस०के दफ्तर में कमीशन के सम्मुख भेजा है । मुझे आज यहां आने पर यह भी ज्ञात हुआ कि श्री शम्भू नाथ खन्ना और उनके गुट के लोग इस विषय पर मुझसे बेहद नाराज हैं । इसलिए एस०डी० रियासत हुसैन एम०एल० ए० 16–11–1972, मंत्री 16–11–1972, लक्ष्मी आज दिनांक 16–11–1972 को दोपहर एक तीन बजे कालेज के लड़कों के जुलूस में मेरी कोठी लक्ष्मी कुटीर कचहरी, मुरादाबाद में जलाये गये व ले जाये गये सामान की सूची, टेलीफोन जो तोड़ दिया, सोफा सेट, चार कुसियां, कमरे की एक बड़ी दरी, बड़ा मसनद, चार जोड़ी कपड़े, एक साइकिल, कमरों के बल्व, खिड़कियों की जाली व शीशे, नाम का बोर्ड, छोटा तकिया,कम्बल , ताला-चाबी, कुछ महत्वपूर्ण कागजात जो जला दिए । टोटल 609 रु० की क्षति । एस0 डी0 रियासत हुसैन 16–11–1972 । नोट: मैं प्रधान लेखक प्रमाणित करता हूं कि तहरीर वादी शब्द व शब्द अंकित की गई है । तहरीर पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । यह है मान्यवर ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस प्रदर्शन के साथ लगभग दो सौ ढाई सौ पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी थे और जो यह सामान दर्ज है इस सामान को मेरे कमरे से लगभग 50 गज के फासले पर ले जाकर पुलिस अधीक्षक के कमरे से सिर्फ 5 गज के फासले पर जलाने का कार्यक्रम होता रहा और पुलिस वालों ने उस दौरान सोफा सेट, कुर्सी और दरी लाने वाले को नहीं पकड़ा ? अगर ऐसा हुआ है तो उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे जिन्होंने सामान ले जाकर जलाने की इजाजत दी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनके सामने ही सब सामान निकाला गया और जलाया गया इसमें सामान के तोड़फोड़ करने और ले जाने की सूचना है। अब यह कि पुलिस के सामने कार्यवाही हुई और पुलिस देखती रही, इसकी जांच करवाई जायगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम --

अभी माननीय रियासत हुसैन ने तथ्य रखे कि पुलिस की मौजूदगी में यह सब हुआ। क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना नहीं है कि जुलूस के साथ पुलिस थी और जैसा रियासत हुसैन साहब ने कहा कि कलक्ट्रेट में उनका मकान है तो वहां भी पुलिस रहती है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मैंने यह नहीं कहा कि पुलिस जुलूस के साथ नहीं थी। मैंने यह कहा कि पुलिस के सामने सामान ले जाया जाता रहा और जलाया जाता रहा, यह सूचना नहीं है। मेरे सामने सूचना यह है कि पुलिस ने कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हो पायी इसलिये आगे कार्यवाही नहीं हो पायी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

चूंकि गम्भीर मसला है और कई विधायकों के खिलाफ पुलिस की ज्यातदियां हो चुकी हैं। चाहे सुखपाल पांडेय हों या रियासत हुसैन हों, ये भी अपनी पार्टी छोड़ कर आये थे, रियासत हुसैन भी पी० एस० पी० छोड़ कर आये हैं, तो क्या मन्त्री जी इस संबंध में सी० आई० डी० या जुडीशियल इंक्वायरी करवायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, डी० आई० जी० से भी जांच करवा दी जायगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

रियासत हुसैन साहब ने कहा है कि दो सौ पुलिस वालों की उपस्थिति में उनका सामान जलाया गया और अधीक्षक के सामने आधा घंटे तक जलाया गया और हमारी परम्परा है कि विधान सभा में जो माननीय सदस्य बयान दें हम उसे सच मान लेते हैं, तो मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसी उच्च स्तरीय जांच करायें कमिश्नर या ऐसे अधिकारियों के द्वारा और जो दोषी पुलिस वाले हैं उन्होंने उस समय ऐक्शन नहीं लिया, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

माननीय सदस्य जिससे कहेंगे उससे जांच करा लेंगे और जांच की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

माननीय मन्त्री महोदय मानते हैं कि पुलिस जुलूस के साथ गयी, पुलिस कलक्टोरेट कम्पाउन्ड के अन्दर माननीय सदस्य का घर है और कप्तान साहब का बंगला भी पास ही है तो मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके विवेक में क्या है, कि यह जो घटना घटी उस वक्त पुलिस मौजूद थी या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

विवेक का सवाल नहीं है। जब माननीय सदस्य कहते हैं तो वह सही है, उसको सही मानता हूं। जहां तक जांच की बात है तो माननीय सदस्य जांच कराने को कहेंगे तो करा लूंगा और रिपोर्ट के अनुसार सजा दी जायगी या जो मुनासिब होगा वह किया जायगा।

एटा जिले में हुये जघन्य अपराध के विरुद्ध प्रदर्शन

*2--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि दिनांक 23-11-1972 को एम० एल०ए० व भूतपूर्व मंत्री श्रीमती विद्यावती राठौर के नेतृत्व में एटा जिले के 50 सम्भ्रांत व्यक्तियों ने मुख्य मंत्री तथा पुलिस महा निरीक्षक के निवास स्थान पर प्रदर्शन कर के उनका ध्यान इसी महीने में 7 नृशंस हत्याओं की ओर आकर्षित किया जो कि एटा जनपद में हुई ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

कथित घटना के सम्बन्ध में दिनांक 23-11-1972 को भूतपूर्व मंत्री श्रीमती विद्यावती राठौर के नेतृत्व में एटा जिले के कुछ सम्भ्रांत व्यक्तियों ने पुलिस महानिरीक्षक से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की थी।

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1149 पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

जब एक भूत पूर्व मंत्री आई० जी० से डेपुटेशन के साथ मिलने गयीं जिसमें 25 वकील आये थे तो मंत्री जी बतायेंगे कि मुख्य मांगें क्या थीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

उसमें प्रमुख आरोप यह था कि थाना अलीगंज में एक दयाराम निवासी के परिवार के साथ 7 आदमियों की हत्या हुई। उसमें उनके नजदीक के ही पट्टीदार रमेश और दो एक ऐसे लोग हैं जो उस हत्या में शामिल हैं' लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह उनकी रिपोर्ट थी और उसके आधार पर उनकी पहली मांग थी कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाय, लेकिन जो स्थिति जांच को सामने आयी जिसकी जांच अब भी हो रही है और सी० आई० डी० को दे दी गयी है, उसमें उन लोगों के ऊपर एक प्रकार का संदिग्ध आरोप ही है कोई तथ्य नहीं बनता है। छोटे-छोटे घरेलू झगड़ों में 7-7 हत्यायें एक परिवार में हो जायं यह सन्देहजनक मालूम होता है और अब भी सी० आई० डी० जांच कर रही है। इसलिए उन को तत्काल गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा गया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

7-7 हत्यायें घरेलू झगड़े में होना एक असाधारण स्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है इसलिये चूंकि मेरे पास और तथ्य हैं, आज्ञा दें तो मैं 49 नियम के अन्दर नोटिस दे रहा हूं आधा घंटे विवाद का। जब 7-7 आदमी एक घर के मर जायं और भूत पूर्व मंत्री इस निकम्मी सरकार के आई०जी० के पास डेपुटेशन लेकर जायं और सरकार उसे मानने में असमर्थ रहे तो मैं नियम 49 का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

श्रीमती विद्यावती राठौर तो खुद बैठी हैं, वे स्वयं कुछ क्यों नहीं कहतीं ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

बैठी हैं तो क्या हुआ, उन्हें कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती विद्यावती राठौर (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या गवर्नमेन्ट यह बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगंज थाने के अन्तर्गत--ग्राम का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है--वह जो 7 हत्यायें हुई हैं उनका कारण क्या है ? मैं आई० जी० से मिली थी तो उन्होंने कहा कि हम जांच कर के जो निश्चित होगा वह करेंगे।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

नोटः--तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[21 दिसम्बर, 1972 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री रूप नाथ सिंह यादव तथा श्री राम प्रसाद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

दंडित राज्य कर्मचारियों के बकाया वेतन तथा चरित्र पंजियों में अंकित प्रविष्टियां

*2—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत वर्ष मई मास में सेवा में बहाल किये गये दंडित राज्य कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने तथा विगत आन्दोलनों के कारण उनकी चरित्रपंजियों में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को दूर करने के विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दोनों विषय अभी शासन के विचाराधीन हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षकों का स्थानान्तरण

*3—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसे हैं जो एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक दिनों से कार्य कर रहे हैं ? उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

बेरोजगार दफ्तरों में पंजीकृत शिक्षित व अशिक्षित व्यक्ति

*4—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 30 मार्च, 1972 तक प्रदेश के बेरोजगार के दफ्तरों में कितने शिक्षित और कितने अशिक्षित व्यक्ति पंजीकृत थे ? क्या राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को कार्य देने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

यह आंकड़े अर्द्ध वार्षिक रखे जाते हैं। अतः 31 जून, 1972 को प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में 2,63,966 शिक्षित तथा 3,36,651 अशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत थे। शिक्षित बेरोजगारों को कार्य देने के लिये सरकार ने अलग से कोई योजना नहीं बनाई है। प्रदेश के बेरोजगार व्यक्तियों के लिये एक "विशेष रोजगार की प्रायोजना" वर्ष 1972-73 के लिये बनाई गई है जिससे शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अकुशल इत्यादि सभी प्रकार के व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। माननीय सदस्यों की विस्तृत जानकारी के लिये उपरोक्त प्रायोजना की प्रतियां पहले वितरित की जा चुकी हैं।

तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चकेरी (एटा) के प्रबन्धक

*5—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चकेरी में वर्ष 1971-72 में प्रबन्ध समिति की कोई बैठक नहीं हुई और प्रबन्धक महोदय ने अपने अधिकार से कार्य किया ? यदि नहीं, तो वर्ष में किन-किन महीनों में मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की ?

*6—क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि प्रबन्धक महोदय के वेतन न देने एवं अभद्र व्यवहार करने और अनियमित काम कराने के कारण 1 अप्रैल, 1972 से 15 जुलाई,

1972 तक किस-किस अध्यापक ने त्याग-पत्र दिया और किस-किस अध्यापक का कितना-कितना वेतन किस-किस माह का शेष है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रोन्नत पुलिस अधीक्षकों का वेतन

*7--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन उप पुलिस अधीक्षकों (डिप्टी एस० पीज०) की पदोन्नति पुलिस अधीक्षक के पद पर सन् 1970 से हुई है वह अभी तक उप पुलिस अधीक्षक का ही वेतन पा रहे है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। सम्बन्धित अधिकारियों के वेतन भुगतान का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री गोपालचन्द्र विश्वास, पिपलिया (नैनीताल) एवं उनके पिता द्वारा नामजद रिपोर्ट

*8--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री गोपाल चन्द्र विश्वास, पुत्र श्री जगबंधू विश्वास, ग्राम पिपलिया, नं० 1, थाना गदरपुर, जिला नैनीताल ने 17 जून, 1972 को थाना गदरपुर में धारा 380 के अन्तर्गत एक रिपोर्ट नामजद करायी ? यदि हां, तो अभियुक्तों के नाम क्या हैं और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित नामजद रिपोर्ट--

(1) गौरंग बाला पुत्र गोपालो बाला, (2) सुधीर बाला पुत्र गोपालो बाला, (3) पंचान सिंह पुत्र मुकुन्दलाल सिंह तथा (4) फटीक विश्वास, पुत्र विधूभूषण विश्वास के विरुद्ध लिखायी गयी थी। इस अभियोग की विवेचना की गयी। अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने के कारण दिनांक 23-8-72 को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी तथा अभियुक्तगणों के नाम संदिग्ध व्यक्तिगणों की सूची में अंकित कर दिए गए हैं।

*9--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त श्रीगोपाल चन्द्र के पिता जगबंधू ने भी इसके कुछ ही दिनों पूर्व उन्हीं अभियुक्तों के विरुद्ध थाने में एक रपट लिखाई थी, किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्री जगबन्धू विश्वास ने दिनांक 13-6-72 को थाना गदरपुर में सर्वश्री गौरंगबाला सुधीरबाला, नित्यानन्द तथा, रसिक बाला विश्वास के विरुद्ध धारा 352/504/506 भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखायी थी। उसी दिन विपक्ष की ओर से भी श्री जगबन्धु विश्वास आदि के विरुद्ध इन्हीं धाराओं के अन्तर्गत एक रिपोर्ट अंकित करायी गयी थी। दोनों ही रिपोर्ट अहस्तक्षेपनीय अपराध की थीं, अतः पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वादी श्री जगबन्धू विश्वास को स्वयं न्यायालय में दावा दायर करने का परामर्श दे दिया गया था।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

*10--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और किस निश्चित तिथि तक सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर लेगी ?

*11—क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार में कोई विचार विनिमय हुआ है ? यदि हां, तो उस विचार विनिमय का क्या निर्णय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश की चीनी मिलों का निजी प्रभुत्व समाप्त करने की सरकार की पहले से ही घोषित नीति है। सरकार ने इस नीति को कार्यान्वित किये जाने से संबंधित अपने प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखे हैं। प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं, उस पर निर्णय प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, हल्द्वानी नैनीताल का कथित प्रस्ताव

*12—श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री हीरासिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तारीख 1-11-71 को सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड हल्द्वानी, जिला नैनीताल ने अपने वार्षिक जलसा आम में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया था कि जिलाधिकारियों को समिति के संबंधित जिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा फर्जी एक लाख अस्सी हजार रुपये की खाद बिल बेसिस पर स्वीकृत करके इतनी भारी धनराशि का गोलमाल किया गया है मामले को तुरन्त पुलिस में दिया जाय ? यदि हां तो अब तक कोई कार्यवाही, सहकारी गन्ना विकास समिति के प्रबन्धक व अवैतनिक मंत्री जो सरकारी अधिकारी हैं, के द्वारा क्यों नहीं की गई और इस गोलमाल में असल तथ्य क्या-क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

तारीख 1 नवम्बर, 1971 को सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत, नत्थनपुर (देहरादून) के जंगल से पेड़ों की चोरी संबंधी शिकायत

*13—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत नत्थनपुर, परगना परवा, जिला देहरादून के सदस्यों ने क्या 1-8-72 या उसगे आस-पास जिलाधिकारी, देहरादून को उपरोक्त ग्राम पंचायत के जंगल से चोरी से पेड़ काटने के बारे में कोई शिकायती पत्र भेजा ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत नत्थनपुर जिला देहरादून के सदस्यों का प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई शिकायती पत्र 1-8-72 या उसके आसपास जिलाधिकारी को प्राप्त होना नहीं प्रतीत हुआ। ग्राम सभा नत्थनपुर के प्रधान ने दिनांक 1-8-72 को थाना डोईवाला पर ग्राम समाज नत्थनपुर के जंगल से कुछ पेड़ काट लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी थी जिस पर धारा 379 भा० दं० विधान का मुकदमा दर्ज करके जांच की गई ? जांच से अपराध का होना नहीं पाया गया। अतः जांच अन्तिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त कर दी गई।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का टी०ए० बिल

*14—श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़, रानी की सराय) तथा श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का टूर प्रोग्राम/टी० ए० बिल जो क्रय समिति के सिल सिले में दिसम्बर, 1971 तथा जनवरी, 1972 में कानपुर मीटिंग में जाने के संदर्भ में निदेशालय को भेजे गये थे स्वीकृत किये गये ? यदि नहीं, तो किन किन अधिकारियों के टूर प्रोग्राम/टी० ए० बिल अब भी स्वीकृत नहीं हुए तथा क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)--

क्रय समिति के सिलसिले में दिसम्बर, 1971 तथा जनवरी 1972 में कानपुर में जाने के सम्बन्ध में जो टूर प्रोग्राम टी० ए० बिल निदेशालय को भेजे गये थे उनमें से दो को छोड़ कर सब स्वीकृत कर लिये गये।

जो टी० ए० बिल/टूर प्रोग्राम स्वीकृत न किये जा सके वह विद्युत् अभियंत्रण के अध्यक्ष श्री बजरंगी राय एवं श्री एम० जे० सादी के थे उनके बिलों में 12 दिन का कानपुर में ठहराव था जब कि नियंत्रण अधिकारी ने केवल 8 दिन का ठहराव अनुमोदित किया।

मंसूरी (देहरादून) के होटलों में विभिन्न रानियों का चुनाव

*15--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को विदित है कि मंसूरी जिला देहरादून में प्रायः सभी बड़े होटलों में अर्धनग्न नवयुवतियों की परेड विभिन्न प्रकार रानियों के चुनाव के लिये होती है ? क्या सरकार अपने प्रदेश में ऐसे अश्लील प्रदर्शनों पर रोक लगायेगी ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)--

मंसूरी के दो बड़े होटलों में विभिन्न रानियों के चुनाव होते हैं। यह चुनाव कानून के अन्तर्गत अश्लील प्रदर्शनों की संज्ञा में नहीं आते हैं अतः इन पर रोक लगाना संभव नहीं है।

*16--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[5वें शुक्रवार के लिए ता० प्र० सं० 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

सरैया (फैजाबाद) के श्री राम दयाल वर्मा का डाइंग डिक्लेरेशन

*17--श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या मख्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम करमहिया, थाना सोनहा, जिला बस्ती के चौकीदार की रिपोर्ट पर एक श्री रामदयाल वर्मा, पुत्र श्री शीतल प्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम सरैया, थाना महाराजगंज, जिला फैजाबाद बुरी तरह घायल स्थिति में ग्राम करमहिया से 25 जनवरी सन् 72 को रात में सोनहा थाना, जिला बस्ती पुलिस द्वारा लाये गये और वहीं थाने में 26 जनवरी, 1972 को दिन में लगभग 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई ? यदि हां तो क्या मत्यु के पूर्व किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका बयान लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

ग्राम तेनुआ असनहारा, थाना सोनहा, जिला बस्ती के चौकीदार ने दिनांक 25-1-72 को थाना सोनहा पर एक मौखिक रिपोर्ट इस आशय की लिखाई कि उसके गांव के श्री गंगा साहू ने उसे बताया कि 24/25-1-72 की रात में एक चोर जो चोरी करके भाग रहा था, को मार कर पकड़ लिया गया है। वह पकड़े गये चोर को देख कर रिपोर्ट लिखाने आया है।

इस सूचना पर थाने पर एक मुकदमा धारा 380 भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम हुआ और उसी दिन जांच प्रारम्भ की गई। जांच के दौरान अभियुक्त ने अपना नाम रामदयाल वर्मा, निवासी ग्राम राजापुर सरैया, थाना महराजगंज, फैजाबाद बताया। अभियुक्त को घायल अवस्था में 10 बजे रात में थाने लाया गया था जहां 26-1-72 को लगभग 11-30 बजे दिन में उसकी मृत्यु हो गई।

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक का डाइंग डिक्लेरेशन नहीं अंकित कराया जा सका।

*18--श्री जयराम वर्मा--

क्या यह बात भी सही है कि मृतक के बारे में पूरी जानकारी होते हुए भी पुलिस ने उनकी लाश को लावारिश कुआंनों नदी में फेंक दी ? उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मृतक के बारे में उसके संबंधियों को पत्र द्वारा सूचना भेजी गयी थी परन्तु 27-1-72 की सायंकाल तक कोई संबंधी उपस्थित न होने के कारण मृतक के शव को कुआंनों नदी में प्रवाहित कर दिया गया।

इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराये जाने के लिये शासन ने मार्च, 72 में आदेश दिये थे। जांच अभी जारी है।

*19--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

पुलिस कप्तान, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत

*20--श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि पुलिस कप्तान, शाहजहांपुर के खिलाफ शाहजहांपुर के विधायकों, भूतपूर्व विधायकों, प्रेस रिपोर्टरों तथा नागरिकों ने कितनी लिखित शिकायतें 1-1-72 में लेकर 10-9-72 तक की? क्या यह भी सही है कि पुलिस कर्मचारियों ने भी इनके विरुद्ध लिखित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पार्टीबन्दी व बिरादरीवाद की शिकायतें की हैं? यदि हां, तो उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 1-1-72 से 19-9-72 तक पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध कुल दस शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से प्रेस रिपोर्टरों तथा नागरिकों की ओर से कोई शिकायत नहीं है। एक शिकायत पुलिस कर्मचारीगण की ओर से है किन्तु यह गुमनाम है।

दस शिकांयतों में से सात के बारे में जांच पूरी कर ली गयी है और सब आरोप निराधार पाये गये। जिन तीन शिकायतों पर अभी जांच पूरी नहीं हुई है उनमें से दो कथित भूतपूर्व विधायक की हैं तथा तीसरी गुमनाम शिकायत है।

लखनऊ महापालिका के प्राथमिक शिक्षकों का वेतन

*21--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री सच्चिदानन्द (जिला-लखनऊ) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ महापालिका ने अपने प्राथमिक शिक्षकों का माह अगस्त, 1972 का वेतन सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होने के बावजूद भी निश्चित तिथि 7 सितम्बर, 1972 तक वितरण नहीं किया? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

लखनऊ महापालिका के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन वितरण की कोई निर्धारित तिथि नहीं है। फिर भी उक्त शिक्षकों को माह अगस्त का वेतन 8-9-72 तथा 12-9-72 को वितरित कर दिया गया था।

जिला सुल्तानपुर के सोशलिस्ट सत्याग्रही

*22--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1972 में सोशलिस्ट पार्टी ने जिला सुल्तानपुर में लोक कल्याणकारी मांगों को लेकर सत्याग्रह किया? यदि हां, तो उसमें कुल कितने पार्टी सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये और उनमें से कितनों को हथकड़ी पहना कर जेल भेजा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। उक्त सत्याग्रह में माह सितम्बर, 1972 में सोशलिस्ट पार्टी के 75 सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे। किसी भी सत्याग्रही को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी।

थानाध्यक्ष बनकटा (देवरिया) के विरुद्ध शिकायत

*23—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना बनकटा के दरोगा द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1972 को 9 बजे सुबह ग्राम नोनाड़ कपरदार में सलाम न करने के कारण एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बुरी तरह से पीटने एवं गालियां देने के संबंध में शिकायती-पत्र एवं तार सितम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह में गृह मंत्री, आई० जी० पुलिस, गृह सचिव, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश, डी० आई० जी० पुलिस गोरखपुर, जिलाधिकारी एवं पुलिस कप्तान, देवरिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थानाध्यक्ष बनकटा, जिला देवरिया के विरुद्ध, प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतों से संबंधित, प्रश्नकर्ता महोदय के दो पत्र दिनांक 7 व 8 सितम्बर, 1972 एवं श्री दूधनाथ प्रसाद, सहायक अध्यापक, मिश्रौली, जिला देवरिया का तार व प्रार्थना पत्र दिनांक 6—9—72 शासन तथा विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त हुए थे।

श्री दूधनाथ प्रसाद के उक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक देवरिया ने क्षेत्र निरीक्षक द्वारा जांच कराई। उनकी जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गयीं।

प्रश्नकर्ता महोदय के दोनों पत्र तथा श्री दूधनाथ प्रसाद का प्रार्थना पत्र शासन द्वारा जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पास भेजे गए थे। उक्त सभी प्रार्थना पत्रों की जांच अब अपराध अनुसंधान विभाग की प्रशासन शाखा द्वारा किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

*24—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना बनकटा, ग्राम भैंसही के श्रीमती गुलबिया एवं उसके पुत्र को दिनांक 4—9—72 को थानाध्यक्ष बनकटा ने बुरी तरह से पीट कर थाने के हवालात में 24 घंटा बन्द रखा ? क्या इस संबंध में कोई शिकायती पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमती गुलबिया निवासिनी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जिला देवरिया ने पुलिस अधीक्षक देवरिया को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 5—9—72 को दिया था जिसमें प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायतें की गई थीं। प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र दिनांक 8-9—72 जिसका उल्लेख ऊपर प्रश्न संख्या 23 के उत्तर में किया गया है, में भी इस मामले का उल्लेख था। यद्यपि क्षेत्र निरीक्षक की जांच से यह शिकायतें भी निराधार पाई गईं, फिर भी अपराध अनुसंधान विभाग की जांच पूरी होने पर ही वस्तुस्थिति का पता चल सकेगा।

प्रयाग विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमिततायें एवं बजट में घाटा

*25—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1970—71 तथा 1971—72 में प्रयाग विश्वविद्यालय के बजट में कुल कितने रुपये का घाटा पाया गया और इन वर्षों में वहां पर क्या-क्या आर्थिक अनियमिततायें पाई गईं और राज्य सरकार निकट भविष्य में इसका क्या निराकरण करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार वर्ष 1970—71 तथा 1971—72 में घाटे की स्थिति क्रमशः 32.54 लाख तथा 27.95 लाख रुपया है। इन वर्षों में हुई आर्थिक अनियमितताओं की सूचना परीक्षक स्थानीय निधि लेखा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही विदित होगी। अभी उनकी आख्या प्राप्त नहीं हुई।

बेरोजगार तकनीशियनों को काम दिलाने की योजना

*26—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के बेरोजगार तकनीशियनों के काम देने के लिये वर्ष 1972 में करोड़ों रुपये की एक योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और ऐसे बेरोजगार लोगों की कुल संख्या वर्तमान समय में राज्य में कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8.64 करोड़ रुपये की एक प्रायोजना वर्ष 1972–73 के लिए बनायी गयी है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण सिंचाई, विद्युत, स्वायत्त शासन, सामुदायिक विकास कृषि, उद्योग, पंचायती राज तथा पशुपालन विभागों की योजनायें शामिल की गयी हैं। इन योजनाओं से तकनीकी, शिक्षित, कुशल और अकुशल आदि विभिन्न वर्गों के लगभग 1.14 लाख व्यक्तियों को ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान है ? माननीय सदस्यों की विस्तृत जानकारी के हेतु उपरोक्त प्रायोजना की प्रतियां पहले ही वितरित की जा चुकी हैं।

2—सेवायोजना कार्यालयों की जीवित पंजिकाओं में उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 जून, 1972 तक प्रदेश में 26,774 तकनीकी व्यक्ति बेरोजगार थे। इनमें से 2,448 डिग्री होल्डर तथा 3,811 डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता तथा 20,515, क्राफ्टसमैन बेरोजगार थे।

गोरखपुर में कार से रिक्शा चालक की मृत्यु

*27—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19–6–72 ई० को लगभग 9 बजे रात में एक रिक्शा चालक कार नं० डब्लू० बी० ई० 5632 से ठोकर खाकर गोरखपुर शहर में एन० ई० रेलवे स्टेडियम के दक्षिणी सड़क पर मर गया जिसकी रिपोर्ट थाना कैण्ट या कोतवाली में दर्ज कराई गई, इस पर तत्काल क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 19–6–72 को लगभग 9 बजे रात्रि में कार नम्बर डब्लू० बी० ई० 5632 से ठोकर खाकर दो रिक्शा चालकों के एन० ई० रेलवे स्टेडियम की दक्षिणी सड़क पर घायल होने की सूचना दिनांक 19–6–72 को समय 21.45 बजे थाना कैण्ट जिला गोरखपुर में प्राप्त हुई जिस पर धारा 279/338/427 भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अंकित किया गया और घायलों को तुरन्त गोरखपुर अस्पताल चिकित्सा हेतु भेजा गया। मुकदमें में विवेचना के पश्चात् 11–11–72 को चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है।

घायल रिक्शाचालकों में से किसी की भी मृत्यु होने की सूचना नहीं है।

थाना खाला बाजार, लखनऊ में दर्ज मुकदमे

*28—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना खाला बाजार में अपराध संख्या 613, दिनांक 21–5–72 ई० को भारतीय दण्ड विधान की धारा 504/508 एवं दिनांक 8–6–72 ई० को अपराध संख्या 80 में भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 में जो रिपोर्ट दर्ज हुई है उस पर अब तक क्या किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 21–5–72 को थाना खाला बाजार, लखनऊ में धारा 504/508 भा० दं० वि० के अन्तर्गत नहीं बल्कि धारा 504/506 भा० दं० वि० के अधीन अपराध संख्या 513 तथा दिनांक 8–6–72 को धारा 323 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अपराध संख्या 80 नहीं बल्कि

अपराध संख्या 480 पर रिपोर्टें दर्ज कराई गई। ये रिपोर्टें गैर-दस्तंदाजी पुलिस थी अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

रायबरेली में प्रस्तावित हल्की मोटरों का कारखाना

*29—श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगे कि हल्की मोटरों का जो कारखाना रूसी मदद से निकट भविष्य में रायबरेली में खुलने जा रहा है उसमें प्रदेश सरकार का क्या हिस्सा होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश सरकार का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा।

*30—श्री सर्वसूख सिंह—

[3रे शुक्रवार के लिए प्र० सं० 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थानाध्यक्ष, मोहनगंज (रायबरेली) की पुनः नियुक्ति

*31—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि रायबरेली के थाना मोहनगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, रायबरेली की शिकायत पर डी०आई०जी०, लखनऊ ने जुलाई, 1972 में सीतापुर स्थानान्तरण कर दिया और थानाध्यक्ष ने महमूदाबाद थाने का चार्ज भी ले लिया किन्तु ठीक तीन दिन बाद शासन के आदेशानुसार उक्त थानेदार को पुनः रायबरेली के उसी थाने में नियुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रायबरेली जिले के थाना मोहनगंज के थानाध्यक्ष श्री शियोमन्त सिंह का स्थानान्तरण उप पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ द्वारा सीतापुर कर दिया गया था, परन्तु उसे पुलिस महानिरीक्षक ने निरस्त कर दिया क्योंकि उक्त स्थानान्तरण को उपयुक्त नहीं पाया गया।

जिलाधिकारियों को रोजगार दिलाने सम्बन्धी आदेश

*32—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने हाल में जिलाधिकारियों को इस आशय का आदेश भेजा है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से योजनायें बनाई जायें? यदि हां, तो उस पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। पत्र की† प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गयी है।

*33—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आजमगढ़ के कानिस्टेबिलों की भर्ती में अनुसूचित जाति आरक्षण कोटा

*34—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत पुलिस विभाग में वर्ष 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 में वर्षवार कुल कितने कांनिस्टेबुलों की भर्ती की गई और उनमें हरिजन कर्मचारियों की संख्या व प्रतिशत क्या है ? क्या शासन के आदेश संख्या 65/3/69 रा० एकी० (यम० आर–13) दिनांक लखनऊ, 9 जून, 1969 के अनुसार उक्त भर्ती में अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा पूरा किया गया है? यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं,तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आजमगढ़ जिले में वर्षवार कांस्टेबिलों की भर्ती का विवरण एवं उनमें हरिजनों (अनुसूचित जाति) की संख्या निम्नलिखित थी:—

वर्ष		कुल भर्ती	अनु० जाति की संख्या	अनु० जाति का प्रतिशत
1969–70	..	3	..	शून्य
1970–71	..	5	..	शून्य
1971–72	..	21	..	42.85
	योग	29	9	31.03

शासनादेश संख्या 65/3/69–रा० एकी० (एम० आर०–13), दिनांक 9 जून, 1969 के अनुसार उक्त भर्ती में वर्ष 1969–70, 1970–71 का अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा अग्रनीत करक वर्ष 1971–72 में पूरा कर लिया गया।

*35—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कानपुर उद्योग निदेशालय के स्टोर्स पर्चेज विभाग के माध्यम से सरकारी खरीद में हानि

*36—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को यह विदित है कि स्टोर्स परचेज विभाग, कानपुर उद्योग निदेशालय के यहां से सरकारी और अर्ध सरकारी वस्तुओं की खरीद के लिये जो वार्षिक दर निर्धारण किया जाता है उसमें कम से कम कीमत और अधिकतम कीमत दोनों की ही दरें स्वीकार कर ली जाती हैं जब कि टेण्डर में उसका स्पेसिफिकेशन एक ही होता है ? क्या मन्त्री जी को विदित है कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का सरकारी खरीद में करोड़ों रुपयों का नुक्सान हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किसी वस्तु के दर अनुबन्ध को तय करने के लिये टेण्डर मांगें जाते हैं। जो टेन्डर्स स्पेसीफिकेशन के अनुसार होते हैं तथा जो टेन्डर नोटिस की आवश्यक शर्तों के अनरूप होते हैं उन पर विचारोपरान्त न्यूनतम मूल्य से लेकर आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक 15 प्रतिशत तक मूल्य की परिधि में आने वाली वस्तु की दर अनुबन्ध के लिये स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी वस्तु का एक ही विशेष मेक हैं और विभिन्न फर्मों ने इस वस्तु के लिये भिन्न-भिन्न दरें बतायी हैं, तो केवल न्यूनतम दर को ही स्वीकार किया जाता है।

शासन को उपर्युक्त आधार पर क्रय करने से कोई हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले के स्कूलों में कुएं का अभाव

*37—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मख्य मन्त्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में काफी संख्या में बालक तथा बालिकाओं के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें बालक तथा बालिकाओं को पानी पीने के लिये कुंआ नहीं है जिससे स्कूल छात्रों को भारी परेशानी होती है और काफी दूर-दूर पानी के लिये जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कप्तान पुलिस, शाहजहांपुर के पास सीक्रेट फंड

*38—श्री बंशीधर पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में कप्तान पुलिस के पास पिछले दो साल यानी 28-9-70 से 27-9-72 के बीच (Secret Fund) कितना था और इसी दरमियान पुलिस बैण्ड का कितना रुपया वसूल हुआ ? यह रकम कहां-कहां खर्च की गई और क्या इनको बैंक में रक्खा गया था? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सिक्रेट फन्ड के सम्बन्ध में वांछित सूचना दिया जाना जनहित में नहीं है। जहां तक पुलिस बैंड का सम्बन्ध है शाहजहांपुर जिले में 28 सितम्बर, 1970 से 27 सितम्बर, 1972 के बीच कुल रु० 2,544.76 पै० की धनराशि प्राप्त हुई जिसमें बैंक में जमा धनराशि पर मिली रु० 77.26 पै० के ब्याज की रकम भी सम्मिलित है। उपरोक्त धनराशि में से रु० 1,995.70 की धनराशि निम्नांकित मदों पर व्यय की गई:—

(1) बैंड बजाने वाले पुलिस कर्मचारियों तथा आंशिक को हिसाब रखने का भत्ता।
(2) पुलिस के खिलाड़ियों को अच्छा भोजन।
(3) फोटोग्राफी एवं बैंड के सामान की खरीदारी।
(4) खिलाड़ियों का फोटो ग्रुप।
(5) फार्म की छपाई तथा एक रजिस्टर की खरीदारी।
(6) फोटोग्राफी के कमरे में नल का कनेक्शन लगवाने पर।

पुलिस बैंड के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली धनराशि बैंक में ही जमा होती है। अतः प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता है।

परिगणित जाति की ट्रेण्ड लड़कियों की सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पद पर नियुक्ति

*39—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिगणित जाति की कितनी लड़कियां जनवरी सन् 1970 से जुलाई, 1972 तक ट्रेण्ड हुई हैं जो सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पद पर नियुक्त की जा सकीं और कितनी अभी नियुक्त नहीं हुई हैं ? सरकार उन ट्रेण्ड लड़कियों की नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*40—श्री त्रिलोक चन्द, श्री मुल्तान सिंह, श्री मोहम्मद असरार अहमद, श्री सच्चिदानन्द तथा श्री राम प्रसाद देशमुख—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गोरखपुर रेंज में नई पुलिस चौकियां तथा नये थानें खोलने का प्रस्ताव

*41—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रेंज के किस किस जिले में कहा-कहां नई पुलिस चौकियां तथा नये थाने खोलने के लिये जनवरी, 1969 से सितम्बर, 1972 तक कितने प्रस्ताव अधिकारियों एवं सरकार को प्राप्त हुए हैं, उनमें से कितने स्थानों पर नई पुलिस चौकी तथा नया थाना खोलने का निश्चय हुआ तथा कितने अभी विचाराधीन हैं ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना संलग्न †तालिका में दी हुई है।

---

†छापी नहीं गयी।

इलाहाबाद नगर महापालिका के अधिकारियों व मल्लाहों में झगड़ा

*42—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को विदित है कि इलाहाबाद नगर महापालिका के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1969 को शहर के मल्लाहों पर गोली चलाई गई थी और उससे अनेक मल्लाह हताहत हुए तथा कुछ की मृत्यु भी अस्पताल में हो गई थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 30-7-1969 को नगर महापालिका इलाहाबाद के अधिकारी अपने आदमियों सहित संगम क्षेत्र में मल्लाहों से नाव कर वसूलने गये थे। मल्लाहों द्वारा कर न दिये जाने के कारण जब नावें जब्त की जाने लगी तो इस पर महापालिका कर्मचारियों और मल्लाहों में झगड़ा हुआ। इसमें महापालिका के कर्मचारी घायल हुए जिसमें से 2 को अग्निशस्त्रों की चोटें आई। उन दो में से एक की अस्पताल में मृत्यु हो गई। किसी मल्लाह के घायल होने की सूचना नहीं दी गयी, किन्तु मल्लाहों की ओर से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें नगरमहापालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आक्रमशे करने तथा उनकी नावें उठा ले जाने के आरोप लगाये गये। उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को, उक्त ज्ञापन पुलिस को विवेचना हेतु भेजने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायगी।

आई० टी० आई०, फर्रुखाबाद में मैकेनिक ट्रेड खोलने की मांग

*43— श्री महराम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में भारी संख्या में किसानों के पास ट्रैक्टर तथा निजी नलकूप है जो मैकेनिक के अभाव में अक्सर खराब होने पर ठीक नहीं हो पाते तो क्या सरकार तुरन्त फर्रुखाबाद आई० टी० आई० में ट्रैक्टर मैकेनिक, नलकूप मैकेनिक तथा कोल्ड स्टोरेज में काम आने वाली मशीनों के मैकेनिक ट्रेड फर्रुखाबाद आई० टी० आई० में खोलने पर विचार करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जिला फर्रुखाबाद में किसानों के पास कितने ट्रैक्टर तथा नलकूप हैं इसको अध्यतम सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु सरकार अवश्य ही इस बात पर विचार कर रही है कि ट्रैक्टर मैकेनिक व्यवसाय का प्रशिक्षण जो अभी केवल 10 प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाता है, कुछ और जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी दिया जावे।

तेल से चलने वाले नलकूपों को दुरुस्त रखने के लिये कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मैकेनिक आई० सी० ई० व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात पर अवश्य विचार किया जावेगा कि कुछ अन्य स्थानोंसे कुछ सीटें फर्रुखाबाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्थानान्तरित कर दी जावें।

जहां तक कोल्ड स्टोरेज को दुरुस्त रखने का प्रश्न है, रेफरिजरेशन मैकेनिक व्यवसाय के प्रशिक्षण की सुविधा 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध है। फर्रुखाबाद में अलग से इसकी सुविधा वर्तमान साधनों के अन्तर्गत देना सम्भव नहीं है।

गोण्डा जिले के अध्यापकों के अधीन अनुसूचित बैंकों में खाता खोलने की कार्यवाही

*44—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिले में ऐसे कौन-कौन से सरकारी मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज हैं जहां कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज के अध्यापकों के अधीन अनुसूचित बैंकों में खाता खोले जाने की कार्यवाही प्रयोग में नहीं लाई गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1150 पर)

गगहा (गोरखपुर) के राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*45—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना गगहा, जिला गोरखपुर के भिन्न-भिन्न राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र फरवरी, 1972 में सरकार को पेंशन हेतु प्राप्त हुए और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त प्रार्थना-पत्र जिलेवार एक स्थान पर नहीं रक्खे जाते। सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार हो रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर जानकारी चाहें तो दी जा सकती है।

भदराव, थाना मीरगंज (जौनपुर) में चोरी व मारपीट में श्री राम प्रसाद की मृत्यु

*46—श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 29-9-72 को सात बजे सुबह मीरगंज, जिला जौनपुर के थानेदार ने राम प्रसाद नामक मुसहर को पकड़ा और थाने में लेजाकर उसको इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार मेडिकल रिपोर्ट और उस मामले से संबंधित सारा रिकार्ड सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 29-9-72 को 11.05 बजे सुबह थाना मीरगंज पर गुदरी पुत्र राम सरन मौर्य, निवासी ग्राम भदराव, थाना मीरगंज, जिला जौनपुर द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जब वह 28-9-72 की बीती रात में अपनी मड़ई में सोया था तो उसे करीब ढाई तीन बजे कुछ आहट हुई जिससे उसकी नींद खुल गई और टार्च की रोशनी में उसने बाहर दो आदमियों को लाठी लिये खड़े देखा। उसके टोकने पर एक आदमी दालान के अन्दर से उसका एक छोटा बक्सा जिसमें उसके कुछ कपड़े तथा 480 रु० रखे हुए थे, बाहर लेकर निकला तथा उसी के पीछे एक चोर हाथ में बटुआ लिये हुए निकला। वादी के चोर चोर का शोर करने पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गये। चोरों ने अपने को घिरा हुआ देखकर लाठी से वार करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी चोरों का लाठी डन्डा से मुकाबला किया। अन्य चोर भाग निकले परन्तु एक चोर मारपीट कर पकड़ लिया गया जिसने अपना नाम राम प्रसाद पुत्र बरजन मुसहर, निवासी निगोह, थाना मीरगंज बताया। मारपीट कर पकड़ने में उसे कुछ चोटें आईं और गांव वालों द्वारा थाना लाये जाते समय उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। इस मारपीट में गांव के दो व्यक्तियों को भी चोटें आई हैं। गुदरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा 457/380 भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 11 चोटें होना अंकित है।

राम प्रसाद मुसहर के मृत्यु के सम्बन्ध में भी मजिस्टीरियल जांच हो रही है।

श्रम निरीक्षकों का परीक्षाफल

*47—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़), श्री राममूर्ति 'अंचल' तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने नवम्बर सन् 1969 में 54 श्रम निरीक्षकों के पद के लिये परीक्षा लिया था जिसका परीक्षाफल 29 जुलाई, 1971 को घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इनको अब तक नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है और इनमें हरिजन अभ्यर्थियों की संख्या क्या है ?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी—

जी हां। यह परीक्षा सम्मिलित प्रवर अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत श्रम निरीक्षकों सहायक व्यवसायिक संघ निरीक्षकों आदि के लिये हुई थी। श्रम निरीक्षकों के पदों के लिये अभ्यर्थियों का आबंटन शासन के नियुक्ति विभाग द्वारा 7 मार्च, 1972 को हुआ था। 54 श्रम निरीक्षकों में से 40 सामान्य अभ्यर्थी हैं तथा 14 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं। इनके आवेदन पत्र लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य विभागों में भेज देने के कारण वहां से देर से प्राप्त हुए। इसके पश्चात् औपचारिकतायें पूर्ण करने में समय लगा। जिसके कारण सभी नियुक्तियां नहीं हो पायी हैं। अब तक 40 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं जिनमें से 8 अनुसूचित जाति के हैं।

गोंडा के दंडित थानेदारों के निलम्बन की मांग

*48—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्रीबताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा के मुंसिफ न्यायालय से तीन थानेदारों को 26 जून, 1972 को दो वर्ष की सजा हुई है यदि हां तो कौन-कौन से थानेदार थे और सजा होने के बाद मोअत्तल किये गये या नहीं ? यदि नहीं किये गये तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह सही है कि दिनांक 29-6-72 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट गोंडा के न्यायालय से तीन सब इंस्पेक्टरों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा उनमें से एक सबइंस्पेक्टर पर एक सौ रुपया जुर्माना भी किया गया। उक्त सब इंस्पेक्टरों के नाम सर्व श्री विभूति मिश्रा, कोमल मिश्रा तथा शतीश चन्द्र पाण्डे है। उक्त निर्णय के विरुद्ध सबइंस्पेक्टरों की अपील पर सिविल व सेशन जज, गोण्डा के न्यायालय से सजा कम कर दी गई थी। दो सब-इंसपेक्टरों ने उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर दी है जो विचाराधीन है। अपील के निर्णय हो जाने के उपरान्त जो कार्यवाही अपेक्षित होगी की जायेगी।

निगम निर्देशन समिति एवं समन्वय समिति की स्थापना

*49—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में निगम निर्देशन समिति और निगम समन्वय समिति की स्थापना किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा कब की गई और इनके सदस्यों की सूची क्या है तथा उस पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गत अक्टूबर माह में निगम निदेशन समिति तथा निगम समन्वय समिति की स्थापना राज्य सरकार के विभिन्न प्रादेशिक निगमों के कार्य में समन्वय लाने के लिये की गई।

निगम निर्देशन समिति का कार्य विभिन्न निगमों की नीतियों का निर्धारण करना ताकि वे राज्य सरकार के आर्थिक एवं विकास सम्बन्धी उद्देश्यों के अनुरूप हों, तथा निगमों की प्रगति व योजनाओं के कार्यान्वियन की समीक्षा करना होगा। निगम समन्वय समिति का कार्य विभिन्न निगमों का आपसी समन्वय, नीतियों में सामंजस्य व कार्यों में तालमेल लाना तथा विकास सम्बन्धी सूचनाओं का आदान-प्रदान करना होगा।

इन समितियों के सदस्यों की सूची संलग्न है। इन समितियों पर कोई व्यय नहीं होगा। लखनऊ के बाहर से आने वाले सदस्य नियमानुसार अपना यात्रा-भत्ता अपने मौलिक निगम/विभाग से लेंगे।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ...1151..पर)

जनपद आजमगढ़ के राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन

*50—श्री दर्लासगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने राजनैतिक पीड़ित लोगों को पेंशन मिल रही है और कितने लोगों के प्रार्थना पत्र पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ? क्या उन सभी लोगों की एक सूची सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिलेवार सूचना एक जगह रखी नहीं रहती है । यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी चाहें तो दी जा सकती है ।

गोंडा आई० टी० आई० समिति का प्रस्ताव

*51—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा आई० टी० आई० समिति का कोई प्रस्ताव इस आशय का कि सरकार सभी विद्यार्थियों को स्टाइपेन्ड दे, दिनांक 7 अक्तूबर, 1972 का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद जौनपुर के थानाध्यक्षों एवं पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

*52—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

52—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के कितने थानाध्यक्षों एवं पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सन् 1972 में जुलाई मास से 13 अक्टूबर तक पुलिस अधीक्षक जौनपुर को प्राप्त हुए एवं उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जौनपुर जनपद के 5 थानाध्यक्षों तथा 4 पुलिस सब इन्सपेक्टरों के विरुद्ध 1 जुलाई, 1972 से 13 अक्तूबर 1972 की अवधि में भ्रष्टाचार संबंधी 9 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे । उक्त 9 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 5 शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच पूरी हो गई है तथा उनमें दो थानाध्यक्षों और तीन सब-इंसपेक्टरों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप जांच से सही नहीं पाये गये । शेष 4 शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच अभी हो रही है ।

*53—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

[4वें गुरुवार के लिये स्थगित]

प्रशासकीय अधिकारियों की विदेश यात्रा

*54—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के कौन-कौन अधिकारी वित्त वर्ष 1970–71 व 1971–72 में अलग-अलग कब से कब तक विदेश यात्रा पर किस प्रयोजन से और किस-किस देश में गये तथा उनकी अलग-अलग यात्रा पर किस-किस मद से कितना-कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पूरे बेलखरिया (सुल्तानपुर) के हरे वृक्षों को काटने की शिकायत

*55—श्री सियाराम, (जिला एटा), श्री राम निहोर राय, श्री नेतराम सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 अक्तूबर, 1972 से 22 अक्तूबर, 1972 के बीच ग्राम पूरे थाना बेलखरिया जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में कुछ नागरिकों द्वारा हरे वृक्षों के बाग काटने की शिकायत पर डी० वाई०, एस० पी० की सुल्तानपुर ने जांच की और क्या यह सच है कि जिन व्यक्तियों ने हरे वृक्ष काटने वालों के विरुद्ध शिकायत की थी उन्हीं डी० वाई० एस० पी द्वारा धमका करके भगा दिया? यदि हां, तो सरकार इस मामले में पूर्ण जांच कराके डी० वाई० एस० पी० के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

रशीदपुर (शाहजहांपुर) में गोली चलने की घटना

*56—श्री भानु प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जुलाई अथवा अगस्त, 1972 में ग्राम रशीदपुर, थाना परौर जिला शाहजहांपुर में दिन दहाड़े भयानक गोली चली जिसके फलस्वरूप अनेक मनुष्य तथा जानवर जख्मी हुए और जिसकी नामजद रिपोर्ट भी थाना परौर में भारतीय दन्ड विधान की धारायें 307, 147, 148, 323, 324, 325, 452 आदि की दर्ज की गई किन्तु आज तक मुलिजमान की गिफ्तारी नहीं हुई तथा मुलिजमान के आग्नेय-अस्त्रों के लाइसेंस पुलिस अधीक्षक ने निलम्बित नहीं किये? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला शाहजहांपुर के थाना परौर के अन्तर्गत ग्राम रशीदपुर में दिनांक 5-8-72 को प्रातः कुछ लोगों के विरुद्ध आक्रमण करने, गोली चलाने तथा तीन व्यक्तियों के घायल हो जाने के सम्बन्ध में उसी दिन थाना परौर पर नामजद रिपोर्ट धारा 149/148/307 भा०द० वि० के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी। किसी जानवर के घायल होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। 30 मुलिजमान गिरफ्तार अथवा हाजिर अदालत हुए। जो मुलिजमान अग्नेय अस्त्रों के लायसेन्सी हैं उनके लायसेन्स को निलम्बित करने की कार्यवाही की जा रही है।

गुन्नौर (सुल्तानपुर) के हरिजनों की शिकायत सम्बन्धी जांच

*57—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री सियाराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 अक्तूबर, 1972 को ग्राम गुन्नौर थाना मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के हरिजन नागरिकों की शिकायत की जांच करने के सम्बन्ध में डी० वाई० एस० पी० सुल्तानपुर पधारे? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्होंने जांच के दौरान वहां के हरिजनों तथा कुछ अन्य सभ्य नागरिकों को बुरा भला कहा और बन्दूक लेकर मारने दौड़े? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम गुन्नौर थाना मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के कुछ हरिजनों के शिकायती प्रार्थना-पत्रों की जांच हेतु उप पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर दिनांक 16-10-72 को ग्राम गुन्नौर गये थे। प्रश्न में उल्लिखित आशय की शिकायत समाचार पत्र में प्रकाशित होने और एक शिकायती पत्र के प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर ने मामले की जांच की। जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई।

नगलापाटम (आगरा) के तीन व्यक्तियों को जिन्दा जलाने की घटना

*58—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या सरकार को पता है कि तारीख 22 अक्तूबर, 1972 को आगरा जिले के गांव नगला पाटम में तीन व्यक्तियों को थाना पुलिस के इन्चार्ज की मौजूदगी में जिन्दा जला कर हत्या कर दी गई जिससे समस्त जिले में पुलिस के खिलाफ रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा जिले के गांव नगलापाटम में तीन व्यक्तियों के जलाये जाने की घटना की रिपोर्ट थाना इरादतनगर में दर्ज है किन्तु यह सही नहीं पाया गया कि यह घटना थाना पुलिस के इंचार्ज की मौजूदगी में घटित हुई थी। इसके विपरीत तथ्य यह है कि घटना के बाद गांव नगलापाटम पहुंचने पर भी थाना इंचार्ज घटनास्थल पर नहीं गये तथा उनकी इस अकर्मण्यता के लिए उन्हें निलम्बित किया जा चुका है। घटना के बाद क्षेत्राधिकारी को वहां एक सप्ताह का कैम्प करया गया तथा अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस भी नियुक्त कर दी गयी। जांच से जनता में पुलिस के प्रति लेश मात्र भी रोष नहीं पाया गया। इस घटना से संबंधित सभी 15 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/302/201/436 भा० द० विधान के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है

ग्राम सभा चन्दौर (बांदा) में जूनियर हाई स्कूल स्थापित करने की मांग

*59—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा चन्दौर विकास खंड नरैनी (बांदा) में एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित करने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं।

दुम्मर (पिथौरागढ़) के निकट गौरी नदी पर पुल का निर्माण

*60—श्री गोपालदत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के दुम्मर ग्राम के पास गौरी नदी पर पुल बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पुल के अब तक तैयार न होने के क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। अब तक पुल तैयार न होने का कारण यह है कि पुल का जो डिजाइन पहले बना था उसको बाद में ठीक नहीं पाया गया अतः डिजाइन दुबारा बनाना पड़ा तथा लोहे के पार्ट्स का भी सुदृढ़ीकरण करना पड़ा।

*61—श्री गोपालदत्त ओझा—

[3रे मंगलवार में तारा० प्र० सं० 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*62—श्रीमती मसाली देवी—

[3रे सोमवार में तारांकित प्र० सं० 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्टर कालेज, गोरखपुर के छात्रों की छात्रवृत्ति

*63—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में पं० जवाहरलाल नेहरू इन्टर कालेज में वर्ष 1971 की हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा में कितने छात्रों को शासन की ओर से छात्रवृत्ति दी जा रही है ? क्या मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अधिक नम्बर पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति न दे कर सबसे कम नम्बर पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ? कितने छात्र वर्ष 1971 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुये थे ? उनके नाम और क्रमांक कितने थे

एवं उनमें से कितने को छात्र वृत्ति दी जा रही है ? क्या 1 सितम्बर, 1972 से 20 अक्तूबर, 1972 तक मन्त्री एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायत मिली थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

होम गार्ड का पुनर्गठन

*64—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि होम गार्ड विभाग का पुनर्गठन अन्तिम रूप से कब तक कर दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

होमगार्डस विभाग के नाम से कोई विभाग नहीं है । परन्तु होमगार्डस संगठन है एवं इसके पुनर्गठन को अन्तिम रूप से चालू वित्तीय वर्ष में करने की प्रचेष्टा की जा रही है ।

बरोरा (शाहजहांपुर) में श्री इन्दर की हत्या

*65—श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर के थाना खुदागंज के ग्राम बरोरा में दिनांक 17 सितम्बर, 1972 को श्री इन्दर की नृशंस हत्या दिनदहाड़े कर दी गई जिसकी रिपोर्ट थाना निगोही में नामजद दर्ज है किन्तु फिर भी आज तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम बरौरा जिला शाहजहांपुर में दिनांक 17-9-72 को श्री इन्दर की हत्या हो जाने के सम्बन्ध में थाने पर नामजद रिपोर्ट की गई थी । सभी मुल्जिमान अदालत में हाजिर हुए । इस मामले में सात अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है ।

सडाखास (शाहजहांपुर) के बन्दूक लाइसेंसदारों पर मुकदमें

*66—श्री महातम प्रसाद तिवारी—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि थाना निगोही, जिला शाहजहांपुर के ग्राम सडाखास जिला शाहजहांपुर के कुछ बन्दूक के लाइसेंसदारों पर भारतीय दंड विधान की धारा 307, 147 आदि के मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं फिर भी पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने उनके अग्नेय अस्त्र आज तक निलम्बित नहीं कराये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार की जानकारी के अनुसार मुकदमे 7 अभियुक्तों में से 6 के लाइसेंस दिनांक 22-4-71 को निलम्बित किये जा चुके हैं । केवल 1 अभियुक्त लाइसेंसी का लाइसेंस तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने निलम्बित कराना उचित नहीं समझा था । चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतएव इस सम्बन्ध में अधिक कहना उचित नहीं होगा ।

जिला चमोली में हाईड्रम स्कीम

*67—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में अब तक कितने हाईड्रम स्कीम संचालित हो रही हैं और जिला प्रशासन ने शासन से कितने और हाईड्रम स्कीम की मांग की है और इसी के साथ-साथ क्या कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किन-किन स्थानों में उक्त योजनाओं के लगाने का प्रस्ताव है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद चमोली में गडोरा नामक स्थान में एक हाईड्रम स्कीम संचालित हो रही है । जिला प्रशासन ने 21 स्थानों पर हाईड्रम स्कीमें लगाने की मांग की है, जिसमें 8 स्थान कर्णप्रयाग

निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इन स्थानों पर सर्वेक्षण हो जाने के बाद ही यह निर्णय किया जायेगा कि हाईड्रम किन- किन स्थानों में लगाये जा सकते हैं।

मुरादाबाद आदि जिले में गन्ने की फसल में पाइरिला

*68—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि प्रदेश के पश्चिम जनपदों में विशेष कर बदायूं तथा मुरादाबाद में गन्ने की फसल पर इस वर्ष पाइरिला का प्रकोप हो गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद बदायूं में नहीं बल्कि मुरादाबाद एवं कतिपय अन्य जिलों में कहीं-कहीं पर गन्ने की फसल पर पाइरिला कीट के प्रकोप की सूचना गन्ना आयुक्त से प्राप्त हुई है। पाइरिला कीट की रोकथाम हेतु कीटनाशक औषधियों का छिड़काव व धूलीकरण किया गया है।

*69—श्री शिवराज सिंह—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अगवानपुर (मेरठ) के श्री मुन्ना लाल की हत्या का प्रयास

*70—श्री चन्द्रभान शर्मा —

क्या सरकार को मालूम है कि दिनांक 1 अप्रैल, 1972 की रात को मौजा अगवानपुर, जनपद मेरठ के श्री मुन्ना लाल पर इश्तयाक अहमद और नुरूलजमा ने उनको जान से मारने के लिये फायर किया और यह केस पुलिस स्टेशन परीक्षतगढ़ में दर्ज हुआ और मुल्जिमान गिरफ्तार किये गये? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस केस को चार्जशीट अदालत को भेज दी गई? यदि नहीं, तो किन कारणवश?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना परीक्षतगढ़ में दिनांक 1-4-72 को श्री मुन्ना लाल, निवासी, अगवानपुर को अज्ञात लोगों द्वारा लोगी मार दिये जाने के संबंध में धारा 307 भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के दौरान अभियुक्त इश्तयाक अहमद और नुरूलजमा के नाम प्रकाश में आये। दोनों अभियुक्त अदालत में हाजिर हुए जो दिनांक 19-5-1972 को जमानत पर रिहा हुए। उक्त मामले में आरोप-पत्र न्यायालय को भेज दिया गया है।

राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र, वृन्दावन (मथुरा) की अध्यापिकाओं का मार्ग व्यय

*71—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

दिनांक 31 जुलाई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र वृन्दावन (मथुरा) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सेवारत जिन अध्यापिकाओं को पिछले पांच वर्षों से मार्ग व्यय का भुगतान नहीं किया गया है? उन्हें उनको प्राप्त होने वाली धनराशि मनीआर्डर द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र वृन्दावन (मथुरा) की सेवारत अध्यापिकाओं को पिछले पांच वर्षों का मार्ग व्यय का भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्दर मनीआर्डर द्वारा कर दिया जायगा

पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) की बरात में झगड़ा

*72—श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या सरकार को मालूम है कि 15 व 22 जून, 1972 के बीच कस्बा पुरकाजी मुजफ्फरनगर में एक बरात के जुलूस में झगड़ा हुआ जिसमें दो आदमियों को छूरे से मौके पर ही मार डाला गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उनमें से कौन-कौन गिरफ्तार हुये हैं और जो मफरूर हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 21 22-6-72 की की रात्रि को कस्बा पुरकाजी में एक बारात निकल जाने के बाद छुरेबाजी की घटना हुई, जिसमें दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। इस घटना के सिलसिले में 6 अभियुक्तों अनिल, योगेन्द्र, मुस्तकीम उर्फ हाई, कल्लू, मकसूद व शफीकुल हसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। मुस्तकीम उर्फ हाई ने 18-6-72 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया था अन्य पांच 22-6-72 को गिरफ्तार कर लिये गये थे। अभियुक्तों में से कोई भी मफरूर नहीं है।

कानपुर में जमुना नदी के किनारे मोरम वाले स्थानों का निरीक्षण

*73—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सन 1970 में अपने निजी अधिकारी द्वारा कानपुर जमुना नदी के किनारे मोरम निकलने वाले स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कराया है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों का और क्या निरीक्षण अधिकारी ने मोरम उद्योग को विकसित करने के लिये कोई सुझाव दिये हैं ? यदि हां, तो उन सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। परीक्षण निरीक्षण ग्राम देवरहट-हंसपुर, परगना भोगनीपुर, जिला कानपुर का कराया गया। मौजा देवरहट परगना भोगनीपुर जिला कानपुर के निवासियों के एक प्रत्यावेदन के आधार पर उक्त क्षेत्र के खनिज विभाग के हित में एक पक्की सड़क अकबराबाद से देवहट-हंसपुर तक बनवाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु उक्त निरीक्षण-परीक्षण कराया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र में पक्की सड़क बनाने की सिफारिश नहीं की गई थी। अतः शासन द्वारा उक्त निरीक्षण परीक्षण रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

त्रिलोकपुर (शाहजहांपुर) के तीन व्यक्तियों की हत्या

*74—श्री अब्दुल सलाम शाह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम तिलोकपुर, थाना, कांट, जिला शाहजहांपुर में दिनांक 31 अक्टूबर, 1972 को दिन दहाड़े तीन व्यक्तियों की नृसंश हत्या गांव में कर दी गई तथा इसी प्रकार कुछ महीने पहिले भी यहां दो हत्या की गई थीं ? यदि हां, तो भविष्य में क्या प्रबन्ध सरकार ने किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कांट के अन्तर्गत ग्राम तिलोकपुर में दिनांक 30-31 10-72 की रात में डकैती तथा उसमें तीन व्यक्तियों की हत्या हो जाने की सूचना दिनांक 31-10-72 को प्राप्त पुलिस को मिली थी। इस घटना के पहले इसी ग्राम में केवल एक घटना मारपीट की दिनांक 7-6-72 को हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में हो गई थी। भविष्य में इस प्रकार की घटना की रोकथाम व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पार्टी बन्द व झगड़ालू व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107/117 जा० फा० की कार्यवाही की गई है।

थाना मुसाफिर खाना (सुल्तानपुर) के विभिन्न ग्रामों मे डकैतियां तथा पीपरपुर के दरोगा का अभद्र व्यवहार

*75—श्री सूरज लाल गुप्ता (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगें कि थाना मुसाफिर खाना, जनपद, सुल्तानपुर के ग्राम मवैया के पुरवा मितई पान्डेपुरा मेंपुराने साहूकार, श्री अशर्फी पान्डे तथा कोरारी वीरशाही ग्राम के दो व्यक्तियों के यहां और दक्षिण गांव के बैनी के पुरा में अक्तूबर, नवम्बर, 1472 में अग्नेय अस्त्रों से लैउस दस्युओं ने डकैती डाली और उन ग्रामीणों को लूट लिया ? क्या यह सच है कि उक्त क्षेत्र के 40मैं मील डाकुओं का आतंक व्याप्त है। यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनक 30-31—10—72 की रात में मितई पांडेय का पुरवा मजरे मवइया जिला सुल्तानपुर के श्री अशर्फी पांडेय के यहां अग्नेय अस्त्रों से लैस, डकैत द्वारा डकैती डाले जाने की सूचना थाना पर 31—10—72 को प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर एक मुकदमा धारा 395/397 भा०दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

कोरारी वीरशाही ग्राम के दो व्यक्तियों के यहां और बेनी के पुरवा में अक्तूबर नवम्बर, 72 में कोई डकैती नहीं पड़ी।

थाना मुसाफिरखाना जिले 540 मिल के क्षेत्र में डाकुओं का आतंक होने की बात ही नहीं है फिर भी सुल्तानपुर जनपद में दो दस्य उन्मूलन दलों की स्थापना पी० ए० सी० व सशस्त्र गार्ड के गस्त की व्यवस्था की गई है और थानाध्यक्षों था शेत्राधिकारियों को भी सतर्क कर दिया गया है।

*76—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा रेंगे कि क्या यह सच है कि थाना पीपरपर, जनपद सुलतानपुर के दरोगा ने अक्तूबर, नवम्बर, 1972 में स्थानीय रामगंज बाजार के कुछ सभ्य नागरिकों को बरी तरह पीटा एवं उनलोगों के साथ अभद्र व्यवहर किया ? क्या यह भी सच है कि स्थानीय निवासियों ने इस घटना की सूचना पुलिस महानिरीक्षक को तार द्वारा दी ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम रामगंज थाना पीपरपर जिला सुल्तानपुर के निवासी श्री भग्गू ने एक तार दिनांक 24—10—72 को पुलिस अधीक्षक ल्तानपर को भेजा था जिसमें उन्होंने थाना पीपरपुर के छोटे दरोगा तथा एक सिपाही के विरुद्ध उनके पुत्र को मारने पीटने, थाने में बन्द करने तथा कुछ अन्य लोगों को बन्द करने की धमकी देने की शिकायती की थी। शिकायत की जांच क्षेत्र निरीक्षक द्वारा कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध शिकायतें सही नहीं पाई गई।

उपपुलिस अधीक्षक, तिलहर (शाहजहांपुर) टी० ए० तथा डी० ए०

*77—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप पुलिस अधीक्षक, तिलहर शाहजहांपुर ने जनवरी, 1972 से 30 अक्तूबर, 1972 तक कितनी डकैतियों तथा कत्लों के स्थान का

निरीक्षण किया तथा ऊपरी अवधि में किन-किन ग्रामों में रात्रि विश्राम किया और इस सम्बध में कितना टी० ए० तथा डी० ए० वसूल किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्नगत अवधि में पुलिस उपाधीक्षक, तिलहर क्षेत्र ने 14 डकैतियों तथा 27 हत्या वाले स्थानों का निरीक्षण किया। उक्त अवधि में उन्होंने किसी भी ग्राम में रात्रि विश्राम नहीं किया इस अवधि में उन्हें विश्राम भत्ता नहीं दिया गया, केवल उन्हें 186 रु० दैनिक भत्ता दिया गया।

फिल्म इंस्टीट्यूट, पूना में ट्रेनिंग लेने वाले प्रदेशीय कलाकर

*78--श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फिल्म इंस्टिट्यूट, पूना में उत्तर प्रदेश के कितने कलाकार विभिन्न विषयों में ट्रेनिंग ले रहे हैं तथा क्या उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्कालर शिप दी जा रही है ? यदि हां, तो प्रतिमाह प्रति कलाकार को कितनी धनराशि ? क्या यह सही है कि यहां की सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण तथा स्टूडियों स्थापित करने के लिये प्रेरणा स्वरूप कुछ छूट तथा आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन--

फिल्म एण्ड टेलीवीजन इंस्टीट्यूट आफ इंडिया पूना के विभिन्न पाठ क्रमों में उत्तर प्रदेश के 22 छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं। उक्त इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों की सहायता एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 19-1-72 से 6 छात्रवृत्तिां स्वीकृत जिसमेंसे दो छात्रवृत्तियां 100 रु० प्रतिमाह तथा शेष चार छात्र वृत्तियां 75 रु० प्रतिमाह की हैं जो प्रत्येक शिक्षा सत्र में 10 माह के लिये देय हैं।

सरकार इस प्रदेश में फिल्मों के निर्माण तथा स्टूडियों स्थापित करने के लिये प्रेरणा स्वरूप किसी छूट अथवा आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है।

जिला उद्योग समितियों में असरकारी सदस्यों का नामांकन

*79--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के उप सचिव उद्योग विभाग के पत्र संख्या 2500 (जी) 18-9-185 (जी)-72, दिनांक 16 अगस्त, 1972 द्वारा जिला उद्योग समितियों में गैर सरकारी सदस्यों का जो नामांकन किया है उसका आधार क्या है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

शासन के पत्र सं० 2500 (जी) 19-9 185 (जी) 72, दिनांक 16 अगस्त, 1972 द्वारा जिला उद्योग समिति में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन जिला अधिकारी की संस्तुतियों को ध्यान में रख कर किया गया है।

*80--श्री हरनारायण--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जनपद में चमड़ा लघु उद्योगों की इकाइयों को ऋण तथा अनुदान

1--श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि इलाहाबाद जनपद में चमड़ा तथा चमड़े से वस्तुओं के लघु उद्योगों की कुल कितनी इकाई सन् 1966 से अब तक है और उसमें प्रति वर्ष कितने मूल्य की वस्तुयें तैयार की तथा ऐसी प्रत्येक इकाई को कितना रुपया ऋण और अनुदान के रूप में सरकार द्वारा दिया गया ? क्या उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राम जी लाल सहायक--

इलाहाबाद जनपद में चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं की लघु उद्योगों की सन् 1966 से मार्च 1972 तक की अवधि में केवल एक ग्रामोद्योग सहकारी समिति 'हरिजन चर्म औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति, लि० जैतापुर, दिनांक 20-11-70 को पंजीकृत की गई। उक्त इकाई को उ० प्र० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर द्वारा वर्ष 1971-72 में 6000 रु० की कार्यशील पूंजी व 1,125 रु० हिस्सा पूंजी का ऋण दिया गया। इस इकाई द्वारा पंजीकरण के पश्चात् किये गये उत्पादन के विवरण उनके द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

इलाहाबाद के उद्योगपतियों को दी गयी भूमि

2--श्री राम गोपाल संड--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में इलाहाबाद जनपद में कितने उद्योगपतियों को कितने क्षेत्रफल भूमि उद्योग हेतु अर्जित करके दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उल्लिखित अवधि में इलाहाबाद जनपद में किसी भी उद्योगपति को कोई भी क्षेत्रफल भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्जित करके शासन द्वारा नहीं दिया गया है।

वरिष्ठता के आधार पर निर्मित रुहेलखण्ड डिवीजन में उप-विद्यालय निरीक्षकों की सूची

3--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियमानुसार उनके ईभाग द्वारा जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापक श्रेणी से प्रति उप-विद्यालय-निरीक्षकों में दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) पदों पर नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 1970-71 व तथा 1971-72 में कोई सूची बनाई गई है? यदि हां, तो रोहिलखंड डिवीजन में विभाग द्वारा मुद्रित सूची में ऐसे प्रति उप-विद्यालय निरीक्षकों का ज्येष्ठतानुसार स्थान क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली जिले में बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु चुने गये अभ्यर्थी

4--श्री चेतराम गंगवार--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिला में बी० टी० सी० के परीक्षण हेतु इस वर्ष कुल कितने (अभ्यर्थी) चुने गये तथा उनमें से कितने ऐसे हैं, जो हाई स्कूल परीक्षा या इन्टर मीडिएट परीक्षा तृतीय श्रेणी में पास हैं?

श्री कमला पति त्रिपाठी--

वर्ष 1972-73 में बरेली जनपद में बी० टी० सी० प्रशिक्षण हेतु 358 अभ्यर्थी चुने गये इनमें से 20 अभ्यर्थी इन्टर तृतीय और 18 अभ्यर्थी हाई स्कूल तृतीय श्रेणी के थे।

अंग्रेजी टाइप राइटरों की खरीद पर प्रतिबन्ध तथा हिन्दी का प्रयोग न करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

5--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि हिन्दी के प्रचार को दृष्टिगत रखते हुये अंग्रेजी टाइप राइटरों को भविष्य में खरीदने पर रोक लगाने तथा जो दफ्तरों में हैं उन्हें वापस लेने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो वह किस प्रकार से?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अंग्रेजी टाइपराइटरों की खरीद पर रोक मार्च, 1965 से ही लगा दी गई है। यदि न्यायिक प्रयोजनों तथा हिन्दी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार आदि के लिए किसी कार्यालय में अंग्रेजी टाइपराइटर की जरूरत पड़ती है और उसकी मांग की जाती है तो उसकी पूर्ति दफ्तरों में उपलब्ध अंग्रेजी टाइपराइटरों से की जाती है। सामान्यतया अंग्रेजी टाइपराइटर खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है।

6—श्री गजेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में हिन्दी के प्रयोग न करने के कितने मामले सरकार के पास आये? सरकार ने कितने व्यक्तियों पर हिन्दी का प्रयोग न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सरकार के समक्ष अभी तक ऐसे केवल 11 मामले आये। उनमें से तीन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा शेष आठ व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा एवं मिर्जापुर जनपदों में बेसिक शिक्षा, अधिकारियों की नियुक्ति तथा खुलने वाले बेसिक स्कूल

7—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा तथा मिर्जापुर के लिये कौन-कौन बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उनकी समिति के सदस्य नियुक्त हैं और उनके कार्यालय कहां स्थापित हुये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इन जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम और कार्यालय के पते निम्नवत् हैं:—

इलाहाबाद—श्री गिरिजा शंकर मिश्र, 62 टैगोर टाउन।

प्रतापगढ़—श्री मुहम्मद हनीफ, सिविल लाइन्स, भदरी हाउस।

फतेहपुर—श्री नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी, ड्योढ़ी मोटीईट, भसवानी।

बांदा—श्री बद्रीनाथ शुक्ल, स्टेशन रोड, बांदा।

मिर्जापुर—श्री अम्बिका प्रसाद दूबे, बघेल गली, बासली गंज।

जिला बेसिक शिक्षा समितियों का अभी गठन नहीं हुआ है।

8—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण भवन निर्माण आदि कार्य को प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो इलाहाबाद जनपद में चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने नये बेसिक स्कूल बनेंगे और उनमें कुल कितने नये अध्यापक तथा अध्यापिकाओं की नियुक्तियां होंगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भवन निर्माण का कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में नहीं है, अध्यापकों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण का कार्य उन्होंने प्रारम्भ कर दिया है। इलाहाबाद जनपद में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 7 नये बेसिक स्कूल खोले जायेंगे जिनमें 16 अध्यापकों और 9 अध्यापिकाओं की नियुक्ति होगी।

बाबा की बाग (इलाहाबाद) में हथियार बनाने के अवैध कारखाने में हुई गिरफ्तारियां

9—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद शहर के कर्नलगंज थाने के सर्किल में बाबा की बाग नामक स्थान में अभी लगभग दो वर्ष पूर्व जो बम तथा अन्य हथियार बनाने का अवैध कारखाना पकड़ा गया था जिसमें कुछ जीवित बम, तमन्चे, बन्दूकें आदि मिले भी थे और जिसमें कुछ व्यक्ति रंगे हाथों गिरफ्तार भी हुये थे उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें कायम किये गये जो कि न्यायालय के विचाराधीन हैं।

मिर्जापुर के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेन्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

10—श्री राम निहोर राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971–72 एवं 1972–73 में जनपद मिर्जापुर से कुल कितनी दरख्वास्तें स्वतंत्रता सेनानियों की पेन्शन हेतु शासन को प्राप्त हुई थी तथा कुल कितने को पेंशन दी गई तथा कितने पर कार्यवाही अभी शेष है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस तरह की विस्तृत सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष मामले में कुछ जानना चाहें तो नोटिस दें। सूचना उपलब्ध करा कर दे दी जायेगी।

सुल्तानपुर में नकबजनी, राहजनी, डकैती व हत्या की घटनायें

11—श्री राम निहोर राय —

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सुल्तानपुर जिले के प्रत्येक थाने में दिनांक 1 जनवरी, 1972 से दिनांक 30 सितम्बर, 1972 तक क्रमशः नकबजनी, राहजनी, डकैती व हत्या की वारदातें कितनी हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1152 पर)

जिला परिषद् आजमगढ़ के अधीनस्थ प्राइमरी स्कूलों के अप्रशिक्षित अध्यापक

12—श्री जंगबहादुर सिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कोशिश करेंगे कि जिला आजमगढ़ जिला परिषद् के अधीनस्थ इस समय कुल कितने अप्रशिक्षित अध्यापक प्राइमरी पाठशालाओं में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

222 अप्रशिक्षित अध्यापक तथा 156 अप्रशिक्षित अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

गोरखपुर तथा वाराणसी रीजन के पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में हरिजनों का प्रतिशत

13—श्री लालसा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग में रीजन गोरखपुर तथा वाराणसी के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और उनमें सामान्य एवं हरिजन कर्मचारियों की संख्या व प्रतिशत अलग-अलग जिलावार क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ड:" आगे पृष्ठ 1153 पर)

गोरखपुर के बी० टी० सी० अध्यापक

14—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में 1972 के बी० टी० सी० ट्रेनिंग में कितने अध्यापकों ने भाग लिया और उनमें कितने उत्तीर्ण हुये हैं ? कितने अध्यापकों की नियुक्तियां विद्यालयों में हुईं और कितने अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कितने अध्यापकों ने भाग लिया तथा कितने की नियुक्तियां हुई और कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं इसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

शाहजहांपुर के हिस्ट्रीशीटर बन्दूक के लाइसेंसदार

15—श्री राम बिलास पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले में इस समय कितने हिस्ट्रीशीटर ऐसे हैं जो कि बन्दूक के लाइसेंसदार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला शाहजहांपुर में कोई प्रचलित हिस्ट्री शीटर बन्दूक का लाइसेंसदार नहीं है ।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर का डी०ए० तथा टी० ए०

16—श्री राम रतन प्रसाद (जिला बलिया)—

क्या सरकार यह बातने की कृपा करेगी कि पुलिस अधीक्षक को शाहजहांपुर द्वारा 1 जनवरी, 1972 से दिनांक 26 सितम्बर, 1972 तक कितना डी० ए० तथा टी० ए० दिया गया और इस अवधि में उन्होंने कहां-कहां रात्रि विश्राम किया जिसका भत्ता उन्हें दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 1-1-72 से 26-9-72 तक पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को 134 रु० 32 पैसा यात्रा भत्ता तथा 675 रु० 75 पैसा दैनिक भत्ता दिया गया है ।

इस अवधि में उन्होंने मुस्तफाबाद, जिला-पीलीभीत, लखनऊ, मेरठ, जलालालबाद खुटार, कांट, दिलावरपुर, कटरा, खुरजा, आगरा, बरेली, गढ़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, रामपुर तथा पुवायां में रात्रि विश्राम किया जिसके लिये उन्हें उपरोक्त भत्ता स्वीकृत किया गया ।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, शाहजहांपुर के लिपिकों का स्थायीकरण

17—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के कार्यालय में कितने लिपिक तथा प्रधान लिपिक ऐसे हैं जिन्हें नौकरी करते 8 वर्ष से अधिक हो गया लेकिन उनका कन्फर्मेशन आज तक नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लिपिक	3
प्रधान लिपिक	1

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर का ग्रेड एवं देय वेतन

18—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के वर्तमान कार्यवाहक जिला विद्यालय निरीक्षक का ग्रेड क्या है और जब से कार्यवाहक जिला विद्यालय, शाहजहांपुर नियुक्त हुए हैं तब से आज तक उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया गया तथा वेतन किस ग्रेड के अनुसार दिया जायगा और कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उनका ग्रेड 300–900 रु० है। उन्हें वेतन इस कारण नहीं दिया जा सका क्योंकि उनका प्रभार प्रमाण पत्र यथा समय प्राप्त न होने के कारण उनकी नियुक्ति की विज्ञप्ति नहीं निकाली जा सकी थी। अब वह विज्ञप्ति निकाली जा चुकी है और उन्हें उक्त ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 1 जुलाई, 1972 से उस समय तक जब तक वह उस पद पर कार्य करेंगे वेतन शीघ्र ही मिलने लगेगा।

राजकीय कन्या हाई स्कूल, बेरीनाग (पिथौरागढ़) का भवन

19—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या सरकार बतायेगी कि पिथौरागढ़ के राजकीय कन्या हाई स्कूल, बेरीनाग की इमारत अब तक न बनने का क्या कारण है और वह कब तक बन जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण राजकीय कन्या हाई स्कूल बेरीनाग के लिये स्थायी भवनों का निर्माण अभी नहीं कराया जा सका है।

इस स्कूल की भवन सम्बन्धी वर्तमान समस्या को देखते हुए कुछ अस्थायी शेड्स के निर्माणार्थ आगणन बनाये जा रहे हैं।

पुलिस लाइनों एवं पुलिस के निजी फंडों से संचालित कैन्टीनें

20—श्री बंशीधर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के कितने जिलों की पुलिस लाइनों में पुलिस कर्मचारियों के निजी फण्डों से चाय, मिठाई, कपड़े तथा विविध वस्तुओं की कैन्टीनें संचालित की जा रही हैं इनमें विनियोजित पूंजी कितनी है क्या इनका कोई हिसाब पुलिस कर्मचारियों को कभी बताया जाता है ? क्या इनका रजिस्ट्रेशन वैधानिक रूप से कराया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल जनपद, वाराणसी के पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के निजी फण्डों से चाय, मिठाई, कपड़े तथा विविध वस्तुओं की कैन्टीन संचालित की जा रही है। जिसमें 36,900 रु० की पूंजी विनियोजित है। कैन्टीन रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि यह कैन्टीन केवल पुलिस कर्मचारियों के कल्याण हेतु चलाई जाती है। यह कैन्टीन कोई व्यापारिक लाभ के दृष्टिकोण से नहीं चलाई जाती है।

जनपद, आगरा की पुलिस लाइन की उपभोक्ता दुकान में पुलिस कर्मचारियों द्वारा खरीदे गये 3,760 रु० के शेयरों तथा सरकार द्वारा खरीदे गये 2,500 रु० के शेयरों से, कुल 6,260 रु० विनियोजित हैं। उपभोक्ता दुकान वैधानिक रूप से रजिस्टर्ड है।

पुलिस कर्मचारियों को समय-समय पर उपरोक्त कैन्टीन तथा उपभोक्ता दुकान के हिसाब से अवगत कराया जाता है।

विविध विषय

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं, आप सदन का संचालन कर रहे हैं और जो कोई भी श्रीमन् आपके दरबार में फरियाद लेकर आ जाये उसको सुना जाता है। 60 हजार व्यक्तियों की आवाज को लेकर एक व्यक्ति श्रद्धानन्द तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आमरण अनशन कर रहा है पिछले 5 दिन से। एक बड़ा भारी अहित 60 हजार जनता का एक बड़े उच्च व्यक्ति के द्वारा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता स्थिति बड़ी खराब हो सकती है.....

श्री अध्यक्ष----

अनशन के बारे में आपने दिया था उसको अस्वीकृत किया था।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वह मैंने नहीं दिया, किसी और ने दिया होगा। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान उस ओर गया ? कम से कम उसकी बात सुन लें और निर्णय कर दें। देवरिया जिले के 60 हजार व्यक्तियों के लिये विधान भवन के सामने आमरण अनशन चल रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस विषय में हस्तक्षेप करें और उनको कुछ न कुछ राहत दें।

श्री अध्यक्ष---

आपने कह दिया, उसके ऊपर जो कार्यवाही करनी होगी वह करेंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)---

श्रीमन्, मेरे जिले का यह मामला है और आपने मुझे मौका नहीं दिया। कारण यह है कि वहां डी०एस० पी० 5-5 साल से मौजूद हैं। थानेदार से प्रोमोट होकर वहां भेजे गये हैं। मेरे जिले में अराजकता बढ़ गयी है और रोजमर्रा इस तरह से कत्ल और डकैतियां हो रही हैं। विधायकों के भी गोलियां लग चुकी हैं। हमारे जिले में कोई सीनियर अफसर भेजा जाय जिससे वहां पर शान्ति व्यवस्था कायम हो सके। कई बार मैंने मुख्य मंत्री जी को लिखा। हर थाने से उनकी महीनवारी बंधी हुई है। बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि नियम 49 में ले लिया जायें।

श्री अध्यक्ष---

यही तो मैं कह रहा हूं। आप नियम 49 में दीजिये। मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। (श्री सुखपाल पान्डेय से) आपको दो शैडो दिये गये थे, आप उनको स्वीकार करते हैं ?

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)---

जी हां, मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या 48 की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है---यह सही है कि दिनांक 28-5-72 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट, गोण्डा के न्यायालय से तीन सब-इंस्पेक्टरों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा उसमें से एक सब इंस्पेक्टर पर एक सौ रुपया जुर्माना भी किया गया। उक्त सब इंस्पेक्टरों के नाम सर्वश्री विभूति मिश्रा कोमल मिश्रा तथा सतीश चन्द्र पान्डेय हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप यह क्या कह रहे हैं, यह कहां हो रहा है।

श्री सुखपाल पान्डेय---

मेरे प्रश्न का जो उत्तर आया है वह सही नहीं है। हमारे यहां के सब-इंस्पेक्टर जिनको सजा हुई बताया गया उनको सजा नहीं हुई, उनकी अपील नहीं की, उनकी उन्नति कर दी गयी और उसके विपरीत सूचना यह दी गयी। मुझे इस पर आपत्ति है, आप इसे दफा 49 में कृपया स्वीकार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

आप लिखकर भेजिये इसको मेरे पास।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात यह जो नित्यानन्द स्वामी जी ने उठाई है कि एक आदमी यहां आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मामूली घटना हो जाती है तो यहां सामने आ जाती है। लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी कृपा करके पता लगायें और उसका कुछ समाधान कर दें। जिससे उसका आमरण अनशन समाप्त हो जाय। नहीं तो आमरण अनशन अनिश्चित काल तक चलेगा और पता नहीं उसका क्या हो।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मुझे तो पता भी नहीं। त्रिपाठी जी मुझ से कह दिये होते तो मैं अब तक उसके समाधान कर दिये होता। मैं देख लूंगा उसे।

प्रेस प्रतिनिधियों के कल सदन से 5 बजे के उपरान्त चले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मेरी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल हमारे प्रेस के बन्धु 5 बजे के बाद चले गये थे। मैं बिना और कुछ कहे आपसे कहना चाहता हूं कि जब कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, उस वक्त मैंने उनमें कहा था कि 5 बजे के बाद कोई कार्यक्रम न लिया जाया करे। 5 बजे के बाद जो कार्य लिया जाता है, उसका महत्व यों ही समाप्त हो जाता है, हम यों ही थक जाते हैं और हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी थक जाते हैं। आधा घंटा किसी विशेष परिस्थिति में बढ़ जाएं तो यह दूसरी बात है। इसका उपाय यह है कि आप कोई एक दिन निश्चित कर दें जब कि सरकारी कार्य 3 बजे तक ही हो और उसके बाद बाकी इस प्रकार का कार्य ले लिया जाये। वह हमारा सुझाव माना नहीं गया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कल छोड़ दिया और हम लोग भी छोड़ सकते हैं। आप इसकी उचित व्यवस्था करें, जिससे यह स्थिति पुनः पैदा न हो। जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर लिखा नहीं जाएगा, तो दुनियां को हमारी बात का क्या पता चलेगा और फिर हमारे यहां बोलने का क्या लाभ होगा। मेरी दोनों पक्षों से प्रार्थना है कि 5 बजे के बाद इसे न रखें, सरकार इसमें अपना समय काट ले। इसके अलावा कल वाला जो नहीं हुआ उसके लिए भी आप समय दे दें।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

जो त्रिपाठी जी ने कहा, उसी के समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र को चलाने के लिए जहां लेजिस्लेचर और दूसरे साधन जरूरी हैं, वहां प्रेस का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो हम डिस्कशन करें, यदि वह चर्चा उन लोगों के पास न पहुंचे, जिन्होंने हम लोगों को यहां चुन कर भेजा है तो यह बेमाने हो जाता है। कल प्रेस गैलरी खाली हुई, इससे बड़ा ताज्जुब हुआ। जैसा अखबारों से लगता है 5 बजे के बाद वह बैठना नहीं चाहते हैं थक जाते हैं और जैसा बताया गया हम लोग भी थक जाते हैं। अतः इसे देखते हुये कि प्रेस वालों को भी सुविधा दी जा सके आपके सामने जो प्रस्ताव रखा गया है वह स्वीकार कर लीजिये और कोई दो-एक दिन ऐसा रखा जाए जिस दिन नियम 52 आदि के डिस्कशन पूरे हो सके।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की चर्चा माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी व दूसरे माननीय साथी ने उठायी है और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उनका मैं भी समर्थन करता हूं। कल मैं ही वह व्यक्ति था जिसको इस बात का भारी दुख हुआ कि कल जब 5 बजे के उपरान्त सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर ढ़ाई घंटे की बातचीत होने वाली थी तथा माननीय चौधरी साहब अपना भाषण देने के लिये खड़े हुये तो उस समय प्रेस की गैलरी खाली पड़ी थी। उसका मेरे ऊपर असर पड़ा कि सम्भवतः यह कुछ की या सबकी सलाह मशविरा से ही ऐसा

[चन्द्रभानु गुप्त श्री]

हुआ होगा। क्योंकि ऐसा तो अक्सर हुआ करता है कि कभी सब के सब हाजिर नहीं होते, कभी कुछ चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, इसका हर एक को अधिकार भी है, लेकिन जिन महत्वपूर्ण विषयों पर यहां चर्चा हो और वह बाहर प्रेस के द्वारा न जाय तो यह गलत और गणतंत्र में खराब परम्परा होगी। आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ सदन में हो उसे जनता जान सके। मैं नहीं जानता कि कल किन कारणों से प्रेस उपस्थित नहीं था।

बाद को एक दो प्रेस के भाई मुझे मिले, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये लोग इतने घंटे बराबर रोजमर्रा काम करते हैं और यह रोजमर्रा का ढंग हो गया है कि शाम को 5 बजे के बाद ढ़ाई घंटे की चर्चा रख दी जाती है, उसमें हमें कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ जाता है और उनके लिये इतने समय तक लगातार यहां बैठ कर काम करना मुश्किल हो जाता है। उनकी यह कठिनाई किसी माने में सही भी हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी चर्चा होती है वह 5 बजे के अन्दर ही हुआ करे। आपको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये ताकि वह 5 बजे तक समाप्त हो जाया ताकि प्रेस वाले भी बैठ सकें और जो कार्यवाही यहां पर हो, जिसे वे मुनासिब समझें, बाहर पेपर में छाप सकें। इससे उस वातावरण के पैदा होने में अड़चन उत्पन्न नहीं होगी जो कल प्रेस की अनुपस्थिति के कारण हुई। इस लिये मैं उन सुझावों का जो अभी यहां सदन में इस संबंध में दिये गये कि चर्चा 5 बजे के भीतर ही हो जाया करे, समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने रखा है वही परम्परा होना चाहिये। प्रेस वालों की भी मजबूरी है। दिन भर जो कुछ हम बोलते हैं उसकी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। फिर डिस्पैच करना पड़ता है। अगर साढ़े सात बजे तक प्रेस वाले रहेंगे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि दूसरे दिन अखबारों में रिपोर्टिंग आ जाय। प्रक्रिया यह डाली जाय कि नियम 52 के प्रश्नों पर भी चर्चा पांच बजे तक समाप्त हो जाय। रिपोर्टर्स सुबह से आते हैं, दिन के नौ बजे से रात के नौ बजे तक रहते हैं। मैं समझता हूं कि अवश्य इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, हम भी कुछ कह रहे हैं। मान्यवर, यह मान्य सिद्धान्त है कि यहां की जो कार्यवाही होती है केवल इस सदन के भीतर न होकर, बाहर भी जाय। इसीलिए गैलरीज के पास दिये जाते हैं, प्रेस के बैठने का भी इंतजाम है। यह बात जरूर है कि जो इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं उनको यहां पर 9 बजे आ जाना पड़ता है। और अगर चर्चा पांच बजे के बाद चल जाती है तो नौ बजे रात को ही छुट्टी पाते हैं। इस तरह से बारह घंटे की पाबन्दी एक तरह से है। उसमें यह छूट भी है कि कोई आदमी न चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार बैठ भी सकता है, बाहर भी जा सकता है। लेकिन जहां तक प्रेस का सम्बन्ध है वह बहुत बड़ा माध्यम है जिसके जरिये से यहां पर जो चर्चा होती है, जो विचार व्यक्त किये जाते हैं उनके जनता तक पहुंचाया जाता है। इसी उद्देश्य से प्रेस को खाली यह सुविधा नहीं है कि एक आदमी सुबह से बैठा रहे, हर एक अखबार और न्यूज एजेंसी के दो-दो आदमी या उससे भी अधिक होते हैं जो पहले से बैठने वाले को रिलीव भी कर दिया करते हैं। जो चर्चा 5 बजे के बाद होती है उसमें वह रहते हैं। लेकिन पिछले तीन दिनों से यह चर्चा चली, उससे मालूम नहीं उनको ऊब हो गयी या चिढ़ होगी, कल उठ कर चले गये।

माननीय, चौधरी चरण सिंह उस चर्चा की शुरुआत करने वाले थे। खाली उनका ही नहीं, बल्कि पूरे विपक्ष बल्कि पूरे सदन का अवमान हुआ। इस तरह से जब महत्वपूर्ण चर्चा

हो तब वह लोग उठ कर चले जायं तो मान्यवर, आप इस मामले में कुछ इस तरह की व्यवस्था दें जिससे इसमें सुधार हो ।

जहां तक रह गया समय के भीतर चर्चा हो उसमें जब तक शासन का सहयोग नहीं होगा तब तक वह चीज पूरी नहीं हो सकती । ये अपने काम को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि कम से कम दिनों में उसको पूरा किया जाय । बिजिनेस इतना टाइट हो जाता है कि आपको और माननीय सदस्यों को समय के बाहर बैठना पड़ता है । इसी वजह से प्रेस वालों को तकलीफ होती है । इसलिये मैं शासन से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर जिद न किया करें, यह हठधर्मी न किया करें जिससे इस तरह का बिजिनेस रखें जो समय के अन्दर खत्म न हो पाये । यों तो जो यह कार्यवाही होती है उसको राजनीति करने वालों को इतना मजा आता है कि थकने की तबीयत नहीं होती है लेकिन फिर भी आदमी के हाथ पैर, मस्तिष्क की एक सीमा होती है । लोग ऊब जाते हैं । इसलिये ऐसी व्यवस्था करें और शासन इसमें सहायता करे जिससे चर्चा समय के भीतर हों और किसी को तकलीफ देह न हो ।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) —

एक नयी बात मान्यवर उठी है, क्योंकि अब तक तो परम्परा यही रही है सदन में बहुत दिनों से कि इस प्रकार की चर्चाएं साढ़े चार या पांच बजे के बाद होती रहती हैं । प्रेस के भाई कल क्यों नहीं रहे, इसका मुझे पता नहीं है । अक्सर वह बैठे रहा करते थे । अगर कोई योजना हो, किसी की सलाह मसविरा से हुआ तो सरकार की इसमें कोई सलाह मशविरा नहीं थी । प्रेस के भाई क्या समझ कर चले गये, क्यों चले गये, रिपोर्टिंग में उनकी असुविधा होती या थक गये थे मैं नहीं जानता । इस विषय में आप प्रेस में जो हामारे भाई हैं उनसे भी बात कर लें । अब कोई दूसरा तरीका इसमें अख्तियार करना है । तो उसके विषय में मुनासिब होगा कि आप नेताओं की बैठक बुला लें क्योंकि बिल्कुल नयी परम्परा डालने की बात होगी । उसमें विचार कर लें कौन सा रास्ता निकाल सकते हैं । इसमें संदेह नही कि सदन में कार्यवाही होती है वह प्रेस में रिपोर्ट होनी चाहिये और सदन में जो लोग राय देंगे वह इस बात की इच्छा रखेंगे कि वह सदन के बाहर जायं, लोकतंत्र की पद्धति यही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पद्धति ही नहीं आवश्यक भी है कि यहां की बात बाहर जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपकी बात ठीक है । जब मैंने पद्धति कहा तो पद्धति किसी औचित्य को देख कर रखी गयी है । पद्धति रखी क्यों जाती है, उसके चलने से संतोष होता है, तो आवश्यक भी है और पद्धति है ही । इस विषय के ऊपर बैठ कर किसी वक्त विचार करें कि क्या नई परम्परा डाली जाय, और डालें तो क्या परम्परा हो, इसके ऊपर कुछ निश्चय लें ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक पांच बजे के बाद बैठने का सवाल है माननीय तिवारी जी ने यह प्रश्न हमारी कार्य-मंत्रणा समिति में बार-बार उठाया और कहा कि पांच बजे के बाद न बैठें, क्योंकि जाड़े के दिन हैं कोई बीमार पड़े और लोग थक जाते हैं । मैंने प्रेस से बात की कि क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोगों का ख्याल यह हुआ कि प्रेस वालों ने इकट्ठा मिलकर कोई कट किया है और ये जान बूझकर मिलजुल कर चले गये और उसके लिये अवमान का शब्द यहां इस्तेमाल किया गया कि प्रेस द्वारा सदन का अवमान किया गया मैं बताना चाहता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी के मन में यह बात आयी कि पांच बजे के बाद न बैठा जाय, हेल्थ का खयाल करके क्योंकि लगातार बैठते हैं, खाने-पीने की भी छुट्टी नहीं देते, तो सदन के सदस्य तो चले जाते हैं लेकिन प्रेस वालों ने कहा कि

[श्री अध्यक्ष]

हम जा भी नहीं सकते क्योंकि हमको ठीक रिपोर्टिंग करनी है तो बैठक में जो काम होते हैं जिस वक्त से उस वक्त से लेकर सदस्य तो खाने चले जाते हैं हम जा नहीं सकते और हम थक जाते हैं और थकने के बाद हमसे कहा जाय कि हमें सदन के लिये बैठना पड़ेगा तो यह हमारे बस का नहीं है।

सेन्ट्रल यानी पार्लियामेंट की बात उन्होंने कही कि वहां तीन-तीन चार-चार रिपोर्टर्स एक एक प्रेस के मौजूद रहते हैं और उनमें से एक अगर चला गया तो दूसरा बैठा रहता है लेकिन यहां तीन-तीन चार-चार प्रेस के दो दो और तीन-तीन प्रेस के एक ही रिपोर्टर्स होते हैं और उनको दिन भर बैठना पड़ता है। दो तीन दिनों से यह चीज लगातार सामने आ यी और दो दो घंटे रात तक उनको बैठना पड़ा और जाड़े के दिन हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये कहने लगे कि हम चले गये और उन्होंनें भी हमसे प्रार्थना की कि हमारा कोई सदन का अवमान या अपमान करने का इरादा नहीं था और न हम कट करके गये। हम तो थक गये थे और धीरे-धीरे चले गये होंगे। तो मेरी समझ में भी उनका अवमान करने का इरादा नहीं आया। चूंकि कल मैंने सुना था किसी ने यहां अवमान का प्रश्न इसे कह दिया था कि सदन का अवमान हुआ इसलिये हम चर्चा नहीं करेंगे और चले जायेंगे। तो अवमान का तो कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनके दिमाग में यह बात नहीं थी।

अब जो सुझाव आपका है कि 5 बजे तक सदन की कार्यवाही खत्म हो जानी चाहिये। तो वह बिल्कुल सही है कि इसमें सरकार का भी सहयोग होना चाहिये और सरकार ने भी अपना सहयोग इसमें यों दिया कि मुख्य मंत्री जी ने मुझ से कहा कि आप सदन में सभी पार्टियों के नेताओं को बुला लें। मैं समझता हूं कि खाली नेता ही नहीं, सचेतकों को भी बुलाया जायगा और वे भी कुछ सुझाव दे सकते हैं और यह सुझाव अगर स्वीकार हो जाय तो अच्छा ही रहेगा। तो एक प्रश्न तो यह भी होगा कि बीच में भोजन के लिये पहले का तरीका हम कर सकते हैं और यह सुझाव प्रेसवालों में से एक ने दिया कि खाने के लिये भी छुट्टी अगर दे दिया करें और उस वक्त सदन में कोई कार्यक्रम न हो तो ये खाकर आ सकते हैं और बैठ सकते हैं थोड़ी देर ज्यादा भी, अब यह सुझाव भी आप सोच सकते हैं और भी कई तरीके हो सकते हैं। तीन बजे के बाद और कार्यक्रम ले लिये जावें या यह भी हो सकता है कि ढाई घंटे का काम है वह हम दो दिन में ले सकते हैं, एक घंटा आज बैठ सकते हैं और कल हो।

कई तरीके हो सकते हैं लेकिन यह सब चीजें आपकी मर्जी पर है। मैं तो सदन के हाथ में हूं, सदन जो निर्णय करेगा वह मैं कैरी आउट करूंगा। चूंकि सदन की कार्य-मंत्रणा समिति के सामनें माधव प्रसाद जी ने कहा था कि पांच बजे के बाद न बैठें तो मैं यह कोशिश कर रहा था कि यह तीन चार दिन तक जो मैंने स्वीकार कर लिया है ढाई-ढाई घंटे की चर्चा और चूंकि मंत्री जी ने भी मंजूरी दे दी थी इसलिये मैंने इसको रख दिया था और माननीय बंशीधर पान्डेय जी ने भी कहा था कि अब इसको चलने दिया जाय लेकिन आगे के लिये आप इस बात को सोंच लें। लेकिन उस वक्त यह स्वीकार हो गये थे और आपने कहा कि यह हो जाय और सब ने उस बात को मान लिया तो वह इसलिये हो गया। अब मैं समझता हूं कि इसके ऊपर विचार होकर सब पार्टियों के नेताओं और सचेतकों से वे अब विचार करके कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे मैं समझता हूं कि इसमें कामयाब भी हो जायेंगे क्योंकि हम उसमें सहयोग चाहते हैं विरोधी दलों का तथा सरकार का। बैठने के लिये विरोधी दल तो तैयार है लेकिन सरकार को भी काम रहता है। सरकार कितने दिन तक बैठने के लिये तैयार है इस पर निर्णय लेना होगा। अगर सहयोग परस्पर रहता है तो कोई रास्ता जरूर निकल आयेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

कल ढाई घंटे के लिये जिस विषय पर चर्चा होनी थी वह किसी और दिन रखनी होगी।

श्री अध्यक्ष—

किसी और दिन लेना है तो उस दिन के लिये भी इसी स्थिति पर सोचना होगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

आमतौर से यह होता है कि सरकार समय नहीं देती। अपोजीशन पार्टीज तो सहयोग देने को तैयार रहती है लेकिन सरकार नहीं देती। इसके लिये हमारी क्या जिम्मेदारी है? कार्य-मंत्रणा समिति समय ही नहीं देती।

श्री अध्यक्ष---

अब इसके निर्णय के लिये नेता सदन होंगे तथा नेता सभी दलों के होंगे कार्य-मंत्रणा समिति नहीं होगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

आज भी नियम 51 तथा 52 के अन्तर्गत चर्चा होनी है तो इस पर चर्चा कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष---

भोजन के बाद वक्त होता है उस समय में आज बुलाऊंगा और उस समय इस पर बातचीत हो जायगी और तय कर लिया जायगा कि आज यह लिया जायगा या नहीं लिया जायगा या किसी और रोज लिया जायगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

आज ही ले लिया जाय और 3 बजे चर्चा शुरू हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

जब तक आप राजी नहीं होंगे, हम क्या कर सकेंगे, हमने तो रखा हुआ है ही।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

5 बजे लेने से कल की स्थिति पैदा हो सकती है लिहाजा 3 बजे से ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आज इस बिल का भी अन्तिम दिन है। इसको स्वीकृत हो जाने पर ही प्रस्तावों पर चर्चा हो सकेगी। आज अगर उनको लेना है तो जल्दी इस बिल को स्वीकृत करा लीजिये। तीन बजे क्या ढाई बजे भी स्वीकृत हो जाने पर चर्चा हो सकती है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला एटा)---

मंत्रियों अथवा नेतागण की राय लेने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हाउस की राय आपको लेना चाहिये। अधिकांश विधायक साधारण कार्यकर्ता हैं और वे चाहते हैं कि क्षत्रों का प्रतिनिधित्व करें। नेतागण से पूछने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

नेता जो निर्णय लेंगे वह हाउस में आयेगा और यहां सभी उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मेरा निवेदन है कि बिल को पूरा समय दिया जाय। ढाई बजे तक यह समाप्त नहीं हो सकता।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थाई अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972

सचिव, विधानसभा---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1972, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आग पृष्ठ 1155 पर)

प्रतिनिहित विधायन समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन †

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवार, यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कर्यान्वयन क सबध म है । श्रीमन्, कथित प्रतिवेदन में 70 संस्तुतियां की गयी थीं जिनमें से 11 संस्तुतियों के संबंध में शासन ने 13 वर्ष के उपरान्त भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है । इस प्रकार इन 11 संस्तुतियों के निर्माण में माननीय सदस्यों का जो समय व्यय हुआ है और जो लोक धन व्यय हुआ है वह अकारथ गया तथा साथ ही इन संस्तुतियों में जो लाभ निहित था वह भी नहीं हो पाया ।

थाना कैराना, जिला मुजफ्फरनगर की पुलिस की हिरासत में श्री जगवीर सिंह की मृत्यु की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

दिनांक 10-12-72 को श्री आत्माराम, निवासी ग्राम ऐटी ने थाना कैराना पर धारा 392 भा० दं० वि० का एक मुकदमा अंकित कराया था । उसी दिन थानाध्यक्ष, कैराना ने सुबह 10 बजे उक्त मुकदमें की विवेचना हेतु थाने से प्रस्थान किया और वापसी में अपने साथ जगवीर सिंह, निवासी कैराना को वापस गिरफ्तार करके लाये । जनरल डायरी में अपनी वापसी रिपोर्ट में थानाध्यक्ष ने यह सूचना अंकित की कि जगवीर सिंह के उपरोक्त धारा 392 भा० दं० वि० के अपराध से संबंधित होने की सूचना पता रसी करने पर उन्हें एक मुखबिर से प्राप्त हुई थी जिस पर उन्होंने दबिस देकर उसकी गिरफ्तारी की और उसके घर से मुकदमें से संबधित कुछ सामान बरामद किया ।

जगवीर सिंह को 10-12-72 को 3.30 बजे शाम को हवालात में बन्द किया गया । थाने के रिकार्ड के अनुसार जगवीर सिंह 8 बजकर 5 मिनट पर रात्र में हवालात में मृत पाया गया । यह सही है कि जगवीर सिंह की मृत्यु की सूचना थानाध्यक्ष ने मृतक क घर वालों को नहीं दी ।

थानाध्यक्ष ने 11.12.72 को प्रातः काल पुलिस आधीक्षक को टेलीफोन से सूचना दी कि राहजनी के एक अभियुक्त ने हवालात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त क्षेत्राधिकारी शामली व परगनाधीश कैराना को थाने पर भेजा और लगभग 12.45 बजे वे स्वयं भी थाने पहुंचे । उस समय एक भारी भीड़ थाने को घेरे हुए थी और हिंसा पर उतारू थी । पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त थानाध्यक्ष को निरस्त करा दिया और एक अन्य सब इंस्पेक्टर द्वारा गिरफ्तार करा लिया । पुलिस अधीक्षक को मृतक जगवीर सिंह के भाई मेघराज सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट दी जिस पर धारा 302 भा० दं० वि० का एक मुकदमा तुरन्त ही कायम कराया गया । थानाध्यक्ष तुरन्त ही निलंबित भी कर दिया गया । एक हेड कांस्टेबिल और दो कांस्टेबिल को भी निलम्बित करके लाइन हाजिर कर दिया गया । पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित भीड़ में से कुछ प्रतिष्ठत व्यक्तियों को बुलाकर बातचीत की और की गई कार्यवाही की सूचना दी तथा यह आश्वासन दिया कि मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जायगी । इस पर भीड़ संतुष्ट हो गई और सारे लोग शान्तिपूर्वक वापस हो गये ।

थाने के पूरे स्टाफ को पुलिस लाइन में स्थानान्तिरित करा दिया गया और क्षेत्राधिकारी शामली को स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु कैराना में कैम्प करने का आदेश दिया गया ।

---

†छापा नहीं गया ।

थानाध्यक्ष, कैराना के विरुद्ध कायम मुकदमा की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग ने अपने हाथ में ले ली है।

श्री अध्यक्ष---

(श्री चन्द्रभान शर्मा का नाम लेने पर), आप केवल स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं क्योंकि यह वक्तव्य नियम 51 में नहीं है ?

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मैं तो सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मृतक को साढ़े तीन बजे बन्द किया गया और 8 बजकर 5 मिनट पर वह मारा हुआ पाया गया। इस संबंध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस पीरिएड में कौन कौन से लोग थाने में ड्यूटी पर थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, यह विस्तृत सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन यह है कि थानाध्यक्ष, जिसने कि अरेस्ट किया था, हेड कांस्टेबिल और संबंधित सिपाही जो कि अरेस्ट करने के जिम्मेदार थे, को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद उसके भाई की रिपोर्ट के आधार पर 302 का मुकदमा कायम किया गया और फिर यह मामला सी० आई० डी० को दिया गया।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

जो डायरी मे रिपोर्ट किया गया है, क्या माननीय मंत्री जी उसे सदन में पढ़कर सुना सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

पूरी रिपोर्ट आप सुनना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभान शर्मा---

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से मैं पढ़े देता हूं।

P. M. No. 244/72 dated 12-12-72

Report of the Post Mortem Examination.

on the body of ; Jagbir & Kalu s/o Lakhmir Singh r/o Mohalla Alkala, Kairana

—Muzaffarnagar—dated 12-12-72 time 9.30 A. M.

The ligature mark mentioned in neck in the Panchayatnama in postmortem. It is 12″ long extending from a point 3″ behind the right ear downwards and inwards just above the porminadami and the upwords and outwards to left side, 2¾″ behind left ear. The width on right side is ½″ at the point of drigin increasing gradually to 1″ at the right angle of lower jaw, then decreasing to ¾″ wide at porminadami and agaln gradually increasing to 1¼″ at the end. No saturation at the angle of mouth. Margins of the ligature mark not congested. No abrasion and haemorrhage in the area of legature of mark underiying soft tissues normal.

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

काज आफ डेथ क्या है, वह तो बतला दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

काज आफ डेथ भी बतलाता हूं। वह इस प्रकार है:---

Cause of death could not be ascertained, viscera preserved, skin having dried whitish discharged as noted above removed and sealed and preserved in 3rd jar.

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो हवालात के अन्दर मृत्यु हुई है इसके अन्दर जो चोटें थीं उन चोटों को देखते हुए क्या उसके विजरा को प्रिजर्व किया गया है और केमिकल एक्जामिनर के पास से उसकी रिपोर्ट आयी है या नहीं? यदि नहीं आयी है तो इस मामले को जांच के लिये सी० आई० डी० को देंगे क्योंकि इसमें पुलिस भी इनवाल्व्ड है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

सी० आई० डी० को जांच दे दी गयी है पहले ही।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

विजरा की रिपोर्ट आ गयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

नहीं आयी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

पुलिस अधीक्षक के पास मृतक के भाई ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें उसन क्या-क्या आरोप लगाये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

उसमें लिखा है कि कल दिनांक 10-12-72 को करीब 12 बजे दोपहर पुलिस के तीन सिपाही मेरे सगे भाई जगवीर सिंह, पुत्र लखमीर सिंह को हमारे खेत से बुलाकर लाये जिनको सामने आने पर मैं पहचान सकता हूं और मैं रात को करीब 8 बजे अपने भाई का पता लेने के लिये थाने में आया था तो मेरे भाई ने मुझसे दारोगा जी त्यागी की ज्यादती की शिकायत की। मैंने दरोगा जी से प्रार्थना की कि रात को अब मेरे भाई को घर जाने की आज्ञा दे दें तो दरोगा जी ने कहा कि जब सामान वाला मालिक आयेगा तो हम उसको सुबह ही छोड़ देंगे। इस पर मैंने प्रार्थना की कि मेरे भाई को मारें पीटें नहीं। चौधारी भूपाल सिंह, ब्रह्मपाल सिंह, शौकत व सितार सिंह गवाह हैं। उन्होंने मेरे भाई की रात को चिल्लानें की आवाजें भी सुनी हैं। सुबह पुलिस का सिपाही मेरे घर आया और कहा कि तुम्हें डी० एस० पी० साहब थाने में बुला रहे हैं और थाने में आकर पता चला कि मेरे भाई को दरोगा जी ने मार दिया है। रात को तीन बजे कहीं ट्रक से बाहर चले गये हैं। लेखक सुखवीर सिंह पुत्र मलखान सिंह, भो० आल थाना कैराना-11-12-72।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मान्यवर, मंत्री जी ने काज आफ डेथ नहीं बताई है लेकिन उन्होंने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पढ़ी है उसमें क्या इस प्रकार की चोट देखी हैं कि जिसके कारण उसकी डेथ हो सकती है या जो मारपीट की वजह से वह चिल्ला रहा था तो क्या इस प्रकार के उसके शरीर पर निशान हैं जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---

उनसे आप राय पूछते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। जब पोस्ट मार्टम रिपोर्ट वाले डाक्टर नहीं बता सकते तो मंत्री क्या बता सकेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

कोई ऐसी चोटें हैं जिससे डेथ हो सकती है तो वे बता दें।

श्री अध्यक्ष---

वे क्या बता सकते हैं ?

श्री हरिनाथ तिवारी---

अक्सर दरोगा लोग झूठी रिपोर्ट लिखकर चले जाते हैं और उसको गिरफ्तार करके मार डालते हैं तो रिपोट कब लिखाई गई और कब वे गये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, 392 आई० पी० सी० के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके बाद जनरल डायरी में थानाध्यक्ष की रवानगी भी है।

श्री हरिनाथ तिवारी---

कब रिपोर्ट हुई और दरोगा जी चले गये ?

श्री अध्यक्ष---

यह केवल वक्तव्य के लिये है। आप कैसी इन्क्वायरी चाहते हैं वह बता दीजिये। आप सी० आई० डी० से इंन्क्वायरी चाहते हैं ?

श्री रामबिलास पान्डेय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, सुपरिटेंन्डेन्ट पुलिस ने थानेदार को निलंबित किया तो उनकी क्या फाइंडिंग थी जिसके आधार पर उसको निलंबित किया।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जैसा कि रिपोर्ट में है उसके घरवालों को उसकी मृत्यु की सूचना नहीं दी। लाक अप में मुलजिम की डैथ हुई है। सुबह ही उसके खिलाफ आरोप लगाते हुये रिपोर्ट की गई। इसलिये सन्देह में तत्काल कार्यवाही करना जरूरी हो गया। उसने उचित कार्यवाही नहीं की और अभियुक्त के भाई ने उसके खिलाफ रिपोर्ट की कि उन्होंने उसके भाई को मार डाला। 302 में उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। इंक्वायरी सी० आई० डी० को दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेत अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि एक दिन पहले यह आ जाना चाहिये था।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं स्मरण दिलाता हूं कि एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन नियमों का उल्लंघन न हुआ हो। आपकी शाक्ति का प्रयोग उसी समय होना चाहिये जब परिस्थिति विशेष हो। सरकार को यदि आप कसेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। नियम 114 इस प्रकार है कि,

114---विधायकों को पुरःस्थापित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष की शक्ति--"अध्यक्ष से इस विषय की प्रार्थना की जाने पर वे किसी सरकारी विधेयक (उद्देश्यों और कारण)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

के विवरण एवं विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन तथा वित्तीय आभारों से संबंधित ज्ञापनों सहित, यदि कोई हो, यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या राज्यपाल की सिफारिश सहित) के गजट में प्रकाशन का आदेश दे सकेंगे, यद्यपि विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा के लिये कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया हो। उस दशा में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाय तो उसको पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु साधारणतया विधेयक को इस प्रकार गजट में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होगा यदि सदन सत्र में हो।" हमें वह उपलब्ध नहीं करायी गई। तो आप किस शक्ति से इसको उन्हें लाने देंगे, वह इसको दूसरे दिन रखें। अगर आप समझते हैं कि किसी दूसरे कारण से यह परमावश्यक है तो अब बिल आ गया है। जिसमें रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट की व्यवस्था है वह पिछली तारीख से लागू हो ही जायगा। इसलिये भी इस विधेयक का अब कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिये नियम का पालन किया जाय और अच्छा हो कि हर जगह आपके द्वारा सरकार को छूट न दी जाय। आप कृपया आप अपनी विशेष शक्ति का यहां प्रयोग न करें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस आइटम को इसी शर्त पर एजेंडे पर आने दिया था कि अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो यह हो जायगा। श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने मुझसे कहा था कि उन्होंने विरोधी दल के लोगों से पूछ लिया है। इस पर मैंने कहा कि अगर यह सही है तो ठीक है लेकिन अगर किसी ने विरोध किया तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, मैंने कल सम्मानित विरोधी दलों के सदस्यों से परामर्श किया था और विषय के महत्व को देखकर उन्होंने कृपा करके आज्ञा भी दे दी थी। जो शहरी सीमा के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगा हुआ है वह 31 दिसम्बर के बाद हट जायगा उसको लगाये रखने की बात से सब सहमत थे और कल उन्होंने कृपा करके हमारी बात को मान लिया था।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जायसवाल जी का नाम लिया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

जब तक यह शहरी सम्पत्ति सीमा आरोपण विधेयक पारित न हो जाय उसके हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। कल के बाद विधान सभा उठ जायगी और बाद में ऐसे स्थानान्तरण न हों इस हालत में हमने कह दिया था कि हमको कोई एतराज नहीं है लेकिन दूसरे लोगों को भी उज्र न हो यह एक जरूरी बात है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

हमारी पार्टी से कतई नहीं पूछा गया, वर्मा जी कल नहीं थे, त्रिपाठी जी का आबजेक्शन वेलिड है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या यही परम्परा रहेगी कि संयोगवश उन की किसी विरोधी दल के नेता से बात हो गई तो वह काफी हो गया। अगर एक नेता ने मत प्रकट कर दिया और बात हो गई तो क्या तिवारी जी यह कह देंगे कि सारे विरोधी दल से बात हो गई। भारतीय क्रान्ति दल के नेता से, हम से, पांडेय जी से किसी से भी नहीं पूछा गया। उन्हें सब की अनुमति लेनी चाहिये थी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं कह रहा हूं कि हमसे कोई बात उनकी नहीं हुई।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जायसवाल जी की संतुष्टि के लिये कह दूं, ऐसा न हो कि कुछ गड़बड़ हो जाय उन्होंने ऐसी परिस्थिति में रख दिया कि जिस तरह से पेशकार ऐसे समय में कागज रख कर दस्तखत करा लेता है कि सोचने का मौका ही न मिले और दस्तखत हो जायं। किस परिस्थिति में उनसे पूछा और किसी अन्य नेता से नहीं पूछा यही बात कठिनाई पैदा करने वाली है। जब कि कानूनी दृष्टि से भी जैसा कि मैंने कहा इसकी कोई जल्दी नहीं है क्योंकि जो कानून पास किया जा रहा है उसमें रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट की व्यवस्था है, उसमें 71 से तारीख निश्चित है, जितने ट्रान्सफर होंगे वह बेकार हो जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरा दुर्भाग्य रहा कि. . . .

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य हूं मेरी बात आप पहले सुन लें। तिवारी जी सुन लें मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति में जब पिछले शनिवार का प्रश्न आया तो हम ने कहा कि शनिवार को छुट्टी रहना चाहिये लेकिन आपने शनिवार हमें नहीं छोड़ा और उस दिन आपने कहा था कि हमारा सीमाबन्दी विधेयक है वह आ जाय। परन्तु आप जो अब यह सम्पत्ति सीमा वाला संशोधन विधेयक ला रहे हैं, उस समय नहीं कुछ कहा था इसके बारे में। अब बताते हैं कि 31 दिसम्बर के बाद न होगा। अगर यह बात थी तो उस दिन तो ये बातें कहते। आज ये इस प्रकार से कह रहे हैं। श्रीमन्, ये हमेशा कार्य मंत्रणा समिति में पूरी बातें नहीं बतलाते, सरकार की ओर से पूरी बातें नहीं आतीं और वहां पर धोखा देकर करा ले जाते हैं और यहां आकर ये कुछ और कह देते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरे सम्मानित मित्रों ने जिनमें माननीय बंशीधर पांडे जी भी थे यह आश्वासन दिया था कि अगर ऐसा विषय है तो इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो इसे आप ले आयें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं माननीय त्रिपाठी जी से और माननीय वर्मा जी से भी क्षमा चाहता हूं जिनसे बात नहीं हो पायी थी। वर्मा जी थे नहीं। कल दिन में टेन्शन इतना हो गया कि बात करना भूल गया। जब मैं और माननीय अनन्तराम जी बैठे हुए थे तो माननीय तिवारी जी हमारे पास आये और अपनी कठिनाइयों को बताया। उन्होंने कहा चूंकि लैंड सीलिंग बिल भी 23 तारीख को कौंसिल से भी पास हो जायगा इसलिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से हो जायगा इसलिए अर्बन एरिया के लिए सीलिंग का बिल आने के पूर्व यह रोक रहे तो इसलिए एक इनेबिलिंग क्लाज ले आयेंगे तो इसलिए हमने कहा कि ठीक है और हम बात कर लेंगे लेकिन जब बात करने वाले थे तो हाउस ही उठ गया, बात नहीं कर पाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

माननीय पांडेय जी ने जो कहा वह ठीक है। आपस में कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। एक परिस्थिति समझकर उन्होंने कर दिया। लेकिन सरकार अपना प्रोग्राम ले आती है। कार्य मंत्रणा समिति में तिवारी जी कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हम हमेशा उनका साथ देते हैं लेकिन चूंकि यह नियम के विरुद्ध है, हम इसमें उनका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम माननीय पांडेय जी की बात नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष—

3 बजे अपराह्न में मीटिंग बुलायी। अगर उस समय तक राजी कर लें तो शाम को ले लेंगे लेकिन अगर राजी नहीं हुए तो मैं इनको आज पेश करने की इजाजत नहीं दूंगा। यह मैंने कल भी कहा था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, यह बिल खाली इसलिए आया है कि आज जो पाबन्दी लगी हुयी है, शहरी सम्पत्ति का हस्तान्तरण रुका रहे, तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर एतराज किया जा सके। केवल टैक्नीकेलिटी की बात है। अगर समझ जायेंगे तो मुझे आशा है सेटिसफाई हो जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप लोग मेरे पास 2 1/2 बजे आ जायें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

श्री त्रिपाठी जी मान गये हैं ?

श्री अध्यक्ष--

श्री त्रिपाठी जी ही नहीं माननीय वर्मा जी को भी मानना चाहिए।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मुझे इस पर एतराज है। ये बी० के० डी० की बड़ी उपेक्षा करते हैं।

(श्री उदित नारायण शर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इसके बारे में मतभेद नहीं है कि छोटा सा है।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)--

मैं माननीय त्रिपाठी जी और माननीय वर्मा जी से एक बात अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय त्रिपाठी जी राजी हो गये हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं राजी नहीं हुआ हूं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं दोनों से क्षमा याचना करता हूं कि उनसे पूछा नहीं गया। नं० 2 यह आपका ही कहना है कि ग्रामीण सम्पत्ति के ऊपर जब हदबन्दी कर रहे हैं तो शहरी सम्पत्ति के साथ तरफदारी कर रहे हैं। वह दुरुस्ती नहीं हुई। उसी के निवारण के वास्ते गलती हो गई कि हम दो रोज पहले कह देते कि 31 दिसम्बर को उसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद समाप्त हो जायेगा अगर हम एक रोज के लिये या दो रोज के लिये ठहरते हैं तो सारा हस्तान्तरण हो जायेगा। आप यह कहेंगे कि आपने जोत हदबन्दी जो थी वह तो पास कर दी और शहरी सम्पत्ति के हस्तान्तरण की इजाजत दे दी। यह गलती हमसे हुई उसके लिये क्षमा कर दें। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप फिर समझ लें। जब आप इकट्ठे हो जायं तो निश्चित कर लें।

श्री जयराम वर्मा--

बिल पर मंत्रि परिषद् का रुख देखकर ही हम फैसला करेंगे और किस तरह से कहेंगे ये कि हम भलाई करना चाहते हैं किसानों की और उनकी उपेक्षा नही करना चाहते हैं तब ही हम इनके रुख को देखकर फैसला करेंगे।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, शहरी सम्पति और देहाती सम्पति के ऊपर जो अध्यादेश जारी किया पिछले सदन में हमने माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था उसके लिये और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जितने एकड़ की सीमा निर्धारित की उससे कम भूमि वाले की हस्तान्तरण की बात कर ली जाय पर मैंने शहरी सम्पत्ति के मामलों के रजिस्ट्रेशन के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया था कि दो लाख की सीमा निर्धारित करना चाहते हैं। उसको नियमानुसार नहीं ले रहे हैं। कृपया नियमानुसार तो लें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि बजाय 31 दिसम्बर के 31 जनवरी किया जा रहा है। यह सरकार का कदम अच्छा है। इसका स्वागत किया जाना चाहिये कि वह बिल आवे। हम तो आज पास कर रहे हैं बिना बहस के।

श्री अध्यक्ष--

तीन बजे अगर राजी हो जाते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं कल इसको अनुज्ञा के लिये रखूंगा चौबीस घंटे की इजाजत है। एक रोज पहले हो जाना चाहिये। मैं मान लूंगा कि कल पेश हो जाय।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाजहांपुर)--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बाद आज जो आ रहा है..।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये हैं क्योंकि उसमें कल ही बहस होने वाली है। चीनी के विषय में शास्त्री जी मेरे पास आये थे मैंने उसे कल के लिये रख दिया है कि नियम 52 में इसकी चर्चा हो और यह तीन बजे से शुरू होगी।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैंने गन्ने का जो मामला था वह भी दिया था।

श्री अध्यक्ष--

वह इकट्ठे आ रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, ऐसा न करें जिन्होंने नोटिस दिया है वह न रह जायं।

श्री अध्यक्ष--

आपका नाम भी रहेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप नाम न दीजिये लेकिन बोलने का मौका तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

दे दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972

खण्ड ३ (क्रमागत)†

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, पहले जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था उसके सम्बन्ध में इधर से और उधर के माननीय सदस्यों ने परिभाषा के संबंध में कुछ चर्चा की थी। उसी के आधार पर यह संशोधन किया गया है। "सिंचित भूमि" का तात्पर्य दो पानी वाली बात निकाल देने से बदल जायगा तथा संशोधन नये बीज और नये खाद की बिना पर ज्यादा पानी की जरूरत को ध्यान में रख कर भी किया गया है। इसलिए पिछले संशोधन में "दो पानी" का जो प्रस्ताव था उसको निकाल देने का निवेदन करने के लिए यह प्रस्ताव आपके समक्ष रखा गया है।

(इस समय 1 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुए।)

---

† 20 दिसम्बर, 1972 की कार्यवाही से।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, यह जो संशोधन शेरवानी साहब ने प्रस्तुत किया है इसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें जो यह लिखा है कि "जिसे नियत रीति से", तो श्रीमन्, यह नियत रीति क्या होगी ? फिर आगे देखें "आश्वस्त सिंचाई से कम से कम दो फसलें उगाने के लिये ।" मान्यवर, अगर पास में नहर है, कुआं है या रहट है और उसमें फसल एक ही होती है तो उसको क्या मानेंगे सिंचित या असिंचित । मुझे ऐसा लगता है कि इस परिभाषा को माननीय मंत्री जी स्वीकार करने जा रहे हैं, इसलिए इन दोनों चीजों को स्पष्ट कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री जी ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझे संशोधन स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 3 के प्रस्तावित खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय--

(11) "सिंचित भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे नियत रीति से, किसी कृषि वर्ष में किसी राजकीय सिंचन संकर्म या निजी सिंचन संकर्म द्वारा आश्वस्त सिंचाई से कम से कम दो फसलें उगाने के लिये सक्षम अवधारित किया जाय ।"

माननीय मंत्री जी, कल आपने "उगाने" की जगह "पैदा करने" शब्द को माना था ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मैंने उसको माना तो नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो मैं फिर पढ़ देता हूं । प्रश्न यह है . . .

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, इसकी सफाई हो जानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

कल यह तर्क दिया गया था कि उगाने और पैदा करने में अन्तर है । हम चले गए थे, हमको यह शक था कि उन्होंने पैदा करना माना है । लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है . . . ।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, आप विद्वान हैं, आप ही जरा मंत्री जी को समझाइए . . . ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या मंत्री जी इसको मान रहे हैं ? श्रीमन्, इसमें बिल्कुल आर्बीट्रेरी पावर दे दी गयी है कि नियत रीति से इस प्रकार से हमेशा ही वह पावर्स दे दी जायं और रूलिंग बना कर चाहे जिसको आप ओवर रूल कर दें । यह तो लेजिस्लेचर की पावर्स हैं और उसने सरकार को यह पावर्स दे दी तो बड़ा भारी अन्याय हो जायगा । पार्लियामेंटरी पद्धति में आप देख लें कि इसके माने क्या हैं ? इस पर एक रूलिंग भी हो गई है और एक ऐक्ट अल्ट्रावायरस भी हो गया है । अगर लेजिस्लेचर ने इतनी ज्यादा पावर्स दे रखी हैं तो वह अल्ट्रावायरस हो जायेंगी ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)--

परिभाषा के विषय में यहां कहा गया । उगाना और पैदा करने में अन्तर है। आप स्वयं भी विद्वान हैं और इसको आप भी समझते हैं । बीज डाला गया और उग आया । पैदा करने के माने तो यह हैं बीज डाला गया निश्चित तरह से उसकी देखरेख की गई और यह आशा की गई कि इतना पैदा होगा । विधेयक में जो निश्चित् परिभाषा है उससे मनो मस्तिष्क नहीं बन रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न यह है कि सिंचित भूमि की परिभाषा क्या है ? शेरवानी साहबका संशोधन स्वीकार किया गया, जिसके अनुसार खतर नजर आ रहा है, कि नियत रूप से नियत प्राधिजकारी के द्वारा तहसीलदार या नायब तहसीलदार को अधिकर दिया जायगा और बेचारे भोले भाले किसानों को लूटा जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रदेश के किसानों को लुटवायें नहीं। जो चलते पुर्जे लोग हैं उनको तो इस सीलिंग से कुछ आने वाला नहीं है। इस तरह के बड़े किसान हैं और उन्होंने तो अपनी पूरी तरह से हिफाजत कर ली है। गांव के भोले भाले छोटे किसान जो हैं उनको आप कृपा करके अपने माल विभाग से लुटवायें नहीं। मेरा तो आक्षेप है कि जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाती हैकि सरकारी अधिकरियों को किसानों को लूटने और हनन करने का अवसर मिल जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप वे यह करें कि जिसमें सिंचित भूमि की स्पष्ट परिभाषा हो और किसी अधिकारी के द्वारा उसका निर्णय करवाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

मान्यवर, मेरा तो यह निश्चित मत है कि उगाना निश्चित रूप से झगड़े की जड़ बन जायगा। पैदा करने में नरिशमेंट करना पड़ता है तब फसल होती है। उगाना और पैदा करने की परिभाषा स्पष्ट कर दी जाय। अगर उगाना ही रखा जाय तो उसकी भी परिभाषा स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैं भी मान्यवर, यह कह रहा था कि इसकी परिभाषा क्लियर करवा दें।

श्री जयराम वर्मा --

जिस तरह से इसकी भाषा है इसका मतलब है कि अगर सिंचाई आश्वस्त हो चाहे वह सरकारी नलकूपों से हो या निजी तरह से और उसमें दो फसलें उगाई जा सकेंगी। परंतु इसमें यह नहीं है कि सिंचाई आश्वस्त है। यह इसमें नहीं है। आश्वस्त सिंचाई का मतलब है सिंचाई आश्वस्त हो और 2 फसलें पैदा हो सकें। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। क्या वे हर साल तय करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष --

हर साल तय करेंगे। ठीक है, परिभाषा तो ठीक होनी चाहिए।

*श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

पहले मैंने संशोधन रखा था। सिंचित की जो परिभाषा रखी गयी है वह बहुत वेग ह और इस तरह से बड़ा काओस पैदा हो जाएगा। मंत्रीजी ने आश्वसन दिया था कि हम इसको दुरुस्त करके अमेंडमेंट ला रहे हैं और जो लाए उससे तो और वर्स्ट हो गया। पहले यो यह था कि 2 बार सिंचाई हो सके और 2 फसलें तैयार हो सकें, परन्तु वह सब आपने साफ कर दिया। ऊसर भूमि भी सिंचित हो सकती है। अगर ऊसर भूमि किसी ट्यूबवेल के पास है तो आप तो उसको डेढ़ गुना करके अच्छी क्वालिटी की लैण्ड के साथ कर देंगे। सारी बात तो क्वालिटी आफ लैण्ड पर निर्भर करती है। जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने अपने बुन्देलखंड में ऊसर की जमीन का ढाई गुना कर दिया है उसी तरह से दुद्धी में भी ऊसर पड़ी हुई है। अगर आप उसकी परिभाषा को रखना चाहते हैं तो उसकी परिभाषा को सही-सही लाइये। अच्छी भूमि हो और उसमें सिंचाई हो सके। जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने कहा कि आपकी पाकेट में कुछ अफसरान बैठे हुए हैं जिनको आप लाभ उठवा देना चाहते हैं। उन्हीं को आप प्राधिकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि नाथ तिवारी]
बना देंगे और वे अच्छी तरह से लूटेंगे। चकबन्दी में वे लाखों रुपये एक एक गांव से ले गये हैं। नियत अधिकारी सबको तय करेंगे कि दो फसलें पैदा हो सकती हैं और वह सिंचित है। अब देखना यह है कि सिंचाई निजी साधन से है या सरकारी साधनों से। अगर आप इसको दुरुस्त कर दें तो ठीक है नहीं तो बड़ा काओस पैदा कर देंगे आप।

श्री उदित नारायण शर्मा—
कोई अन्तर नहीं किया गया है। अन्तर केवल यह हुआ है कि यह एतराज हुआ था कि 2 पानी में कोई फसल नहीं पैदा होती है। आश्वस्त सिंचाई ही क्वालिफाई करता है। तो इसका मतलब यह है कि एश्योर्ड इरीगेशन हो।

श्री कल्पनाथ सिंह—
आश्वस्त सिंचाई की परिभाषा क्या होगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—
श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आश्वास्त का मतलब अंग्रेजी में एश्योर्ड शब्द से है। जो हमारी मंशा है वह इसी शब्द से सही माने में प्रकट होती है और इसीलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री बंशीधर पांडेय—
एक स्पष्टीकरण पूछ लें।

श्री जयराम वर्मा—
परिभाषा यह हो कि 2 सिंचाई आश्वस्त हों, एश्योर्ड हों और 2 फसलें पैदा होती हों।

श्री उदित नारायण शर्मा—
दो फसलों का सवाल है--दो सिंचाई का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—
दो एश्योर्ड सिंचाई हों।

श्री जयराम वर्मा—
ऐसी सिंचाई एश्योर्ड हों ताकि 2 फसलें पैदा होती हों हर साल।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—
मान्यवर, ...

श्री उपाध्यक्ष—
समझने दीजिए—आखिर एक सवाल उठाया जाता है तो उसको समझने तो दीजिए।

श्री रूपनाथ सिंह यादव
जो बात माननीय नेता भारतीय क्रान्ति दल कह रहे हैं वह भी नहीं है। इस परिभाषा में बहुत गोलमाल किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि एश्योर्ड सिंचाई हो और सक्षम हो। अगर एक गांव में एक ट्यूबवेल लगा है तो यह होगा कि वह सक्षम है या नहीं। इसमें तो यही होना चाहिए था कि सिंचाई उपलब्ध हो। अगर ऐसा नहीं होगा और इसी तरह से रख दिया जायगा तो हर साल मुकदमबाजी होगी। साधनों से जल प्राप्त हो केवल इतना रख दें।

श्री बंशीधर पांडेय

रूप नाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा। यह सारा ऐक्ट जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने पेश किया है इसका दिवालियापन निकल गया है। अभी परसों किसी ने कहा, शायद भानु प्रताप जी ने कि पहले जितने ट्यूबवेल लगते थे अब उसके एक चौथाई लग रहे हैं क्योंकि लोगों को भय हो गया। आपने कहा कि एन्ड आफ द फोर्थ प्लान इर्रीगेशन 80 परसेंट हो जायगी। फिफ्थ प्लान में पता नहीं ओवर फ्लो हो जायगा। जब आप एश्योर्ड इर्रीगेशन कहते हैं तो यह मतलब हो गया कि जनता को यह मौका देते हैं कि वह अपने सिंचाई के साधनों को उखाड़ कर 18 की जगह 27 एकड़ रखे। यह मोस्ट रिएक्शनरी एमेन्डमेंट है। 18 एकड़ होना चाहिए, न 27 और न 45 एकड़।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

मैं स्वीकार करता हूं कि राजस्व मंत्री की मंशा यह है कि ऐसी भूमि जो दो फसली हो और जिसमें सिंचाई आश्वस्त हो उसका 18 एकड़ देना चाहते हैं। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मंत्री जी दो मामूली से शाब्दिक संशोधन स्वीकार कर लें तो उनकी मंशा पूरी हो जाय और जो संदेह है वह भी मिट जाय। पहला संशोधन तो यह है कि जहां "किसी वर्ष" लिखा हुआ है वहां "किसी" के बजाय "प्रत्येक" कर दें। दूसरे "उगाने" के स्थान पर "पैदा करने" कर दिया जाय। यह स्पष्ट हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपके माध्यम से एक निवेदन राजस्व मंत्री जी से करना चाहता हूं कि यह सारा बिल सिंचाई की क्षमता पर आधारित होने जा रहा है। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि देवरिया जिले के कुछ हिस्से में जहां पानी की जरूरत होती ही नहीं, अच्छी फसल पैदा होती है, वहां अगर 18 एकड़ से ज्यादा मंत्री जी लेना चाहते हैं तो किस आधार पर लेंगे। संयोग से जो इस संशोधन के देने वाले हैं श्री राज मंगल जी पांडे और जो उनकी बगल में बैठे हैं वह पडरौना तहसील वाले हिस्से से आते हैं जहां भाट वाली जमीन पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि संशोधन का मतलब क्या है? यह बात साफ कर दें कि यह उस इलाके में लागू होने वाला है या नहीं, या भाट के इलाके में रहेगा कि 54 एकड़, 45 एकड़, 27 एकड़ चाहे जो रखो, बाकी लोगों में परिभाषा लिये घूम रहे हैं' इनका मतलब क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, वास्तविकता यह है कि जितने भी अभी कारण बताये गये हैं उनसे जो वह कहना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं कि उससे बिल्कुल उलटा मतलब निकलेगा। माननीय भानुप्रताप ने "प्रत्येक वर्ष", के लिए कहा। लेकिन एक में न हो तो वह सिंचित नहीं रहेगा हमारा मंशा यह नहीं है दूसरा है। माननीय सदस्य समझते नहीं हैं या समझकर जानबूझ कर यह सोचते हैं कि हम बहक जायं तो बहक जायं, तो यह गुंजायश इसमें नहीं है। तो हमको वही स्वीकार है, इसको इसी रूप में आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 3 के प्रस्तावित खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय:—

(11) "सिंचित भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे नियत रीति से किसी कृषि वर्ष में किसी राजकीय सिंचन संकर्म या निजी सिंचन संकर्म द्वारा आश्वस्त सिंचाई से कम से कम दो फसलें उगाने के लिए सक्षम अवधारित किया जाय।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--
उसके बाद वाला श्री पारसनाथ का आउट आफ आर्डर है ।

श्री पारसनाथ सिंह
मगर इस प्रकार तो आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--
वह तो पास हो गया उसके बाद यह नहीं आता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह
श्रीमन, सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति को देख कर मैं अपना संशोधन नहीं पेश करूंगा ।

श्री हरिनाथ तवारी--
मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (11) की पंक्ति 2 में शब्द 'उगायी जा.....अवधारित किया जाय' निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द '5 वर्ष से लगातार उगायी जा रही हो अवधारित किया जाय' रख दिये जायं। यह हमारा संशोधन इसलिए आवश्यक है कि लगातार 5 वर्षों तक दो फसलें उगायी जा सके यह लिख दिया जाय तो इससे निश्चितता आती है' किसी दूसरे के ऊपर यह निर्भर नहीं रहता कि कोई अधिकारी तय करे और पैसा लेकर तय करे। दूसरे के डिस्क्रेशन पर नहीं छोड़ा जाय...

श्री उपाध्यक्ष--
यह भी बतायें कि इस अमेंडमेंट में कैसे आपका मेल खाता है, कैसे फिट-इन होता है ?

श्री हरिनाथ तिवारी--
किसी वर्ष में यह रहेगा कि 5 साल तक लगातार फसल उसमें उगायी जाय यह आवेगा।

श्री उपाध्यक्ष--
तब तो यह बैठता नहीं है। यह आउट आफ आर्डर है। 7-क, 7 कक, और 7-ककक, ये भी आउट आफ आर्डर हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी--
7-ककक कैसे आउट आफ आर्डर हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष--
आश्वस्त, यानी एश्योर्ड में होती भी है लेकिन होती एश्योर्ड नहीं है। (श्री भानु प्रताप सिंह से) 7-कककक आप रख दीजिये।

श्री भानु प्रताप सिंह--
रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बातचीत माननीय राजस्व मंत्री जी से हो गयी है और मैं अब आश्वास्त हो गया हूं कि इस संशोधन के न रहते हुये भी इसकी मंशा विधेयक में मौजूद है। इसलिये मैं इसे पेश नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष--
7-ख आउट आफ आर्डर है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--
आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 के उपखंड (14) की पहली लाइन में आये हुये शब्द "15 अगस्त, 1972" हटा दिया जाय और उसके बजाय "आगामी 31 मार्च, 1973" तथा दूसरी पंक्ति में शब्द 'निजी नलकूप' के बाद शब्द 'कूप' लिख दिया जाय।

मान्यवर, विधेयक के अनुसार 15 अगस्त, 1972 के जो निजी ट्यूबवेल लग गये हैं वह तो मान लिये जायेंगे लेकिन उसके बाद इसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 1973 तक जो निजी नलकूप लगाये जायेंगे वह नहीं माने जायेंगे, उनका एरिया नहीं निकाला जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो ज्यादा जमीन निकालने के पक्ष में हैं ?

श्री मैनेजर सिंह—

वकील साहब का संशोधन गैर समाजवादी हो गया।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

आप सुनिये तो, जरा देर में समझ पायेंगे। अब उन्होंने कूप को भी हटा दिया। पहले यह ढिंढोरा पीटा कि हमने तमाम कुयें खुदवा दिये हैं। तो उन कुओं से जो सिंचाई हो रही है उसको आपने गोल कर दिया, खाली निजी नलकूप कर दिया। जो कुयें से सिंचाई हो रही है वह कहां जायेगी ? इसलिये निजी नलकूप अथवा कुयें, दोनों से जो सिंचाई हो वह सिंचित क्षेत्र माना जाय और जो नलकूप मार्च, 73 तक बनने वाले हैं अगर वह बना दिये जायंगे तो वह सब इसके अन्दर आ जायें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के उपखंड (14) के पहली लाइन में आये हुये शब्द "15 अगस्त, 1972" हटा दिया जाय और उसके बजाय "आगामी 31 मार्च, 1973" तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "निजी नलकूप" के बाद शब्द 'कूप' लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (14) की पंक्ति 2 और 3 में जहां भी शब्द "निजी" आया है, उसके पूर्व "खातेदार के" बढ़ा दिया जाय। मेरा मतलब यह है कि शब्द "निजी" के पूर्व यदि शब्द "खातेदार" बढ़ा देने से कहीं कोई भ्रम नहीं रहेगा। इस निजी नलकूप शब्द से यही अर्थ निकलता है कि जिसके खेत में वह नलकूप होगा, उसी पर यह प्रभावी होगा। अगर वह नलकूप से कोई दूसरा खेत आस पास का सिंचित होता है तो वह नहीं माना जायेगा। परन्तु अगर हम इसके पूर्व शब्द खातेदार जोड़ देंगे तो यह भ्रम दूर हो जायेगा। कानून भी अधिक स्पष्ट हो जायेगा और कोई लिटीगेशन आदि की गुंजायश भी नहीं रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

निजी तो अधिक स्पष्ट और व्यापक है ?

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

नहीं श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिये कि 'क' के खेत में नलकूप है और उससे 'ख' के खेत की सिंचाई होती है तो वह सिंचित माना जायेगा या नहीं ? वह नहीं मानी जायेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

इसका समर्थन करते हुये मैं यह बताना चाहता हूं कि नलकूप भी दो प्रकार के हैं एक निजी और एक राजकीय। दूसरे से क्या मतलब है वह मंत्री जी से एक्सप्लेन नहीं किया। उससे भ्रम पैदा हो रहा है। जिसके खेत में कुंवा है वह तो सिंचित हो जायेगा, और अगर बगल वाले

[श्री हरिनाथ तिवारी]
में नहीं, लेकिन वह दूसरे खेत के कुवें से पानी लेकर सींचता है तो वह नहीं होगा। तो यह चीज जो भी वे करने जा रहे हैं स्पष्ट होना चाहिये। जिसका कुंवा है वह तो एश्योर्ड हो सकती है और जिसका कुवां नहीं है वह नहीं हो सकती।

श्री कल्पनाथ सिंह---
सरकार तो यह चाहती है कि ऐसा कानून बना दो जो हाई कोर्ट में जाकर फेल हो जाय और उसको इसका सेहरा मिल जाय। इसीलिये यह लूपहोल्स रखे जा रहे हैं। इनका इरादा असल में सीलिंग का है ही नहीं। इसलिये माननीय सदस्यों को ऐसा कोई संशोधन नहीं पेश करना चाहिये जो मंत्री जी की हठवादिता के विरुद्ध हो।

श्री पारसनाथ सिंह---
'निजी' का अर्थ गवर्नमेंट यह लगायेगी---'अदर दैन गवर्नमेंट' लेकिन निजी का मतलब यह है कि कृषक या खातेदार का स्वयं का है या दूसरे किसी आदमी का है---पड़ोस का है। इसका मतलब यह भी है कि कृषक या खातेदार के अलावा किसी अन्य पड़ोसी का हो। खातेदार से उस पड़ोसी की एक वर्ष दोस्ती रही, उसने सीचने को दिया दूसरे वर्ष किसी कारण नहीं दिया तो क्या होगा। इसलिए 'खातेदार' शब्द इसमें डाल देना आवश्यक है।

श्री उदित नारायण शर्मा---
इस 'निजी' का अर्थ यही होता है कि 'अदर दैन गवर्नमेंट' यह हमें स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (14) की पंक्ति 2 और 3 में जहां भी शब्द 'निजी' आया है, उसके पूर्व 'खातेदार के' के बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी---
मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (14) में "15 अगस्त, 72 के पूर्व निर्मित" निकाल दिया जाय। मान्यवर, यह जमीन की हदबन्दी के लिए कानून बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा उसने अपने खेत में बना लिया है और वहां पर उसने अपना धन इकट्ठा कर लिया है तो यह कहना कि उसका धन भी ले लेंगे---घर ले लेंगे यह ठीक नहीं होगा। न यह पुराने ऐक्ट में था और न आपने उद्देश्य और कारण में बताया। यह यहां आपने नई बात कह दी कि उसकी जो जमीन निकली है, पेड़ होंगे वह भी ले लेंगे। उसका घर ले लेना ठीक नहीं, उसको आखिर आप कहां भेजेंगे। आप उसके साथ कम से कम इतनी ज्यादती तो न करें। यह सही है कि बहुमत के आसुरी बल पर आप जो चाहे कर लें, लेकिन फिर भी थोड़ा मानवता के नाम पर ख्याल करें। यह ठीक मालूम पड़ता है, जैसा कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि हमें इसमें अपने सुझाव ही नहीं देने चाहिए। यह यहां से पास होगा और जनता हमें क्या कहेगी, वह यही कहेगी कि विरोधी पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया और ऐसी दोषपूर्ण बातें पास कर दीं। आप उनका घर भी ले रहे हैं तथा जिसका आशय उसके अन्तर्गत उस पर विद्यमान किन्हीं इमारतों, कुओं और वृक्षों से भी है। आप यह सब ले लेंगे। आप जमीन की सीलिंग कर रहे हैं, लेकिन वह 18 एकड़ के बाद जमीन तो वहीं रहे, उसके पास रहे। उसका घर, कुआं और पेड़ जो बाग में नहीं आता है, उसको तो छोड़ें। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा, यह बड़ा असंवैधानिक है और इसको अवश्य निकालने की कृपा करें। जमीन ले लें, किन्तु घर के बाहर जो अतिरिक्त जमीन हो उसको न लें।

श्री उदित नारायण शर्मा---
यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (14) में " 15 अगस्त, 72 के पूर्व निर्मित ' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (15) में यह जोड़ा जाये कि "राजकीय सिंचन संकर्म का तात्पर्य ऐसे सिंचन से मतलब है कि जोकि निश्चित रूप से 6 पानी रबी में (हाई ईल्डिंग) हेतु दे सके ।" जब माननीय मंत्री जी जनरल डिबेट का जवाब दे रहे थे तो इसे उन्होंने स्वीकार किया है कि हाई ईल्डिल वाली वैराइईटी में कई कई पानी लगते है ।

श्री उपाध्यक्ष--

4 पानी वाला जो पहले आया था वह तो माना नहीं गया अब 6 पानी वाला आप समझते हैं मान लिया जायेगा। चार पानी वाला पारित नहीं है। और आप छः पानी रखना चाहते हैं । यह आउट आफ आर्डर है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

प्रदेश में गेहूं पैदा होने नहीं देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरिनाथ तिवारी, 8-ख

श्री हरिनाथ तिवारी--

इस पर तो आप ने वोट ले लिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आगे देखिये । सब-क्लाज 14,15 के आगे सब-क्लाज 16 ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

माननीय तिवारी जी ने इस विषय पर भाषण तो दिया था लेकिन दूसरे संदर्भ में चले गये ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो इसको समाप्त कीजिये । माननीय रूपनाथ सिंह यादव ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

शाब्दिक है । माननीय मंत्री जी मानते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले पढ़ दीजिये ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मैं जानकारी चाहता हूं । अगर माननीय मंत्री जी का एक खाता बुन्देलखंड में है और दूसरा सरहद पर मध्य प्रदेश में है तो ऐक्ट में आयेगा या नहीं ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह बहुत जरूरी है । बिड़ला साहब मध्य प्रदेश में भी रखेंगे और बिहार में भी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने संशोधन नहीं रखा । आगे चल रहा हूं ।

श्री रूपनाथ सिह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (17) की पहली पंक्ति में शब्द "जोत का "के पश्चात और शब्द "धारक" के पहले शब्द "राज्य के भीतर या बाहर" लिख दिया जाय ।

ऐसे भी खातेदार हैं जिनकी जमीन उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है आप कह रहे हैं जमीन पर सीलिंग कर रहे हैं और जो जमीन मिले वह भूमिहीनों को दी जाय । लेकिन जो होशियार लोग थे उन्होंने अपनी यहां जमीन बेचकर सतना रीवां में ले ली । या बनारस के नजदीक बिहार है, माननीय मुख्य मंत्री के जिले वाले होशियार हैं । उन्होंने बिहार में जमीन ले लिया । इसी लिये इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं । इसको मान लेंगे तो काफी जमीन हमारे प्रदेश में बच जायेगी ।

श्री मैनेजर सिंह---

उपाध्यक्ष जी, माननीय रूपनाथ जी का संशोधन बहुत ही उचित और कांग्रेस की घोषित नीति के अनुकूल है । यदि माननीय मन्त्री चाहते हैं कि कांग्रेस की नीति को सही रूप दिया जाय और बड़े-बड़े किसानों से जमीन निकाल कर गरीबों को दी जाय तो इस संशोधन को मान ही लेना चाहिये । जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया बुन्देलखंड की सरहद मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है या पूर्वी अंचल में जैसे बलिया है, मेरा क्षेत्र है, तीन तरफ से बिहार से घिरा है...

श्री उपाध्यक्ष---

मध्य प्रदेश और बिहार के बारे में कानून बना सकते हैं या नहीं ?

श्री मैनेजर सिंह---

मध्य प्रदेश के बारे में नहीं बना सकते लेकिन हम अपने प्रदेश के लिये कानून बना सकते हैं और उसमें सीमा निर्धारण करने में उसकी पूरी सम्पत्ति का आगणन कर सकते हैं । यदि नहीं कर सकते हैं तो कोई वैधानिक आपत्ति बतायें । जो पूरी सम्पत्ति होगी उसको भी इस सीमा में ले आ सकते हैं । श्रीमन्, ऐसे बहुत से काश्तकार हैं जिनकी जायदाद शाहाबाद में भी है, छपरा में भी है और मध्य प्रदेश में भी है और बलिया में भी है । तो कांग्रेस का जो निर्देश आपको मिला है और इस संशोधन की मंशा जो है वह एक है और कांग्रेस के निर्देश के अनुसार आप इस संशोधन को मान लीजिये । अगर विरोध पक्ष के लोग भी हमारी घोषणाओं के अनुकूल कोई सुझाव देते हैं तो उसे मान लिया जाना चाहिये अपनी भूल स्वीकार कर लेनी चाहिये नहीं तो लोग यहां भी जमीन रखेंगे मध्य प्रदेश में भी रखेंगे और बिहार में भी रखेंगे और इस प्रकार से आप जमीन को नहीं निकाल पावेंगे और काश्तकारों को आप जमीन नहीं दे पावेंगे ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि माननीय सदस्य ने जो इसमें शब्द बाहर लिख दिया है इससे भ्रम पैदा हो गया है । अगर उन्होंने यह लिखा होता कि "इस देश के अन्दर किसी और प्रदेश में" तो ज्यादा मुनासिब था । इससे तो यह हो सकता है कि अगर किसी की जमीन नैपाल में है तो क्या उस पर भी हमारा कानून लागू होगा । इस शब्द को उन्हें नहीं रखना चाहिये था ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से बिनती करूंगा कि इसकी जो मंशा है उस को देखें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आप दोबारा बोल रहे हैं । आपने उनका ध्यान आकृष्ट कर दिया बस हो गया ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मैं इसके लिये उनको कन्विन्स भी कर सकता हूं और प्रेस भी कर सकता है। इसमें धारा 4 के अन्दर यह है कि 30 दिन के अन्दर वह अपनी शहरी सम्पत्ति का विवरण देगा। अब अगर वह विवरण देता है और यू० पी० के अन्दर जो जमीन उसके अलावा बिहार में भी उसकी जमीन है तो उसकी भी गणना इसी सीमा में कर ली जाय यानी जिन्होंने चालाकी से जमीन प्रदेश के बाहर कर ली है वह चालाकी इससे खत्म हो जायगी और जमीन काफी निकल आवेगी।

श्री उदित नारायण शर्मा---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रूपनाथ सिंह का जो इरादा है वह बिलकुल ठीक है लेकिन इसमें एक कठिनाई यह है कि वह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं एक उदाहरण दे दूंगा तो फिर शायद वे इस संशोधन को रखने की जिद नहीं करेंगे। हमने यह रखा है कि जो सम्पत्ति वह चाहेगा अपने पास रख सकता है अगर उसने कहा कि नहीं हम बाहर वाली अपने पास रखेंगे तब हम कैसे उनको मजबूर करेंगे कि नहीं वह बिहार में नहीं रख सकेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

आप उससे यह कह सकेंगे इस कानून में उसका प्राविधान करके नहीं उसको यहां का ही रखना होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (17) की पहली पंक्ति में शब्द "जोत का" के पश्चात् और शब्द "धारक" के पहल शब्द "राज्य के भीतर या बाहर" लिख दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हां और ना की संख्या मौखिक रूप से आने के उपरान्त माननीय उपाध्यक्ष द्वारा "ना" की संख्या को अधिक घोषित किया गया किन्तु विरोधी पक्ष की ओर से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि "हां" की संख्या अधिक है।)

श्री उपाध्यक्ष---

एक और दो के बीच में वोटिंग नहीं करेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

फिर अभी तक आप यह क्या कर रहे थें ? हां और ना का प्रश्न आपने उपस्थित कर दिया। क्या हां और ना का मतलब वोट करना नहीं होता। आपने वोटिंग की प्रक्रिया जारी कर दी। अब आप हाथ उठा कर वोट लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपके समझने की बात है कि एक व दो के बीच यह सवाल नहीं उठ सकता। आप इसका पालन नहीं करना चाहते तो मैं वोट कराये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 3 की प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (17) की पहली पंक्ति में शब्द "जोत का" के पश्चात् और शब्द "धारक" के पहले शब्द "राज्य के भीतर या बाहर" लिख दिये जायं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---	37
विपक्ष में---	38

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

श्री मैनेजर सिंह ने हमारा समर्थन किया था। उनका वोट हमारे साथ होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस संशोधन पर सरकार हार गयी । वोटिंग ठीक से नहीं हुई । सरकार चूंकि हार गई इसलिये इसे हट जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है । लिहाजा मैं आगे चलता हूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (17) (क) के अन्त में "खातेदार हो," के बाद "24 जनवरी, 1971 के पश्चात हो" जोड़ दिया जाय ।

मेरा निवेदन है कि जहां पर और चीजों के लिये 24 जनवरी डेड लाइन रखी गयी है इस प्रकार इसमें भी 24 जनवरी ही होना चाहिये जैसे कि और चीजों के लिये रख दिया गया है । कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । आगे पीछे न रखकर 24 जनवरी ही इसके लिये रख दिया जाना चाहिये ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खन्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (17) (क) के अन्त में "खातेदार हो" के बाद "24 जनवरी, 1971 के पश्चात् हो" जोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री हरिनाथ तिवारी का नाम पुकारने पर)--आपका यह 8-ङ का संशोधन आउट आफ आर्डर है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, मेरा जो वह संशोधन है वह बड़ा ही कल्याणकारी है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि अब वोटिंग जो हो वह लिखित रूप में हो क्योंकि हमारे यहां के लोग भी खाना-खाने गये हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप पहले संशोधन को रख तो दें . . . . . .

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (17) के पश्चात् एक नया उपखण्ड (ग) निम्नतौर पर रख दिया जाय--"(ग) ऐसे वयस्क पुत्र जिसका नाम खतौनी में 1 जुलाई, 1952 के बाद उसके पिता या माता के जीवन काल में ही दर्ज किसी भी दशा में हुआ हो" मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन दूसरों के नाम करवा दी है वे इस बिल के द्वारा कानूनी तरीके से बटवारा कराना चाहते हैं । बड़े-बड़े लोगों ने बीसियों तरीकों से जमीन का बटवारा करवा दिया था उनको इससे प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उस दशा में वह एक परिवार नहीं माना जायगा और उससे भूमि नहीं मिल पायेगी । तो मेरा संशोधन यह है कि ऐसी बंटी हुई पूरी जमीन को एक ही परिवार की मान ली जाय ताकि अधिक जमीन आपको उपलब्ध हो सके । मैं अनुरोध करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें । वैसे मन्त्री जी पहले से ही समाजवादी विचारधारा के रहे हैं इसमें समाजवाद की बात करें ।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

मान्यवर, जो संशोधन माननीय रूपनाथ सिंह जी यादव ने रखा है वह बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, चकबन्दी उत्तर प्रदेश में हुई और उसमें यह चेष्टा की गई कि लोगों ने खेतों को दूसरों के नाम करवा लिया और ऐसे लोगों के नाम अपनी जमीन को करवा लिया है जिनका कि कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो लोग चतुराई से फायदा उठाये हैं, उनसे जमीन निकाल लेनी चाहिये ताकि वह जमीन हरिजनों और गरीबों को दी जा सके। यदि आप इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो स्पष्ट जाहिर है कि आपका इरादा हरिजनों को जमीन देने का नहीं है क्योंकि ऐसे में आप को जमीन नहीं मिल सकती है। आप इसके जरिये जमीन वालों की रक्षा करना चाहते हैं, उनको संरक्षण देना चाहते हैं। आप बिलकुल जमीन निकालने के लिये प्रयत्नशील नहीं हैं। इसलिये मैं अपेक्षा करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को अवश्य मान लें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मन्यवर, जिस किसी ने ऐसी कोशिश जमीनें का बंटवारा करने की की है उसके लिये अन्यथा भी प्राविधान किया गया है। मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (17) के पश्चात् एक नया उपखण्ड (ग) निम्नतौर पर रख दिया जाय--'

"(ग) ऐसे वयस्क पुत्र जिसका नाम खतौनी में 1 जलाई, 1952 के बाद उसके पिता या माता के जीवन काल में ही दर्ज किसी भी दशा में हुआ हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (20) निकाल दिया जावे और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जावे:--

"ऊसर भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी बन्दोबस्त में या खतौनी एवं खसरा में 1-7-1952 और 10-2-1959 को दर्ज है।"

मान्यवर, इससे यह साफ हो जायेगा कि बन्दोबस्त के रोज जो भूमि ऊसर और बंजर खसरा व खतौनी में दर्ज है उसे ही ऊसर माना जायगा। इससे कोई फर्जी कार्यवाही नहीं हो पायेगी। जमींदारी टूटते वक्त या जिस दिन सीलिंग ऐक्ट सन् 60 में पास हुआ था उस समय जो जमीन ऊसर के नाम दर्ज थी वह तो रेलिवेंट है लेकिन आइन्दा कोई फर्जी कार्यवाही न हो सके इसलिये इस अमेंडमेन्ट को मान लेना बहुत आवश्यक है। इसको मान लेने से बड़े आदमियों की जमीनें नहीं बचायी जा सकेंगी। यह संशोधन मान लेना माननीय मन्त्री जी और सरकार के हित में ही होगा। वे ही इसके हीरो होंगे। वरना होता यह है कि जिस तरह से पटवारी 10 रुपये रिश्वत लेकर गलत इन्दराज कर दिया करते हैं उसी तरह से कुछ लोग अपनी अच्छी जमीन को बचाने के लिये पटवारी को रिश्वत देकर ऊसर लिखवा लेंगे और नियत प्राधिकारी उसको काट नहीं सकेगा। इसकी वजह से ड्योढ़ी, दुगुनी जमीन ऊसर के नाम पर निकल जायगी और इससे गरीबों की बड़ी हानि हो जायगी। कारण यह है कि पटवारी द्वारा खसरे में जो इन्दराज होता है उसकी बड़ी कीमत होती है, उसीके आधार पर अदालत भी फैसला देती है और इसलिये आगे फर्जी कार्यवाही को रोकने के लिये आपको इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिये क्योंकि जिसकी जमीन निकल जायगी, वहां सरकार के अधिकारी या दूसरे लोग उसकी पैरवी करने वाले न होंगे और वह कुछ नहीं कर सकेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (20) निकाल दिया जावे और उनके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जावे:--

"ऊसर भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो किसी बन्दोबस्त में या खतौनी एवं खसरा में 1-7-1952 और 10-2-1959 को दर्ज है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (20) निकाल दी जाय।

मान्यवर, यह जो ऊसर शब्द है इसकी परिभाषा इस खंड में नहीं है और जैसा मैंने कल कहा था कि जब इसकी परिभाषा नहीं है तो इसके लिये जो भी एजेंसी होगी, जो भी नियत प्राधिकारी होगा वह इसका नाजायज लाभ उठावेगा। ऊसर भूमि जोत की तहत नहीं आ सकती है। इसी सरकार का जो "सांख्यिकी सारांश, उत्तर प्रदेश" है उसमें लिखा हुआ है कि ऊसर भूमि खेती के अयोग्य भूमि है। उसके जो आंकड़े हैं उसमें दिया हुआ है कि 65-66 में ऊसर भूमि 10 लाख 65 हजार थी और 66-67 में 10 लाख 48 हजार है। यह आंकड़ा जो सरकार ने ही प्रस्तुत किया है उसमें साफ कहा गया है कि ऊसर जमीन खेती के योग्य नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि जो जमीन खेती के योग्य नहीं है वह जोत सीमा आरोपण में कैसे आयेगी, इसकी क्या स्थिति होगी। इसलिये यह संशोधन बहुत आवश्यक है। माननीय मन्त्री जी और सरकार तिकड़म करके बड़े आदमियों की वे अपनी अच्छी भूमि को ऊसर भूमि के नाम पर बचाना चाहते हैं।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, यह जो धारा 18 है, इसको आप कृपा करके देखें। इसमें असिंचित भूमि की परिभाषा दी गयी है। "असिंचित भूमि" का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग,--भूमि से भिन्न किसी भूमि से है।

जो बाग-भूमि नहीं है और सिंचित भूमि भी नहीं है तो वह असिंचित भूमि तो है ही, अब चौथी किस्म की भूमि कहां रहेगी। बाग की भूमि और सिंचित भूमि के अलावा जितनी भूमि है सब असिंचित मानी जायगी तो चौथी किस्म की भूमि कहां से आयगी। इसलिये असिंचित भूमि की परिभाषा स्वीकृत हो जाने के बाद किसी किस्म की भूमि नहीं रह जाती है। इसके अलावा बाकी सारी भूमि को असिंचित भूमि मान लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें असिंचित भूमि का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग-भूमि से भिन्न किसी भूमि से है। सब भूमि से नहीं है।

श्री जयराम वर्मा--

अगर यह ऊसर भूमि ले आते तब तो यह कहते कि असिंचित भूमि का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग-भूमि और ऊसर भूमि से भिन्न भूमि से है। लेकिन केवल दो को एक्सक्लूड किया है। इसलिये जो भूमि बचती है वह सभी असिंचित है।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी में गुंजाइश है सभी में गुन्जाइश नहीं है।

श्री जयराम वर्मा--

जब तक ऊसर भूमि नहीं रखते तब तक यह असिंचित भूमि की परिभाषा में है। दूसरी बात यह है कि यह परिभाषा करके इस बात का प्रयास है कि जो जमीन निकलने वाली है उसमें बहुत कमी हो जाये। असिंचित सिंचित की ड्योढ़ी मानी जायगी और बाग-भूमि दुगुनी मानी जायगी। लेकिन चौथी किस्म की जमीन की गुंजाइश नहीं है। ऊसर भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे ऐसी रीति से जो नियत की जाये अवधारित किया जाय तो किसी भूमि को भी ऊसर भूमि कह देंगे। इससे बहुत सी भूमि जो ऊसर नहीं है, ऊसर कह दी जायगी। इसलिये जो जमीन निकलने की गुंजाइश थी उसमें कमी आ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--

ऊसर भूमि को क्या आप असिंचित भूमि कहेंगे ?

श्री जयराम वर्मा--

वह तो श्रीमन्, उनकी परिभाषा कहती है। अगर वह रख देते कि ऊसर भूमि से तात्पर्य है तब तो गुंजाइश हो सकती थी। लेकिन यह कहते हैं कि उस भूमि से है, इसलिये दोनों के अलावा सब असिंचित होगी। इसमें तीसरी चीज नहीं हो सकती है जब तक ऊसर भूमि न रखा जाये। असिंचित भूमि सिंचित भूमि की ड्योढ़ी है और बाग-भूमि दुगुनी है और इसके रहने से जो जमीन निकलती वह नहीं निकलेगी।

इस प्रदेश का कुछ विशिष्ट हिस्सा है जिसमें असिंचित भूमि को ढाई गुना माना है सिंचित भूमि का जो इनके अलावा क्षेत्र बचते हैं उसमें ऊसर भूमि कह देते यानी प्रदेश के और हिस्सों में जो ऊसर भूमि होगी उसके बराबर विशिष्ट क्षेत्र की असिंचित भूमि मानी गई है। विशिष्ट क्षेत्र की असिंचित भूमि प्रदेश के बाकी हिस्से की ऊसर भूमि के बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इन विशिष्ट क्षेत्रों की असिंचित भूमि बराबर है सूबे के बाकी हस्से में ऊसर जमीन के। इसका औचित्य किसी तरह से नहीं है और दूसरे इस परिभाषा की गुंजायश ही नहीं है चूंकि असिंचित की परिभाषा पहले हो चुकी है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह मुझे स्वीकार नहीं है और मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि असिंचित भूमि की परिभाषा के बाद ऊसर की परिभाषा की जरूरत नहीं होती अगर सभी असिंचित भूमि सभी हालतों में सामने होती। लेकिन ऐसा नहीं है, वह समान नहीं है, कई विशिष्ट स्थानों में उसकी हद अलग है इसलिये ऊसर को अलग परिभाषित करेंगे। केवल इतना है।

श्री जयराम वर्मा--

असिंचित भूमि भी कहीं समान नहीं होगी, बाग भूमि भी कहीं समान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

धारा 3 के (18) में है कि "असिंचित भूमि" का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग भूमि से भिन्न किसी भूमि से है।

श्री जयराम वर्मा--

दोनों से भिन्न जो भूमि है वह असिंचित है।

श्री उपाध्यक्ष--

तो ऊसर कोई असिंचित भूमि तो है नहीं....

श्री जयराम वर्मा--

तब तो कोई समान रह ही नहीं गई..... (व्यवधान) असिंचित भूमि का भी क्लेरिफिकेशन होना चाहिये। इस तरह से यह गलत हो जायगा, मन्त्री जी एल० आर० से पूछ लें, थोड़ी देर बाद इसको फिर ले लें.....

श्री मैनेजर सिंह---

यह कहना सही है कि असिंचित भूमि में ऊसर भूमि अलग है। ऊसर भूमि वही आना चाहिये था, वहां ऊसर नहीं लाये तो ऊसर भूमि की परिभाषा का कोई अर्थ नहीं रहता। असिंचित भूमि की व्याख्या आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---

ऊसर को असिंचित कैसे कहेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---

भूमि है उसे पानी नहीं मिलता तो वह असिंचित है।

श्री उपाध्यय---

सिंचन एक कर्म है और उसकी परिभाषा कहां तक जायेगी जहां सिंचन क्रिया होती है। इस में एल० आर० की राय की विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर राजस्व मन्त्री जी इसे स्वीकार करें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मैंने स्पष्ट कह दिया है कि मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

इसमें एक टेक्नीकल या कानूनी दोष है, आप देखलें कि इसमें लिखा है कि ऊसर भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिस रीति से जो नियत की जाय, ऊसर अवधारित किया जाय। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में और यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में इस लैंड की परिभाषा दी गई है लेकिन यहां इसको लेजिस्लेचर परिभाषित नहीं कर रहा है और यह पावर एजीक्यूटिव के लिये छोड़ी जा रही है। यह लेजिस्लेचर के जूरिसडिक्शन के बाहर किया जा रहा है। यह पावर एगजिक्यूटिव के लिये इस सदन को नहीं छोड़ना चाहिये, यह लेजिस्लेचर का काम है। अब तक जो ऊसर नहीं माने गये हैं उनको भी उसकी परिभाषा से ऊसर बना कर निकाल लेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 3 की उपधारा (20) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री रूपनाथ सिंह यादव---

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना यह है कि एजेन्डे में जो मेरा संशोधन छपा है उसमें कुछ प्रिंटिंग त्रुटियां हैं, इन्हें ठीक कर दिया जाय। उदाहरणार्थ द्वितीय पंक्ति में "(च)" के स्थान पर "(ज)" कर दिया। दूसरे छठी पंक्ति में "बंजड़" के बाद में "बाग" लिख दिया जाय। अब मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं।

खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) और (2) के भाग (क) लगायत (ज) निकाल दिया जाय और निम्नतौर पर खंड चार लिख दिया जावे:---

"4--(1) धारा 5 के आधीन अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के आधीन किसी छूट के प्रयोजनार्थ---

(क) असिंचित भूमि की सवा हेक्टर भूमि या बंजर, बाग भूमि या ऊसर भूमि की डेढ़ हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के 1 हेक्टर भूमि के रूप में गिना जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्र में अर्थात् बुन्देलखंड के जिले के पर्वतीय क्षेत्र, इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के जमुनापारी पर्वतीय एवं ऊबड़-खाबड़ भाग, मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है या तहसील सदर के बलाये पहाड़ राबर्ट्सगंज का पर्वतीय भाग तथा मिर्जापुर जिले के परगना सेक्ट्स गढ़ तथा तहसील चुनार के परगना अहरौरा की पहाड़ी पट्टियों के वे गांव जो अब भी पर्वतीय हैं, इनमें किसी असिंचित भूमि की "2 हेक्टर" भूमि को सिंचित के 1 हेक्टर के रूप में माना जायगा।"

श्रीमन्, मैं निश्चित रूप से आरोप लगाता हूं और सरकार को चैलेन्ज करता हूं कि 2 आदमियों के लिये, बुन्देलखंड, बनारस और फतेहपुर जो पहले बिल में नहीं थे, इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। वहां पर 2 1/2 एकड़ मान लिया गया है। हमारी प्रार्थना है कि जहां पर आप 1 1/2 हेक्टर के रूप में लेना चाहते हैं वहां पर 1 हेक्टर माना जाय और जहां पर आप 2 1/2 एकड़ करना चाहते हैं वहां पर 1 1/2 एकड़ माना जाय और जहां पर 2 एकड़ करना चाहते हैं वहां पर भी एक एकड़ माना जाय। इसके अन्दर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो ऊबड़ खाबड़ हैं या बकिया जगह हैं, उनके लिये साधारण नियम जो विधेयक के हैं, वे लागू माने जाय। इलाहाबाद जिले का जो हवाला दिया है और जो यमुना की धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुय, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा के यमुना के इस पार के भाग तो श्रीमन्, इलाहाबाद की हालत में बताता हूं कि वहां पर छिवइया गांव है वहां पर 600 गांव के पास की जमीन भूमिहीनों को दी जायगी। वहां के जिलाधीश ने उस जमीन को भूमिहीनों दिलवाने के लिये कहा था लेकिन अभी तक नहीं दिया। जो काम जिलाधिकारी ने किया था आपके राजस्व सचिव ने उसके खिलाफ राय दी है और जो जमीन उपलब्ध है वह बच जायगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर फिर से विचार कर लें, अपने एल० आर० और राजस्व सचिव से राय ले लें और अगर इसको ऐसे ही पास कर देंगे तो इससे भूमिहीनों की बहुत हानि हो जायगी।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, हम को स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) और (2) के भाग (क) लगायत (ज) निकाल दिया जाय और निम्नतौर पर खंड चार लिख दिया जावे:

"4--(1) धारा 5 के अधीन अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के अधीन किसी छूट के प्रयोजनार्थ--

(क) असिंचित भूमि की सवा हेक्टर भूमि या बंजर बाग भूमि या ऊसर, भूमि की डेढ़ हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के 1 हेक्टर भूमि के रूप में गिना जायगा।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्र में अर्थात् बुन्देलखंड के जिले के पर्वतीय क्षेत्र, इलाहाबाद, इटावा मथुरा तथा आगरा जिलों के जमुनापारी पर्वतीय एवं ऊबड़ खाबड़ भाग, मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है या तहसील सदर के बलाये पहाड़ राबर्टसगंज का पर्वतीय भाग तथा मिर्जापुर जिले के परगना सेक्टस गढ़ तथा तहसील चुनार के परगना अहरौरा की पहाड़ी पट्टियों के वे गांव जो अब भी पर्वतीय हैं, इनमें किसी असिंचित भूमि की '2 हेक्टर' भूमि को सिंचित के 1 हेक्टर के रूप में माना जायगा।"

(विभाजन की मांग होने पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मान्यवर, इसका निर्णय लाबी में लिख कर हो जाय। यह बहुत जरूरी है। इस पर वोटिंग हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका ही संशोधन है इसको सब जान जायेंगे । मैं प्रश्न को हाथ उठाकर निर्णय के लिये रखता हूं ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--पक्ष में --20,

विपक्ष में--481

श्री हरिनाथ तिवारी--

मान्यवर, यह संशोधन शाब्दिक है । इसको पढ़ लें माननीय मन्त्री तो वे इसको स्वीकृत कर लेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, स्वीकार नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं इसलिये कहता हूं कि वहां से जो ड्राफ्टिंग करके भेज दिया जाता है वही मान लेते हैं । मेरा निवेदन है कि एक के बाद दो होना चाहिये । प्रयोजनार्थ के नीचे एक और दो है । मान्यवर, इतनी भी बुद्धि नहीं है तो भगवान ही मालिक है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने ही गौर से नहीं पढ़ा है । 4(1) के बाद 4(2) है । बीच में आ गया है 1 और खंड 2 के उपबन्ध अधीन रहते हुए हैं, उन्हें मूव करना हो तो.....

श्री हरिनाथ तिवारी--

ऐसा नहीं है उपाध्यक्ष जी ।

श्री उपाध्यक्ष--

ब्रेकेट के अन्दर वाले को अंक न समझिये, यह हवाला है ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

मान्यवर, धारा 6 के अधीन किया है विमुक्ति के प्रयोजनार्थ । प्रयोजनार्थ के दो डिवीजन दे दिये । एक डिवीजन में यह तरीका निकला कि एक का दो और दो का अढ़ाई । यह तो सही बात भी मानने को तैयार नहीं है ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने तो निवेदन कर दिया, श्रीमन्, कि मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

हो सकता है कि उसका छिपा हुआ अर्थ आपको स्पष्ट न हो । अगर प्रिंटिंग मिस्टेक कोई होगी तो उसको देख लेंगे ।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "प्रयोजनार्थ" के बाद का शेष भाग हटा दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(1) खंड (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए असिंचित भूमि का 2 हेक्टर भूमि सिंचित भूमि के 1 हेक्टर भूमि के रूप में गिना जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(2) बाग भूमि तथा निम्नलिखित श्रेणियों की असिंचित भूमियों का 3 हेक्टर सिंचित भूमि के 1 हेक्टर के बराबर गिना जायगा ।

(क) नियम के अनुसार अवधारित बड़ी और छोटी नदियों की मध्य धारा के क्रमशः 10 और 5 किलोमीटर के अन्दर स्थित भूमि,

(ख) ऊसर भूमि,

(ग). तथा ऐसी भूमि जिनका सर्किल रेट 4 रुपया प्रति एकड़ से कम है ।"

श्रीमन्, इसके दो भाग हैं । एक तो कुछ गुणको में परिवर्तन है, डेढ़ के बजाय दो और दो के बजाय तीन । वह तो जो सेन्ट्रल गाइडलाइन थी उन्हीं के मुताबिक मैंने रखा है, आप उससे हट गये हैं । दूसरी बात यह है कि जो एक भावना इस विधेयक में दिखायी दे रही है कि कुछ क्षेत्रों के साथ विशेष कृपा की गयी है और ऐसा लगता है कि न्यायिक दृष्टि से नहीं किया गया है, उसके सम्बन्ध में है । उदाहरण के लिये बुन्देलखंड का ही उदाहरण ले लें । मैंने तो काफी विस्तार से बताया था कि बुन्देलखंड की प्रति एकड़ पैदावार गेहूं की, चावल की राज्य के और बहुत से जिलों की तुलना में ज्यादा है । बुन्देलखंड के लोगों से कोई मेरा बैमनस्य नहीं है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बुन्देलखंड की भूमि में कुछ कठिनाई है उसी प्रकार इस राज्य के और क्षेत्रों में भी कठिनाइयां हैं और उनको उसी के समकक्ष व्यवहार मिलना चाहिये । मैं अपने जिले के ही एक क्षेत्र की बात कहता हूं । बस्ती जिले का वह हिस्सा जो बिल्कुल नैपाल की सरहद पर है वहां एक फसली जमीन है और उस जमीन में कोई ट्यूबवेल अभी तक कामयाब नहीं हुआ । अब बताइये एक फसली जड़हन की फसल होती है, वह भी सूखा और बाढ़ से मारी जाती है, ट्यूबवेल भी बन नहीं सकता, वहां की भूमि किस तरह से बुन्देलखंड से अच्छी मानी जा सकती है । तो यह जो आपने क्षेत्रीय अन्तर रखा है इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिये जो सब जगह लागू हो सके । इसी प्रकार जो निम्न कोटि की जमीन होगी उसी का सरकिल रेट कम होगा । आप अगर चार नहीं मानते तो तीन ही मान लें । लेकिन कोई क्राइटेरिया जरूर फिक्स किया जाय जिससे राज्य के सभी जगह के रहने वाले जहां की जमीन खराब है वह सब के सब लाभान्वित हो सकें ।

दूसरा मैंने यह प्रयत्न किया है कि जिस तरह से आपने यमुना के इधर और उधर बसने वालों को विशेष सुविधा 16,16 किलो मीटर की दे दी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल यमुना में ही कुछ विशेषता नहीं है । राज्य में और भी नदियां हैं और उनके किनारे बसने वालों को भी सुविधा मिलनी चाहिये । आप इस राज्य की छोटी और बड़ी नदियों को भी अपने रूल्स के मुताबिक इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करें । बड़ी नदियों को 10 किलोमीटर और छोटी नदियों को 5 कर दें यह आप उनकी भी सुविधायें प्रदान करें। मान्यवर, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सही चीज को भी ना कर दिया जाय जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी का रवैया है कि वह हर जां चीज को भी ना कर देते हैं । यदि वह समझते हैं कि एक ही निगाह से सारे राज्य को देखना चाहिये तो सबके साथ एक सा ही व्यवहार भी होना चाहिये । सभी नदियों के किनारे कटाव होता है, बाढ़ आती है । अगर वह हमारे प्रस्ताव को मूल रूप में न भी स्वीकार करें तो भी उनकी इसकी भावना तो मानना ही चाहिये ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जैसा कि भानुप्रताप जी ने कहा है वह व्यक्तिगत रूप से आपके विधेयक के ऊपर लांछन है और उसको ठीक करना चाहिये । मैं नहीं चाहता कि यह कहूं । प्रदेश के सभी खंड हमारे लिये समान हैं लेकिन आपने विशेष रूप से यमुना की धारा से मध्य भाग को लेकर 16 किलोमीटर इधर और उधर की रियायत दी है । हमारे यहां और भी बड़ी बड़ी नदियां हैं जैसे कि गंगा घाघरा आदि । अगर यमुना को ही आपको लेना है तो आप यमुनोत्री से ही उसको लें । अन्य नदियां की आप उपेक्षा क्यों करते ह । क्या यमुना हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी नदी

[श्री बन्शीधर पाण्डेय]
है ? और भी बहुत सी नदियां हैं। यह तो आपके दिमाग की, आपकी सरकार की दिमाग की उपज है। बुन्देलखंड में जब यह 16 किलोमीटर है तब गाजीपुर में यह 32 किलोमीटर चौड़ाई में हो जाती है। इस लिये मेरा तो यही निवेदन है कि आप इस को निकाल दें या फिर सभी के साथ पूर्ण न्याय करें। आपको सैलावी इलाका देखना चाहिये जहां पर कि नदी का पानी चला जाता है।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, विधेयक में इस बात का प्रयास करना चाहिये कि इक्सेप्शन्स कम से कम दिये जायं तभी किसी विधेयक की मंशा पूरी हो सकती है। इस विधेयक को पढ़ने के बाद पता चलता है कि एक विशेष को अधिक रियायतें दी गयी हैं जो न्याय संगत नहीं मालूम पड़ता है। इससे विधेयक की मंशा फारफीट हो जाती है। जैसा कि भानू प्रताप सिंह जी ने प्रस्ताव रखा है वह बहुत अच्छा है। आपको हर जीज को जनरलाइज करना चाहियें और किसी खास को लेकर कुछ कहना ठीक नहीं है। आपने बुन्देलखंड, वाराणसी आदि को देखते हुए इसको कर दिया तब आप कैसे कह सकते हैं कि हम समाजवादी हों। इस प्रकार से आप समाजवादी सरकार नहीं चला सकते हैं और हम लोगों में एक ही भाव से जमीन का वितरण करना चाहते हैं।

आपकी नदी वाली बात बहुत अच्छी है। नदियां हैं और हर साल बाढ़ आती है। मैं तो गोंडा जिले से हूं। घाघरा नदी का प्रकोप आप जानते हैं। इस साल पहले से उसका 10 गुना प्रकोप हो गया था और बुढ़वल से लेकर कर्नलगंज तक पानी ही पानी था। भानु प्रताप सिंह जी का बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। मुझे तो ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को मानने के लिये तैयार होंगे।

*श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

भानु प्रताप सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसकी ओर आप ध्यान दें। हठ न करें। उसको मान लेना चाहिये। इसमें तो ऐसे जिले आते हैं जिनमें एक प्रधान मंत्री का है ? मुख्य मंत्री का है, बुन्देलखंड में राजस्व मंत्री हैं और मिर्जापुर में लोक पति जी का फार्म है। आपने 16 किलो मीटर माना है। मेरे क्षेत्र में बल्हा से जरबल तक 57 मील लम्बा बांध बना दिया गया है। सूर्य और घाघरा दोनों नदियां रोकी गयी हैं। दोनों नदियों में बाढ़ से कम से कम 15 किलोमीटर की फसल चली जाती है। सीतापुर, लखीमपुर और बहराइच बोर्डर पर 8,10फीट पानी भरा रहता है। राजस्व सचिव मेरे जिले में कलेक्टर रहे हैं। उनको तो काफी अनुभव है कि क्या दुर्दशा रहती है हमारे यहां। पता नहीं मंत्री जी सचिव की राय भी जानते हैं या नहीं। वे हठ न करें। वे तो अनुभवी हैं और ठाकुर हुकुम सिंह जी की गद्दी पर बैठे हैं। वे तो स्वीकार कर लेते थे। यह तो उनके ऊपर लांछन आ रहा है। उन्हें तो सन् 1974 में इम्तिहान में जाना है। इसको मान लेना ही जन कल्याण में है। पूर्वी जिले तो बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं। कोई रियायत तो उनको मिलनी चाहिये। अच्छा हो यह पूरा क्लाज ही छोड़ दें और नहीं तो यमुना में भी न होने दें।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, जब आप आज्ञा देंगे तभी उसको उठाऊंगा। अभी तो एक सूचना देना चाहता हूं। गवर्नमेंट एक बनावटी हार से बच गयी —1 वोट से। मैं तो यह मामला हूं कि यह गवर्नमेंट हार चुकी थी। मान्यवर, जब हां और ना की संख्या चैलेंज हो जाये तो उस वक्त कायदे में यह है कि 5 मिनट तक घंटी बज जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—

डिवीजन पर ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पांडेय---
डिवीजन के पहले भी, आप यह देखे।

श्री उपाध्यक्ष---
डिवीजन नहीं मांगा गया था।

श्री बंशोधर पांडेय---
डिवीजन ही मांगा गया था । डिवीजन भी दो तरह का होता है, फाटक बन्द करके, हां और ना में हम सेटिसफाई न हों ....

श्री उपाध्यक्ष---
मैं मान लेता हूं, आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय---
इसीलिये मैं कहता हूं । कल मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा ।

*श्री मैनेजर सिंह---
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 को मैं समझने में असमर्थ हूं । किसी भी नदी से, चाहे वह यमुना ही हो, 16 किलोमीटर दूर तक भूमि अच्छी होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। श्रीमन्, नदी के किनारे हम लोग भी रहते है और हमारे क्षेत्र के दो तरफ प्रदेश की बड़ी-बड़ी नदियां गंगा और घाघरा बहती हैं । एक तरफ दक्षिण की तरफ से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ उत्तर की तरफ से घिरा हुआ है । यमुना का पानी गंगा में मिलता है—जैसा कि पांडे जी ने कहा कि इलाहाबाद से जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है । आप देखे कि बक्सर के पास जोआरघाट है । वहां एक लिमीटर में ही ऐसी भूमि है जो गंगा के प्रवाह से प्रभावित नहीं है । इस प्रकार की भूमि जमुना के किनारे भी हो सकती है । इस प्रकार विधेयक में यह रखना कि 16 किलोमीटर की भूमि में यह लागू होगा, मैं समझता हूं यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है । यह एक क्षेत्र विशेष को भूमि बचाने के लिये संरक्षण देने की बात है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इससे काफी लोगों को असंतोष है और आप पर व्यक्तिगत लांछन भी लगता है । इस सफाई के लिये भी जरूरी है कि 16 किलोमीटर वाली बात को हटावें और बुन्देलखंड में भी वह भूमि जहां सिंचाई के साधन हों और दो फसली भूमि हो वहां रियायत न दें ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई---
उपाध्यक्ष जी, मैं वह अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जो अपोजीशन की तरफ से किये गये है । लेकिन सेक्शन 4 में जिस तरह से एक्सेप्शंस दिये गये है वह जरूर ऐसे है जिनमें इस तरह की बातें कही जा सकें । मैं समझता हूं कि खास तौर से सिर्फ बुन्देलखंड और मिर्जापुर को एक्सेप्शन देना और पूरे सूबे की तरफ ख्याल न करना एक ऐसे मिनिस्टर के वास्ते जैसे हमारे शर्मा साहब है जो खुद कानून से वाकिफ है और जिन्हें काफी तजुर्बा है यह गलत है । अभी यह कहा गया कि और दरिया भी बड़े बड़े है । मैं चार पांच साल से तो इस मुल्क में रह ही रहा हूं और मैंने इस दरमियान में देखा कि जब फ्लड्स आते है तो उससे छोटे बड़े सभी दरिया एफेक्ट होते है और उनके किनारे कोई फसल पैदा नहीं होती। घाघरा में जब फ्लड आता है तो इतनी दूर तक जाता है कि मीलों जमीन खत्म हो जाती है । मेरे क्षेत्र में गोमती है । जब उसमें फ्लड आया था तो वहां के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवई]
लोगों की यह हालत हो गयी थी कि उनके पास न खाने को था, न घर था, न उनके पास कपड़ा था। मैंने दरख्वास्त दी कि उन्हें कम से कम टिन पहुंचा दी जायं ताकि वह अपने सिर को महफूज रख सकें। मैं शर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि जितने ऐसे क्षेत्र हैं ख्वा वह जमुना के किनारे हों या दूसरी नदियों के किनारे हों वहां फ्लड्स आते हैं और कुछ नहीं होता उन सबका बराबर ख्याल करें। अगर नहीं करेंते तो जाहिर है कि मैजोरिटी से यह पास तो हो जायगा लेकिन आपके ऊपर यह चार्ज रहेगा कि आपने दूसरे दरियों के किनारे के लोगों का कोई ख्याल नहीं किया।

श्री उदित नारायण शर्मा--
मैंने कल भी निवेदन किया था कि दरिया के किनारे होने की वजह से यह नहीं किया है। बुन्देलखंड जमुना दक्षिण में है और उत्तर में भी कुछ जमीन ऐसी है जो बुन्देलखंड के समान है इसलिये यह रखा है। मैं निवेदन करता हूं कि कल भी इस पर काफी विचार हो चुका है। यह संशोधन मंजूर नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह--
मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जमुना कहीं तो सरहद बनाती है और जहां जमुना प्रभावित होती है तो उस पार की जमीन को क्यों वंचित कर रहे हैं। इलाहाबाद में जमुना के उस पार की जमीन है, जैसी कि इस पार है। तो इस पार तो कर दिया उस पार क्यों छोड़ दिया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
जवाब हो चुका है मंत्री जी का।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)--
मैं इस प्रस्ताव पर लाबी में डिवीजन की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--
जब वह स्टेज आयेगा तो परिस्थिति के अनुसार स्वीकार किया जायगा या जैसा भी होगा।

एक सदस्य--
मेरा 14-क संशोधन है, उसके बाद तो यह रूल आउट हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--
अगर यह संशोधन पास हो गया तो वह आपका फालतू होगा अगर गिर गया तो देखा जायगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की द्वितीय पंक्ति में शब्द "प्रयोजनार्थ" के बाद का शेष भाग हटा दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(1) खंड (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए असिंचित भूमि का 2 हेक्टर, भूमि, सिंचित भूमि के एक हेक्टर भूमि के रूप में गिना जायेगा।

(2) बाग भूमि तथा निम्नलिखित श्रेणियों की असिंचित भूमियों का 3 हेक्टर सिंचित भूमि के 1 हेक्टर के बराबर गिना जायेगा।

(क) नियम के अनुसार अवधारित बड़ी और छोटी नदियों की मध्य धारा के क्रमशः 10 और 5 किलो मीटर के अन्दर स्थित भूमि,

(ख) ऊसर भूमि,

(ग) तथा ऐसी भूमि जिनका सर्किल रेट 4 रुपया प्रति एकड़ से कम है ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--
हमारा दल संशोधन के पक्ष में नहीं है, यह नोट कर लिया जाय ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--
हम और हमारा दल इसके विरोध में है ।

श्री उपाध्यक्ष--
अब ऐसा लगता है कि एक बार मुझे हाथ उठवाकर गिनना होगा ।

श्री मलिखान सिंह (जिला नैनीताल)--
हम नदियों वाला तो मानते है पूरा नहीं मानते ।

श्री उपाध्यक्ष--
अब सब को तुलाराशि पर रखकर अपने विवेक के अनुसार मत दें ।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर लिम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :-

पक्ष में 16,
विपक्ष में, 63 ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--
मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "दो" के स्थान पर "ढ़ाई" रख दिया जाये ।

मैं यह अमेंडेंट फार्म में पेश कर रहा हूं, दो की जगह ढ़ाई ।

श्री उदित नारायण शर्मा--
यह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "दो" के स्थान पर- "ढ़ाई" रख दिया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय--
अब आप देख लें कि राजस्व मंत्री कितनी चालाकी से और कितनी दकियानूसी से संशोधनों को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--
इसके पीछे दलील तो दी ही नहीं इन्होंने ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) की पंक्ति 2 से "अथवा ऊसर भूमि की ढाई हेक्टर भूमि" शब्द निकाल दिये जायं।

मैं पहले जो कह चुका हूं उसी मंशा से यह रखा गया है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) की पंक्ति 2 से "अथवा ऊसर भूमि की ढ़ाई हेक्टर भूमि" शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय--

आप खुद संशोधन कर के बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब आपको एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी--

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) में "ऊसर भूमि की" के आगे "2 1/2 (ढ़ाई)" के स्थान पर "चार" रख दिया जाय।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से आपने बाग को ढ़ाई किया है उसी तरह ऊसर को चार कर देने में कोई हर्ज नहीं है, इसे वह मान लें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह स्वीकार नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) में "ऊसर भूमि की" के आगे "2 1/2 (ढ़ाई)" के स्थान पर "चार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय--

"(1) खंड 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, असिंचित भूमि तथा बाग भूमि की डेढ़ एकड़ भूमि को सिंचित के एक एकड़ के रूप में गिना जायेगा।"

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय--

"(1) खंड 2 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए असिंचित भूमि तथा बाग भूमि की डेढ़ एकड़ भूमि को सिंचित भूमि के एक एकड़ के रूप में गिना जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय ।

"बुन्देलखंड क्षेत्र में किसी असिंचित को 2 हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायेगा ।"

मान्यवर, पहले जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ था तब भी कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे थे जिन्होंने अपनी भूमि को बचाने के लिये उसमें कुछ ऐसे प्राविधान करवा लिये थे जिससे कि उनकी भूमि बच गयी थी । उसी प्रकार से आज भी हमारे राजस्व मंत्री जी इस धारा को रख कर अपने कुछ सहयोगियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं । उनका तो जन्म ही बुन्देलखंड में हुआ है और वे वहीं से चुन कर भी आये हैं । इसलिये उन्होंने बुन्देलखंड के लिये स्पेशल छूट रख दी है। उन्होंने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बताया कि वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं या किस सिद्धांत के आधार पर उसको करना चाहते हैं । आखिर प्रदेश में और भी तो भयानक नदियां हैं । जिनका प्रभाव बहुत दूर दूर तक होता है । लेकिन वहां के लिये कोई छूट नहीं है । यदि यह धारा रही तो माननीय राजस्व मंत्री जी का नाम काले अक्षरों में सदैव लिखा जायेगा । आपको तो पूरे प्रदेश में देखना चाहिये कि कहां कहां इस प्रकार की नदियां हैं । इसलिये माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने सभी नदियों के किनारे की भूमि रखने के लिये अपना संशोधन रखा था। वाराणसी व मिर्जापुर क्षेत्र को रख दिया है क्योंकि वह माननीय मुख्य मंत्री का इलाका है । इस तरह से तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ सौतेली मां का बरताव हो रहा है । यह ठीक नहीं है । इसमें जो (ग) जोड़ा गया है वह उस विधेयक में नहीं था जिसे पेश किया गया था और फिर वापस लिया गया । जिनका बाद में दबाव पड़ा, उनका कर दिया गया। तो यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बुन्देलखंड को बचाना चाहते हैं तो उसको छोड़कर शेष के लिये तो मान लीजिये । ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज जो हैं इनको तो अवश्य निकाल दीजिये और केवल अपना बुन्देलखंड रख लें । यदि सिर्फ बन्देलखंड रख लेगें तो उसको हम आपके लिए मान लेंगे ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से कुछ बातें जानना चाहता हूं । सन् 60 का जो अधिनियम था उसमें कुछ विमुक्तियां दी गई थी और मंत्री जी ने कहा कि उनका दुरुपयोग हो गया । तो उन विमुक्तियों का तो कुछ आधार था और वे सारे प्रदेश में दी गई थीं और मंत्री जी तो अपने पद का दुरुपयोग करके केवल कुछ नदियों में छूट दे रहे है, सो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है, यह भेदभाव क्यों है? मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 16 किलोमीटर जमीन किस प्रकार की है ? वैसी जमीन सारे प्रदेश में है या नहीं है ? यदि है तो वह जहां जहां है, तो सब जगह छूट मिलनी चाहिये । वह कौन सी स्वायल है ? वह उत्तर प्रदेश में मिलती है या नहीं, इसे मंत्री जी क्लियर कर दें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

इस प्रकार की भूमि केवल बुन्देलखंड में है, यह मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उपाध्यक्ष]

"बुन्देलखंड क्षेत्र में किसी असिंचित को 2 हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के 1 हेक्टर के रूप में गिना जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मैं, मान्यवर, प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) (क) में "राम गंगा नदी के शैलाबी क्षेत्र" जोड़ दिये जायं। मेरा इस संशोधन को पेश करने का तात्पर्य यह है कि जहां 16 किलोमीटर मंत्री जी ने कई जगह माना है, तो वहां भी भयंकर शैलाब आता है और काफी लम्बा क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। वहां के लिये मंत्री जी ने समय समय पर सहायता दी है। अतः यह भेदभाव ठीक नहीं है। जिन-जिन नदियों में शैलाब आता है, उन सब जगह यह छूट दी जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह मुझे स्वीकर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) (क) में "रामगंगा नदी के शैलाबी क्षेत्रे" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) (क) में बुन्देल खंड के बाद "जलमग्न खादरों के क्षेत्र" जोड़ दिये जांय। मान्यवर, बहुत सी नदियां ऐसी हैं, जैसे बिजनौर में गंगा और राम गंगा जहां ऐसी हालत है। चूंकि सिंचाई के बारे में कहा गया है आश्वस्त सिंचाई हो, दो सिंचाई से काम नही चलता। किन्तु वहां तो अश्वस्त ही नही है। गंगा की धारा दो मील इधर और दो मील उधर हट जाती है। इन खादरों के स्थान पर तो एक फसल भी सम्भव नहीं है।

अगर पूर्वी हवा चल पड़ती है तो जमीन से पानी उबलने लगता है। इसलिये बुन्देल-खंड के साथ ऐसे क्षेत्रों को जोड़ दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

स्वीकार नहीं है। श्रीमान, माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि उसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खंड (3) द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) (क) में बुन्देल-खंड के बाद 'जलमग्न खादरों के क्षेत्र' जोड़ दिया जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) का (क) निकाल दिया जाय।

मान्यवर, यह हो सकता है कि बुन्देल खंड किसी समय में उत्पादन कम होता हो लेकिन हरित क्रान्ति का इस पर भी असर हो गया है। 1967-68 में जो गेहूं की पैदावार है--का सारे उत्तर प्रदेश का रेकार्ड है 12.82 एकड़ का है, मेरठ में जिसको सबसे अच्छा क्षेत्र कहते हैं 16.37 है, बुन्देल खंड में 12.16 है, गोरखपुर में और वाराणसी डिवीजन का उत्पादन 11.32।

ऐसे ही चावल का है। 1967-68 का आंकड़ा देखें, प्रति एकड़ मन में सारे उत्तर प्रदेश का औसत 7 मन का है, मेरठ का 11.32, बुन्देलखंड का 8.34, गोरखपुर का 7.-03, गोरखपुर से भी बुन्देल खंड का ज्यादा हो गया। चने का आंकड़ा दे दूं। 1967-68 में उत्तर प्रदेश का औसत है 7.9, मेरठ का 9.59, बुन्देल खंड का है 6.70, गोरखपुर का 6.4। यह आंकड़े गेंहू, चावल और चना के साबित करते हैं कि गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी का उत्पादन कम है और बुन्देलखंड का ज्यादा है। इसलिये जहां उत्पादन कम होता है वहां छूट न दीं जाय यह अनुचित है। बुन्देलखंड को छूट नहीं मिलना चाहिये यह मेरा संशोधन है।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ठीक है कि आप केवल यह कह दें कि स्वीकार नहीं है लेकिन जो आर्गूमेंट इन्होंने दिये हैं उनका कोई जवाब होना चाहिए। यह इस हाउस के प्रासेस का अव्यूज है। कोई कारण देना चाहिये। 1970 में यह सवाल हमारे सामने आया था कैबिनेट में, अब पैदावार गोरखपुर डिवीजन से ज्यादा है बुन्देलखंड की कम नहीं है। तो सर्कम्सटेंसेज चेंज हो गये। लिहाजा पुराने कंसेप्ट में चेंज होना चाहिए। वह बात दूसरी है कि आपकी मैजारिटी है कुछ शामिल कर लीजिये। चन्दौली को आपने शामिल कर ही लिया है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है क्या किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि चन्दौली की जमीन खराब हो गयी है, ऊसर हो गयी है मैं तो यह नतीजा नहीं निकालना चाहता कि त्रिपाठी जी का वह हल्का है, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन अगर कोई अनचैरिटेबिल क्रिटिक यह नतीजा निकाले तो क्या वह हकवजानिब नहीं होगा। इसी तरह से यमुना के बीच की बात रख रहे हैं। फिर दस मील क्यों बारह मील क्यों नहीं? उसके सिलसिले में क्या किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। यह ठीक है कि आपकी मैजारिटी है लेकिन आप कोई रीजन देंगे। बुन्देलखण्ड की बात कर मैंने 15 साल की फीगर्स निकाली थीं। अंग्रेजों के जमाने में तो यह खयाल था कि बुन्देलखंड की पैदावार कम है, वह गलत है।

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह सब चर्चा पहले हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 के उपधारा (2) का (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री पारसनाथ सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने अभी एक बात रखी। मैं भी देख रहा हूं कि आधे घंटे से हमारे माल मन्त्री जी का रुख है वह तो उचित नहीं है, तानाशाही से भी आगे बढ़ी हुई बात है। किसी बात में कोई तर्क होना चाहिए। माननीय शम्भूनाथ जी ने रखा है कि बुन्देलखंड में किस तरह से पैदावार होती है उसके बाद भी माननीय माल मन्त्री जी ने वही रुख रखा है।

*श्री मैनेजर सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) का (ख) और (ग) निकाल कर उसके स्थान पर (ख) निम्न रूप में रख दिया जाय और (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) को क्रमशः (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) रख दिया जाय :—

"(ख) उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, टोंस आदि नदियों की कटान ढाही एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ।"

श्रीमन्, मैं तो व्यक्तिगत रूप से यह चाहता था कि धारा 4 की उपधारा (2) बिलकुल निकाल दी जाती और यदि यह बिलकुल ही निकाल दी जाय तो कांग्रेस का निर्देश है उसके बिलकुल अनुरूप कार्यवाही हो लेकिन श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि कांग्रेस के आदेशों की अवहेलना करके इस प्रकार के प्राविधान रखे गये हैं कि और इस तरह से इस प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में भूमि बचाने को इस बिल के प्राविधान से प्रयत्न किया गया है । सबसे बड़ी आपत्ति तो यह है कि दो तरह का रुख राजस्व मन्त्री जी ने अख्तियार किया है । एक तो उन्होंने सारे बुन्देलखण्ड को बचाया है और वहां के भूमिपतियों की रक्षा की है और दूसरे इसमें जमुना के किनारे इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर को छोड़ा गया और फिर यह भी है कि 16 किलोमीटर तक जमुनापारी क्षेत्र कहलाता है । उसके लिये छूट है । कहा गया है कि वहां तक जमुना का प्रभाव आता है । तो इसी तरह से जो गंगा और घाघरा आदि नदियां हैं उनका भी प्रभाव दो-दो तीन-तीन चार-चार मील तक आता है और नदियों का जो कटान गंगा वगैरह का होता है वह 12 और 16 किलोमीटर तक प्रभावित करता है फिर जमुना का पानी गंगा में मिलता है और फिर सम्मिलित पानी बनारस, गाजीपुर और बलिया तक होता है और फिर वहां घाघरा से मिलकर और आगे होगा । इसी तरह से घाघरा से बलिया और बहराइच तक वह प्रभावित करता है । यह कितना डिस्क्रिमिनेट करता है श्रीमन्, और जिस दिन न्यायालय में किसी काश्तकार द्वारा यह चैलेंज किया जायगा तो यह द्वेषमूलक साबित होगा और साथ ही यह अवैध घोषित होगा ।

मैं माननीय महोदय से कहना चाहता हूं कि अनुशासन का अंकुश लगा कर इस तरह से पक्षपातपूर्ण विधेयक को पास कराने की चेष्टा वह न करें । कांग्रेस के सिद्धान्तों के खिलाफ वह कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि वह बड़े-बड़े किसानों की रक्षा करना चाहते हैं और वह भी अपने क्षेत्र के बड़े किसानों की । इससे कांग्रेस की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा और आने वाले इलेक्शन में आप पर यह लांछन लगेगा कि कांग्रेस के सिद्धान्तों का हनन करके आपने ऐसा बिल पास कराया । समय होते हुए आप चेतें और धारा 4 की उपधारा 2 बिलकुल निकाल दें जिससे कांग्रेस के सिद्धान्तों के अनुरूप यह बिल पास हो वर्ना समाजवादी विरोधी कार्यवाही आप करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर—)

उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन नं० 14 से लेकर संशोधन नं० 19 (ग) तक सब संशोधन एक ही है । मेरा सुझाव है कि सब को एक साथ रख दिया जाय उन पर विचार हो जाय । बुन्देलखंड तथा अन्य क्षेत्रों में कुछ मुक्तियां दी गयी हैं और कुछ क्षेत्रों में उसी स्थिति में मुक्तियां नहीं दी गयी हैं । ज्यादातर धारणा सदस्यों की यह है कि ये मुक्तियों की धारायें निकाल दी जायं क्योंकि राजनैतिक कारणों से अथवा वैयक्तिक कारणों से ये मुक्तियां दी जा रही हैं । लिहाजा 14 से ले कर 19 (ग) तक एक साथ विचार हो जाय और माननीय मन्त्री उन पर गौर कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब बहस का समय नहीं है । मैं तो समझ रहा था कि आप इस तेजी से पास करेंगे । जल्दी पास करने की मुझे उद्विग्नता नहीं है । एक रास्ता तो यह है कि जितने संशोधन

एक किस्म के हैं उनमें से एक पर विचार होने के उपरान्त शेष स्वयं रूल आउट हो जायं। दूसरा तरीका वह है जो माननीय सदस्य ने पेश किया है। माननीय मन्त्री जी उस पर अपनी राय दे दें।

श्री उदितनाराय शर्मा---

इसी तरह से चलता रहे। मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय जितनी भूमि में रेत है अथवा जलमग्न है उन सभी का एग्जामिनेशन होना चाहिए। पूरे बुन्देलखंड में तो ऊसर हो गया और गंगा के किनारे नहीं है अथवा मिर्जापुर की दूसरी स्थिति है---गोरखपुर और फैजाबाद रीजन पूरी तरह से प्रभावित है वहां दूसरी स्थिति है ये दो मापदन्ड एक ही प्रकार की स्थिति के लिये होने चाहिये।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला इलाहाबाद भी इसका शिकार हो रहा है खास कर मेरा क्षेत्र बगहोली एवं झूंसी का क्षेत्र। हर साल वहां बाढ़ आती है और काश्तकार हमेशा तबाह होता है। इस सदन में मैंने कई बार कहा भी चाहे चौधरी साहब की, चाहे गुप्ता जी की, चाहे टी० एन० सिंह अथवा पंडित जी की सरकार रही हो अभी वहां पर बाढ़ आई थी और मैंने माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहा था कि मेरा इलाका डूब रहा है लेकिन आपने बड़ी चालाकी से कह दिया कि वह जमुना-पार का इलाका होगा। इसी तरह से माननीय मैनेजर सिंह जी ने और अन्य साथियों ने कहा कि गंगा और घाघरा के किनारे की भूमि भी जलमग्न रहती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुन्देलखंड को छूट दी जा रही है उसी तरीके से इन जगहों को भी छूट मिलनी चाहिए। लेकिन आपके यहां तो बड़े-बड़े लोग विराजमान हैं जिनके दबाव में आकर आप ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस संशोधन को मान लें।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खंड 4 (2) के सम्बन्ध में मेरा टेक्निकल आब्जेक्शन है। आप कृपया प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारणों से सम्बन्धित मेमोरेन्डम को पढ़ने की कृपा करें जिसमें लिखा है कि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि अधिकतम जोत सीमा कम कर दी जाय और कुछ विमुक्तियों को या तो वापस ले लिया जाय अथवा सीमित किया जाय। मान्यवर, सन् 60 के अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम जो हैं उसमें छूट दी है कि कम किया जाय, बढ़ाने का कोई उद्देश्य इस विधेयक का नहीं है। मैं आपके सामने सन् 60 का वह विधेयक प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे अन्तर्गत कोई विमुक्तियां नहीं हैं और जो हैं वे केवल फंक्शनल हैं और वे भी किन्हीं कारणों से किन्हीं चीजों के लिए एरिया-वाइज दी गई हैं। मान्यवर, ये नई विमुक्तियां इन्ट्रोड्यूस की गई हैं। यह उसके खिलाफ पड़ता है।

दूसरी बात समान यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत यह बात कही गई है कि एक समान अवस्था में राज्य सरकार व्यवस्था करेगी और यदि एक सी अवस्था में दो व्यक्ति हैं तो समान बर्ताव किया जायगा। इसी तरह से चकबन्दी में भी समान बर्ताव किया जायगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कई डिवीजन हैं और हर डिवीजन में जमीन की किस्म भी एक समान नहीं है। वह तो अंग्रेजी ने बनाई थी वही आज भी चली आ रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि बुन्देलखंड की सारी जमीन मेरठ की जमीन से खराब है। मान्यवर, मेरठ में हिन्डन बदायूं में गुन्नौर तहसील में जो जमीन है वह बुन्देलखंड के जमीन से खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें डिफरेंसियेशन है और यह संविधान के विपरीत है। हम लोग

[श्री शिवराज सिंह]

यहां पर विधान सभा के अन्दर एरिया वाइज रिप्रेजेन्ट करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं और विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में हम लायल होंगे। हम अपनी क्षेत्रीय जनता को किस प्रकार से सन्तुष्ट कर करा पायेंगें यदि किसी प्राविधान करा देने से कोई फायदा होता है तो खुशी होती है यदि उस क्षेत्र का नुक्सान होता है तो उस क्षेत्र के एम०एल०ए० के अन्दर हार्ट वर्निंग होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं चाहता कि माननीय मन्त्री जी बतलायें कि उन्होंने 16 किलोमीटर ही क्यों रखा? क्यों नहीं, 10, 12 या 8 किलोमीटर उन्होंने रखा और इसकी क्यों आवश्यकता थी?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मैंने इसके बारे में निवेदन कर दिया। या मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय शिवराज सिंह जी ने एक प्रश्न उठाया है और उन्होंने कहा है कि यह संविधान के डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से ठीक नहीं है। जो ऐक्ट पास होता है, विधेयक के परिप्रेक्ष्य में वह सही हो या गलत हो लेकिन विधान सभा उसे पास करने के सक्षम है और अगर कोई चीज संविधान की धारा से असंगत होगी तो इसका निर्णय न्यायालय करेगा लेकिन आपका कहना है कि यह संशोधन यहां रखा ही नहीं जा सकता। माननीय शिवराज सिंह जी ने पहले यह तर्क दिया। उसके बारे में माननीय मन्त्री जी को कुछ कहना हो तो कहें। एक तो संविधान वाली बात उन्होंने कही।

श्री शिवराज सिंह--

श्रीमन, मेरा कहना यह है कि इस विधेयक का जो उद्देश्य और कारण है उसके खिलाफ माननीय मन्त्री जी जा रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य और कारण यह है--"उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार खातेदार की जोत की सीमा से कुछ लोगों को जो विमुक्तियां दी गयी हैं उनको या तो वापस ले लिया जाय या अधिकतम जोत की सीमा कम की जाय या विमुक्तियों को सीमित किया जाय। फिर आपने इसमें नयी विमुक्ति जोड़ दी।

श्री उदित नारायण शर्मा--

विमुक्तियों का प्रश्न नहीं है। सन् 60 में दी गयी विमुक्तियों को ही इसका आधार बनाया गया है और उसके अनुसार कहीं कम और कहीं ज्यादा जमीन दी गयी है। आप देख लें कि बुन्देलखंड में इस तरह से ज्यादा से ज्यादा जो जमीन दी जायगी वह 45 एकड़ है जबकि सन् 1960 में 120 एकड़ दी गयी थी। पहले जो विमुक्तियां मिली थीं उससे यह बहुत कम है।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, श्री शिवराज सिंह का कहना यह है कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि जो पहले विमुक्तियां दी गयी थीं उनको समाप्त किया जायगा या कम किया जायगा और माननीय मन्त्री जी बुन्देलखंड के लिए जो विमुक्तियां देने जा रहे हैं वह उद्देश्य और कारण के विपरीत है। जब उद्देश्य और कारण के विपरीत है तो इसको नहीं मानना चाहिये, ऐसी आप इस परह व्यवस्था दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले हमें समझने तो दीजिये।

(श्री पन्ना लाल के खड़े होने पर।)

श्री पन्ना लाल जी आप कृपया बैठें। एक व्यवस्था चल रही है और अभी वह पूरी नहीं हुई और आप बीच में बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं।

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है वह भी हमारे सामने है और 4 या 5 बजे तक सदन है। आपके निर्णय के अनुसार हमें सब को पास भी करना है तो आपकी तरफ से संशोधन आ रहे हैं, उन पर हम बहुत भाषण का मौका नहीं देंगे।

(श्री पन्ना लाल के पुनः खड़े होने पर)

श्री पन्ना लाल जी, आप अपना आसन ग्रहण करें। जो आपको शक है मैं भी उस पर आश्वस्त हों जाऊं और मुझे शक हो जाय तभी तो कोई निर्णय लूंगा। जैसाकि विधेयक क उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है—"अधिनियम के उपबन्धों से बड़ी संख्या में विमुक्तियां दी गयी हैं। कतिपय खातेदारों ने कुछ विमुक्तियों का दुरुपयोग किया है।" यह है तो प्रश्न उठता है कि क्या उद्देश्य और कारण में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यह सही है ?

श्री चरण सिंह—

मान्यवर, इसके आगे के वाक्य भी कुछ पढ़ लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) तथा (ग) में दिये गये संविधान के निदेशक सिद्धान्तों को अग्रेतर कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि अधिकतम जोत सीमा कम कर दी जाय और कुछ विमुक्तियों को या तो वापस ले लिया जाय अथवा उन्हें सीमित किया जाय।" यह उद्देश्य और कारण हैं। अब जो प्रश्न है वह यह है कि जो उद्देश्य और कारण है क्या उसके विपरीत कोई अधिनियम बन सकता अथवा नहीं। हम उसको रोक सकते हैं या नहीं या विपरीत स्थिति में निर्णय हमको देना चाहिये या अदालत को देना चाहिये। इसके बारे में आप लोग मेरा मार्ग दर्शन करें। माननीय चौधरी साहब आप अपनी राय बताये। आप लोग जरा धैर्य रखिये इसको हम समझना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स की मंशा है कि इसके द्वारा विधेयक की परिधि बताई जाती है वरना इसको देने का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाता है। अगर कोई विधेयक एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स से कनफाइन न रहे और सरपट पूरी दौड़ लगाने का अधिकार हो जाय, चाहे जो कुछ लें आयं विधेयक में तो फिर यह गैर जरूरी हो जाता है, रिडडेंट हो जाता है। उद्देश्य और कारण एक तरह से विधेयक की परिधि बताते हैं और इसी के अन्दर विधेयक को रहना चाहिये। इसमें साफ दिया है कि पहले एक्जम्पशन्स को एब्यूज किया गया है। इसलिए या तो इनको लिमिट कर दें या वापस ले लें। जमाना के 16 किलोमीटर या चन्दौली तहसील की तरफ अधिकार है तो क्या सारे बनारस को छोड़ देंगे ? क्या यह उद्देश्य और कारणों में आ जायगा। आप ला डिपार्टमेंट से पूछ लीजिये या अपने सचिव से पूछ लीजिये। मुझे ऐसा लगता है कि विधेयक के उद्देश्य और कारणों से बाहर नहीं जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका दूसरा जुज है उसको देखिये।

श्री चरण सिंह—

मैं समझता हूं कि आप भी दे सकते हैं। यदि आप नहीं देंगे तो अदालत देगी। एक राय मैंने सुन ली। अब माननीय पन्ना लाल जी आप क्या कहना चाहते हैं। भाषण नहीं देना है। संक्षेप में कह दीजिये।

श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि हम बिल में यह दे रहे हैं कि यह कहीं चैलेंज नहीं होगा तो संविधान के अनुसार हाउस का फर्ज हो जाता है कि वह इसको ऐसा बनाये कि लोग यह न कहें कि यह गलत हुआ। एक जगह छूट देना और दूसरी जगह न देना यह ठीक नहीं है। नदी के किनारे हर जगह जमीन कटती है। लिहाजा अगर छूट दी जाये तो सब जगह दी जाये वरना न दी जाये। निजी स्वार्थ में कुछ न किया जाये क्योंकि हम सदन के प्रति जिम्मेदार हैं और 89 करोड़ जनता के प्रति जिम्मेदार होकर यहां बैठे हैं और व्यक्तिगत स्वार्थों में हमको कोई नाजायज काम नहीं करना चाहिए।

श्री हरिनाथ तिवारी--

उपाध्यक्ष जी,

श्री उपाध्यक्ष--

अगर बहस बढ़ती है तो समय बढ़ेगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

हमने अपने संशोधनों में यह कह दिया था कि विधेयक के उद्देश्य और कारण में है कि विमुक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। उनको बदला नहीं है बल्कि जितनी विमुक्तियां हैं उतनी अब भी मौजूद हैं। इसमें कहीं कर्टेलमेंट नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त और विमुक्ति दे रहे हैं और इसके लिए विधेयक में कहीं प्राविधान नहीं किया है। जैसा कि अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने बताया और धारा 18 को पढ़कर कहा कि इसमें संवैधानिक सवाल है। पता नहीं माननीय मंत्री जी को प्रदेश की सारी नदियों के क्षेत्र का ज्ञान है या नहीं या उन्हें उन्हीं स्थानों और दरियाओं का ज्ञान है जहां पर केवल उनका या उनके साथियों का इन्टरेस्ट है या जहां वह अपने सहयोगियों को लाभ पंहुचाना चाहते हैं वह इसमें कवर नहीं करता है। इसलिये आप ही इस पर रोक लगा सकते हैं, उस कुर्सी पर बैठकर आप आप सक्षम हैं। क्या यह ऐक्ट जो बनने जा रहा है वह इस तरह से बिल्कुल गलत होगा और यह संविधान की मनशा के और इस विधेयक उद्देश्य और कारणों के खिलाफ होगा। आप ही इसको रोक सकते हैं।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, आपके सामने 2 प्रश्न उपस्थित हैं। एक तो फंडामेन्टल राइट्स के बारे में एतराज है। संविधान की धारा 18 और 14 में जो राइट्स हैं उनका हनन होता है। इस लिये इजाजत न दी जाय। आप जानते हैं कि अभी पार्लियामेंन्ट मे मुल्की रूल्स कानून के बारे में वहां के अध्यक्ष की यह राय आई कि अगर फंडामेंन्टल राइट्स का मामला पेश हुआ है तो वह तो सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। लेकिन यह दूसरा जो सवाल है वह बहुत इम्पार्टेन्ट है उसमें अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य और कारण बिल के मौजूद हैं और उन का मतलब यह है कि उनके होते हुये उनके अनुसार, उनकी परिधि के अन्दर कानून बनाना चाहिये। इस का फैसला कौन करेगा इस के सम्बन्ध में अभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर करदी है कि यह आपके जूरिसडिक्शन के अन्दर की चीज है और आमको ही इसका निर्णय करना चाहिये। इस चीज को माननीय चौधरी साहब ने भी साफ कर दिया कि यह चीज इसकी परिधि के बाहर आ रही है। इसलिये इसका फैसला करने के लिये आप सक्षम हैं और कृपा करके आप ही निर्णय दें।

यह जो दरियाओं का क्षेत्र तय करने की बात है इस से क्या बू आती है। मंत्रिगण के अपने स्वार्थ की वजह से ऐसा कानून लाया गया है। इसलिये आप ही इस पर निर्णय करें।

श्री बसन्त लाल शर्मा--

श्रीमन्, प्रश्न यहां पर वैधानिक व्यवस्था का है । मेरा निवेदन यह है कि आपने स्वयं ही इस बात को पूछा है कि इस पर फैसला हम दें या न्यायपालिका देगी । हमारे सरकार के मुख्य अंग 3 हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका । हम यहां विधायिकी शक्ति लेकर बैठे हैं और हमारे जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा आपके हाथ में हैं । ऐसे भी अवसर इस सदन के सामने आये हैं कि न्यायपालिका के आदेशों के विपरीत भी इस आसन से निर्णय हुये हैं और मामला ऊपर तक गया था । मेरा निवेदन है कि सरकार के अन्दर जो लोग मंत्रिमंडल में हैं उनकी दोहरी गति है कार्यपालिका और विधायिका दोनों रूपों में । जब वह विधायिका के रूप में कोई बिल पास कराते हैं तो पहले उसके उद्देश्य और कारण बतातें हैं और उसमें आने वाले विधेयक की परिधि का निश्चय होता है । यदि उस परिधि से बाहर जाते हैं या किन्हीं स्वार्थों से प्रेरित होकर किसी विशेष भूमि या क्षेत्र के लिये कोई रियायत करते हैं और उसका जो कुप्रभाव पड़ता है उस को देखकर आप फैसला दें चाहे न दें लेकिन यह अधिकार आपका है कि आप ऐसा कोई गलत कार्य न होने दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी हम इस पर व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, हम अब आगे चल रहे हैं, हम इस विषय में सम्बन्धित साहित्य और पुस्तकों का अवलोकन कर के निर्णय देंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

तब तो आपको इसी समय पारित होने से रोकना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में हमारे पूर्व का एक निर्णय है कि कार्य का निस्तारण होता जायगा चाहे गलत हो या सही हो । इस काम को हम करते जायेंगे और अदालत गलत सही का निर्णय देगी । हम इस आसपेक्ट को देख लेते हैं कि उद्देश्य और कारणों से संगत हो ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, किसी बिल के उद्देश्य और कारणों का गवर्नमेंट का जो इन्टरप्रिटेशन होता है वही उद्देश्य और कारण के रूप में किया जाता है । इसका कारण यह है कि जो विधेयक लाये जाते हैं वह उद्देश्य और कारणों के अनुसार ही लाये जाते हैं और उसके अनुसार ही उसके खंड होते हैं । उनके कारण से अदालत में कहीं भी कोई बिल गलत नहीं होता, वह गलत होता है तो दूसरे कारणों से उद्देश्य और कारण विधेयक को कन्ट्रोल नहीं करता है और न विधेयक उस पर आधारित होता है । सिफ उसमें जो हमारा मन्तव्य होता है, वह लिखा होता है । फंडामेंन्टल राइट्स के खिलाफ भी अगर कोई विधेयक आये, उस पर श्रीमन्, अपनी कोई राय या रूलिंग नहीं देते हैं । श्रीमन् में इस सम्बन्ध में (Legislation and Interpretation by Sri Swarup (184) को पढ़े देता हूं । वह इस प्रकार है:

Objects and reasons

As regards the properiety of the reference to the Statement of objects and reasons it must be remembered that it seeks only to explain what reasons induced the mover to introduce the Bill in the House and what objects he sought to achieve. But those objects and reasons may or may not correspond to the objective which the majority of the Members had in view when it passed it into Law. The Bill may have undergone redical changes during its passage through the House or

[श्री उदित नारायण शर्मा]

Houses, and there is no guarantee that the reasons which had led to its introduction and the objects thereby sought to be achieved have remained the same throughout till the Bill emerges from the House as an Act of the Legislature, for they do not form a part of the Bill and are not noted upon by the Member.

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर अब बहस नहीं होगी ।

श्री रूप नाथ सिंह यादव---

श्रीमन्, संविधान की धारा 39 (ख) के मुताबिक इसकी मंशा को पूरा करने के लिये यह विधेयक है । अगर इन्होंने कोई जोड़ दिया है तो यह जनता पर विश्वासघात है । कान्स्टीट्यूशनल तो है लेकिन यह अनैतिक है । इसके उद्देश्य और कारणों में (ख) और (ग) की सीमा घटा दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई संविधान के विपरीति पड़ता है, असंगत है तो न्यायालय ही उस पर अपनी व्याख्या देगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

श्रीमन् उसके पहले तो आप देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसके 2 जुज हैं । एक के बारे में तो कोई शक नहीं है । मान लिया जाय कि कोई ऐक्ट पास हो जाय और वह गलत हो तो इसको न्यायालय ही गलत करार देगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

अगर सदन में एक ऐक्ट यह इन्ट्रोड्यूस हो जाय कि यहां पर मिलिट्री खड़ी कर दी जायगी तो क्या आप उसको लाने की इजाजत देंगे ? श्रीमन्, मैं आपको केवल स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार इतने गलत कदम उठाने जा रही है कि . . .

श्री उपाध्यक्ष---

मैं रूलिंग्स या कन्डक्ट आफ बिजिनेस की कोई ग्लौसरी या डिक्शनरी नहीं हूं । जब-जब कोई प्रश्न आता है तो उस पर निर्णय लिया जाता है ।

श्री चरण सिंह---

श्रीमन्, आपकी बातें सब एक दूसरे से कंसिस्टेन्ट होती हैं । हम नहीं कह सकते कि हमारे डिप्टी स्पीकर कभी कुछ और कभी (व्यवधान) . . .

श्री उपाध्यक्ष---

अगर माननीय कल्पनाथ सिंह जी मेरी कोई रूलिंग दिखा दें तो मैं मान लूं । मान लीजिये कि हम एक ऐक्ट पास करते हैं । उस ऐक्ट से इस सभा की क्षमता बढ़ जाती है । चाहे वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाय लेकिन हम इसी रूलिंग से चलते हैं कि हम अपने सदन की क्षमता के विस्तरण के पक्ष से . . .

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, जब भूमि विकास कर पेश हुआ था उस समय उसमें वैधानिक आपत्तियां हुई थीं । उसी को निकाल कर देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जो रूलिंग दे रहा हूं उससे कोई असंगत रूलिंग नहीं है । हमारे दिमाग का शील एक है । आप उसमें विसंगति नहीं पायेंगे क्योंकि मेरे दिमाग में चीजों को देखने का एक ही नजरिया पकड़ चुका है ।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

मान्यवर, उधर से काफी सदस्य बोल चुके हैं । आप इधर के सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रक्खें ।

श्री उपाध्यक्ष—

उधर या इधर का मामला नहीं है । प्रश्न यह है कि उद्देश्य और जो कारण हैं उनसे अगर विपरीत पड़ जाय तो उसको अव्यवस्थित करार दिया जाना चाहिये । इसके बारे में एक किताब मंगाई गई है । पद्धतियों के जानकार हैं शखधर और कौल सहाब की लिखी । मैं उसका हिन्दी में अनुवाद कर रहा हूं—

यह सर्वमान्य पद्धति है कि 1862 से हर अधिनियम के साथ उद्देश्य और कारण संश्लिष्ट किये जाते हैं और वे संक्षेप में विधायन कार्यों का अभिप्राय व्यक्त करते हैं । वक्तव्य कुछ वर्णनात्मक होते हैं और उसमें जो तथ्य हैं वे मोटे तौर पर बिल को समझने में और उसकी परिधि (व्याप्ति) की जानकारी देते हैं । लेकिन अदालतें उद्देश्य और कारण से अपने निर्णय को नहीं करेंगी कोई विधायी कार्य का अर्थ उसके शब्द से नहीं उसमें जो निहित नीति है उससे लिया जाना चाहिये . . .

कोर्टस का निर्णय आधारित नहीं करेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं भी एक रूलिंग पढ़ रहा हूं:—

उद्देश्य और कारण विधेयक का भाग न होने के कारण . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या सुन रहे हैं अब । आपने जो समझ लिया वह काफी है आपका निर्णय शिरोधार्य है । सरकार के निर्णय लाठी-डंडे के साथ बाध्य होंगे वे तो अनर्गल है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह उठता है कि जो उसके उद्देश्य और कारण पर आधारित नहीं है माना जाता है उसका यहां आधार क्या ? क्योंकि सवाल यह है कि यह साफ हो गया जिस पद्धति का जिक्र किया गया उससे । . . . लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय तो बहुत कम है । अगर सारा समय लगा दिया जाय तो एक घंटा दस मिनिट है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

श्रीमन्, आप क्लाज बाई क्लाज देखकर चलें । जल्दी ले लेने से क्या फायदा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में नियमों की स्थिति भी हम बता दें । यह नियम है— निश्चित समय पर अवशिष्ट विषयों का निस्तारण—सदन के संकल्प के अनुसार निश्चित समय पर किसी विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम अथवा अन्य कार्य को पूरा करने के लिये अध्यक्ष विधेयक के उस प्रक्रम अथवा अन्य कार्य से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे . . .

श्री भानु प्रताप सिंह---

श्रीमन्, आप गुलोटीन तो कर सकते हैं लेकिन रफ्तार शुरू से तेज नहीं कर सकते । आप चर्चा चलने दें । जब समय हो जाय तो गुलोटीन कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो चर्चा के लायक हैं···

श्री भानु प्रताप सिंह---

लायक वाला निर्णय आप न करें बल्कि सदन को करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जिसमें आप लोगों ने रूचि व्यक्त की है उसमें मैंने समय दिया है ।

कार्य मंत्रणा समिति में जो तय हुआ था और जो सदन का निर्णय है उसमें आपने यह तय किया है कि दिसम्बर, 15, 16, 18, 19, 20 तथा 21, 1972 को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 लिया जाय जिसमें 15, 16, 18, व 19 दिसम्बर, 1972 को जनरल डिस्कशन हो और 20 व 21 दिसम्बर, 1972 को क्लाज वाइज डिस्कशन के साथ पारण हो । तो आज इसका पारण होना है ।

माननीय राजस्व मंत्री जी, 15-क पर जो यह संशोधन है यह आपको स्वीकार है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) का (ख) और (ग) निकाल कर उसके स्थान पर (ख) निम्न रूप में रख दिया जाय और (घ) (ङ०) (च) (छ) (ज) को क्रमशः (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) रख दिया जाय-

(ख) उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, टोन्स आदि नदियों की कटान डाही एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआः---

(पक्ष में 30,

विपक्ष में 145)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैनेजर सिंह जी मेरे लिये बहुत प्रिय हैं। मैं यह कोई दिखावटी बात नहीं कहता हूं । उन्होंने यह संशोधन रखा तो बहुतों ने यह सोचा कि चूंकि उन्होंने यह रख ही दिया है इसलिये औरों के रखने की जरूरत नहीं है । मन की बात कहता हूं । उन्होंने वोट नहीं दिया खुद अपने संशोधन के समर्थन में । सदन में इतनी देर तक चर्चा चलती रही परन्तु अन्त में उन्होंने न इधर वोट दिया और न उधर से दिया । एक नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, मैं तो ऐसा समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

वोट के अन्दाज का हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हम कह नहीं पायें । विश्लेषण आपको नहीं करना चाहिये, विश्लेषण तो हमें करना चाहिये । वह काम तो हम पर छोड़ दिया जाय । इतनी देर तक बहस हुयी और सदन का इतना समय लगा । वे प्रस्ताव लाये इसलिये हम भी बन्ध गये । माननीय मैनेजर सिंह जी ने उसके पक्ष में भी वोट नहीं दिया । क्या वे यही निर्णय लेना चाहते थे कि किसने वोट किया और किसने नहीं, तो अच्छा होता कि उसे वे मूव ही न करते । अच्छा हो ऐसा आगे न हो ।

श्री उपाध्यक्ष--
तो ठीक है--आपकी स्वेच्छा है ।
(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--
ये मैनेजर सिंह...

श्री मैनेजर सिंह--
जायसवाल जी, अगर आप....

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--
प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले समर्थन नहीं करते ।

श्री कल्पनाथ सिंह--
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) (ग) में अंक "16" के स्थान पर अंक "1" रख दिया जाए ।

श्री चरण सिंह--
मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अमेन्डमेंट आ रहा है कि इसको डिलीट ही कर दिया जाये--न 16 हो, न 10 हो और न 1 हो ।

श्री उपाध्यक्ष--
हम तो क्लाज वाइज चलें ।

श्री चरण सिंह--
इसको डिलीट ही कर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब तो इसको रख दिया है, इसको तो खत्म कर दें ।

श्री चरण सिंह--
डिस्कशन को सस्पेंड कर दें और पहले इसको ले लीजिये ।

श्री उदित नारायण शर्मा--
तो इसको 10 पढ़ेंगे या 1 ?

श्री कल्पनाथ सिंह--
10 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर रख दिया जाय ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--
मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--
आपने पहले 10 रखा और अब उसको बदल दिया ।

श्री कल्पनाथ सिंह--
मैंने जब प्रस्ताव किया था तभी कहा था कि 10 के स्थान पर 1 कर दिया जाये और उसको आपने मान लिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--
वे कह रहे हैं कि उसको निकाल दिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह--
अच्छी बात है--आप निकाल देंगे । वह मान लेते हैं--अपनी बात वापस कर लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--
वापस लेते हैं तब तो दूसरी शक्ल है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर वह इसको मान लेते हैं तब न ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा 2 का भाग (ग) व (ज) निकाल दिया जाय । मान्यवर, जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट के 337 में कुछ क्षेत्रों को छोड़ देने की व्यवस्था थी लेकिन उसमें 'ग'' और "ज'' नहीं थ । 9 मई को राजस्व मंत्री जी ने जो प्रस्तुत किया था उसमें यह छूट नहीं थी । इसमें जो रखा है तो यह चकिया और मुख्य मंत्री के क्षेत्र को छोड़ देने के लिये रखा है । यह किस समिति की रिपोर्ट पर किया है या किस अर्थशास्त्री की रिपोर्ट पर किया है । राजस्व मंत्री जी यह बतलावें कि किस आधार पर यह छूट देने की व्यवस्था की है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, अनेक बार चर्चा हो चुकी है । यह जमुना के किनारे है या कटान की जगह हैं इसलिये नहीं रखा है । बुन्देखंड जमुना के दक्षिण में और उत्तर का कुछ हिस्सा बुन्देलखंड के समान है । इसलिये उस हिस्से को भी बुन्देलखंड मानकर ही यह रखा गया है । इसलिये मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) का भाग (ग) व (ज) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में——64,

विपक्ष में——145 ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर इसी के साथ मैं दूसरा संशोधन रख रहा हूं जो कल्पनाथ सिंह जी का है ।

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) (ग) में अंक "16'' के स्थान पर अंक "1'' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री बंशीधर पाण्डेय—

एक नयी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए । हाथ उठाकर वोट करने के बजाय अबकी बार अन्तरात्मा से वोट होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका दिग्दर्शन कहां होगा ? (हंसी)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखिय मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में——70,

विपक्ष में——136 ।)

श्री कल्पनाथा सिंह

समाजवाद का पर्दा फाश हो गया । यह मालूम हो गया कि यह सरकार प्रतिक्रियावादी सरकार है ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 4 (1) के खंड 2 के उपखंड (ग) में शब्द "आगरा" के स्थान पर शब्द "आगरा जिले" रख दिये जांय।

श्री उदति नारायण शर्मा---

स्वीकार है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह किस मिनिस्टर को खुश करने के लिये हुआ है यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 4(1) के खंड (2) के उपखंड (ग) में शब्द "आगरा" के स्थान पर शब्द "आगरा जिले" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री पारसनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 के उपखंड (2) (ख) (ग) के अन्त में " तथा उन दो नदियों अथवा नालों के बीच वह भाग जो 10 किलोमीटर से कम हो तथा ऐसी बड़ी नदी के दोनों मुस्तकिल किनारों का वह भाग जो 5 किलोमीटर से कम हों" जोड़ दिया जाय।

इसमें (2) (ग) लिखा है यह (2) (ख) होना चाहिये। वही मैंने रखा है।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मान्यवर, संविधान के अन्तर्गत हमने इसी बात की शपथ खाई है कि सब के साथ समान व्यवहार होगा। नदियां हर जगह अपने दोनों किनारों के बीच काफी कटाव कर देती हैं समस्त प्रदेश के लिये एक सी नीति हो, इसलिये मैंने अपना यह संशोधन रखा है। माननीय मंत्री जी को बिल्कुल निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिये। आशा है मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 के उप खंड (2) (ख) (ग) के अन्त में "तथा उन दो नदियों अथवा नालों के बीच वह भाग जो 10 किलोमीटर से कम हो तथा ऐसी बड़ी नदी के दोनों मुस्तकिल किनारों का वह भाग जो 5 किलोमीटर से कम हो" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

हां .. 50,

नहीं .. 107.)

श्री जयराम वर्मा---

चूंकि मेरी परिभाषा मानी नहीं गई, इसलिये इसकी गुंजाइश नहीं है।

*श्री कल्पनाथ सिंह---

इनको सामाजिक न्याय क्या पसन्द है, यह इनसे पूछ लीजिये, तब इसको रखूं। श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) में (झ) के रूप में नया उपखंड बढ़ा दिया जाय:---

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्प नाथ सिंह]

"नदियों के किनारे की भूमि जो बाढ़ एवं कटाव से प्रभावित होती है हो जोत सीमा आरोपण से मुक्त मानी जायेगी।" श्रीमान्, मेर इस सिलसिले में एक निवेदन है मंत्री जी से, उन्होंने देखा है बलिया जिला जहां से श्री मनेजर सिंह का क्षेत्र शुरू होता है वहां से लेकर बनारस और उसके आगे के किनारे तक गंगा के किनारे ऐसी जमीन है जो एक जगह नहीं मिलों, इस पार नहीं दूसरे प्रदेशों में भी बिहार में भी चली गई है और सारे के सारे गांव साफ हो गये हैं। इसी प्रकार गंडक नदी के किनारे ऐसी जमीन है जो कभी बिहार में चली जाती है और कभी इधर। जिसके बारे में कोई ठिकाना नहीं है। जिसको कभी भी सिंचन क्षमता प्राप्त ही नहीं हो सकती है, न सरकारी ट्यूब वेल्स वहां लग सकते हैं और न निजी स्थापित हो सकते हैं। इसलिए नम्र निवेदन है कि मेहरबानी करके उस क्षेत्र की जो कटान और बाढ़ से प्रभावित होने वाला इलाका है, उसे इससे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि उसमें जोत सीमा का कोई सवाल नहीं उठता है, वहां चकबन्दी भी नहीं होने वाली है। वहां 20–25 साल बाद किसी गांव का नक्शा बन पड़ता है। ऐसी जमीन का जो आमतौर पर नदी के पेटे में हमेशा आए और जाए, उसको इससे मुक्त रखना चाहिए। यह मेरी अपील है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक मिनट श्रीमन्, मैं भी कह लूं, बस्ती जिले में भी ऐसे क्षेत्र बहुत हैं। मेरे क्षेत्र में 6 नदियां हैं और हमेशा कटाव की स्थिति बनी रहती है। भूमि कटान के बारे में कोई कानून भी नहीं बना है।

यह सचमुच न्यायपूर्ण बात है कि ऐसे क्षेत्र को छोड़ दिया जाय। कंसालिडेशन में भी वह शामिल नहीं है। लगान भी इसका कम है। हर दृष्टि से छूटा रहा है। माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन् यह संशोधन भी स्वीकार नहीं है। कारण यह है कि नदी के कटाव से जमीन कम और ज्यादा होती है। लेकिन यदि जोत सीमा न भी हो तो भी वह स्थिति है। जिन लोगों के पास ऐसी जमीन है उनको हक होगा कि अच्छी जमीन रखें कटाव वाली जमीन को छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) में (झ) के रूप में नया उपखंड बढ़ा दिया जाय:—

"नदियों के किनारे की भूमि जो बाढ़ एवं कटाव से प्रभावित होती हो जोत सीमा आरोपण से मुक्त मानी जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में ..	31,
विपक्ष में ..	90 ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री अपने सचेतकों से कह दें कि लाबी में न जा कर बैठें। बार-बार लाबी में जाते हैं और बार-बार आते हैं। इससे समय जाता है। थोड़ी देर बैठ नहीं सकते हैं ?

यह जो निर्भयनारायण सिंह जी का तथा शम्भूनाथ जी का है वह इससे पहले जो संशोधन गिर गया है उसी प्रकार का है इसलिये इसको लाने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं:--

"खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 4 की उपधारा (2) में उपखंड (छ) के अन्त में शब्द, "और" निकाल दिया जाय तथा उपखंड (ज) के बाद निम्नांकित उपखंड (झ) बढ़ा दिया जाय--

"(झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मंडलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना।"

श्री उदित नारायण शर्मा--

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जानेवाली धारा 4 की उपधारा (2) में उपखंड (छ) के अन्त में शब्द "और" निकाल दिया जाय तथा उपखंड (ज) के बाद निम्नांकित उपखंड (झ) बढ़ा दिया जाय:--

"(झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मंडलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) निकाल दी जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 की उपधारा (2) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम यादव--

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 निकाल दी जाय।

श्रीमन् आप स्वयं देखेंगे कि इस धारा 4 की तहत में कुछ विशेष क्षेत्र को जानबूझकर छूट दी गयी है बड़े बड़े नेताओं के क्षेत्र मिर्जापुर वाराणसी और स्वयं के बुन्देलखंड तथा खास तौर से मुख्य मंत्री के गोपालपुर में जो फार्म है उनके लिये छूट दी गयी है और इस तरह से विशेष व्यक्तियों को विशेष लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यह प्राविधान में किया गया है और जो इस

[श्री जयराम यादव]
कानून का मंशा है कि ज्यादा स ज्यादा जमीन सरप्लस में आवे वह भूमिहीनों और हरिजनों में वितरित की जावे । तो इस दृष्टि से यह धारा बिलकुल अनावश्यक है और इसको निकाल दिया जाना चाहिये ।

श्री उदित नारायण शर्मा--
श्रीमन्, यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 4 निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---
मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (1) का वाक्य निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न तौर पर उपखंड (1) लिख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---
यही स्टेटमेंट है । यह कोई संशोधन नहीं है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव---
मान्यवर सुन लें आगे इस प्रकार है "जब से नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन का प्रस्ताव पास हुआ है देश भर में बड़े भू-स्वामियों ने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में अपनी जोतों को फरजी बटवारे या हस्तांतरण अपने मित्रों, संबंधियों या रिश्तेदारों में हदबन्दी से अपनी भूमि बचाने के लिये किये हैं । अतएव इस फरजी कार्यों पर रोक लगाने के लिये एक जुलाई, 1952 या 10 फरवरी, 1959 के बाद से हुए तमाम भूमि के हस्तांतरण या विभाजन के उपेक्षा या अवैध होंगे । और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 10 फरवरी, 1959 के दिनांक से लागू हुआ समझा जायगा। और कोई खातेदार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने परिवार सहित कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा।"

इसकी रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट क्यों दिया जाय क्यों पुरानी तारीखों से प्रभावकारी बनाया जाय इसके लिये मैं रीजन दे रहा हूं । सन 52 से लेकर 59 तक यह बराबर कहा गया कि जमीनों का फरजी बटवारा हो गया । इसमें आपने 24 जनवरी 71 लिखा है....

श्री अध्यक्ष---
मैं इसको अवैध घोषित करता हूं । यह कोई संशोधन नहीं है ।

*श्री बसन्त लाल शर्मा---
अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को थोड़ा परिवर्तित रूप में रखना चाहता हूं और वह इस प्रकार है:--"खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा 2 की प्रथम पंक्ति में शब्द "व्यक्तियों" के स्थान पर शब्द "संस्थाओं व समितियों" रख दिया जाय।"

इसके रखने से कोई खास प्रभाव विधेयक पर नहीं पड़ता है । मैं यह समझता हूं कि अंग्रेजी में विधेयक बन कर आया और उसका यह हिन्दी अनुवाद किया गया है । हिन्दी में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यक्तियों और वर्ग रखा जाय तो यह गलत हो जाता है। इसको आप पढ़ें "उपधारा 2 (1) की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात्:

(क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम,

(ख) विश्वविद्यालय,

(ग) स्नातकोत्तर कालेज,

(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक,

इस प्रकार आप देखें ये सब संस्थायें हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। इन संस्थाओं के नाम से भूमि है उनमें अध्यक्ष, प्रबन्धक, अथवा कुलपति या उप कुलपति अथवा मंत्री हो सकता है। किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होगी। अगर व्यक्तियों शब्द रखा जायगा तो धारा 5 को आप पढ़ें उसमें लिखा हुआ है:—

"उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, कोई खातेदार उत्तर प्रदेश, में अपने पर प्रयोज्य कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा।" किन्तु आप देखेंगे कि इन व्यक्तियों पर यह धारा लागू नहीं होंगी जो उपधारा 3 में दिया हुआ है—(4) (5) और (6) के उपबन्धों से मुक्त व्यक्तियों को कर दिया गया है। तो मान्यवर, यदि कोई व्यक्ति किसी विद्यालय का प्रबन्धक है या ऐसी संस्था का प्रबन्धक है जिसके नाम से अलग से भी कोई भूमि है तो उससे जो परिवार का खातेदार है वह उससे बंचित हो जाता है। इससे वह गलत हो जाता है। मान्यवर, इस संशोधन को रखने से लाभ हो सकता है। इसलिये उसमें "संस्थाओं" शब्द अवश्य रखा जाय। यह बात विधेयक के अनुरूप है और उसके हित में है। इसमें कोई विरोधाभास भी है। यदि उनकी मंशा है कि न मानें, तो ठीक है, वैसे मेरा विश्वास है कि यह न्यायालय के सामने अवश्य जायेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह बात किसी माने में सत्य भी है लेकिन जो जनरल क्लाजेज ऐक्ट है उसमें दिया गया है कि "परसन इन्क्लूड्स इन्स्टीट्यूशन्स आलसो" यह मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) की प्रथम पंक्ति में शब्द "व्यक्तियों" के स्थान पर शब्द "संस्थाओं व समितियों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) भाग (ख) में "विश्वविद्यालय" के आगे सेमी कोलन को हटा कर शब्द "एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था" रख दिये जायं। मान्यवर, मैं अपने संशोधन को सीधे तरीके से इस तरह से रखना चाहता हूं कि प्रदेश में अनेक बालक और बालिकाओं की शिक्षण संस्थायें है जैसे संस्कृत विद्यालय, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और डिग्री कालेज आदि जिनके पास कि काफी भूमि है और जिसे कि वे संचालन कर सकते है और उसमें निर्माण कर अपनी शिक्षण संस्था चला सकते है। मान्यवर, यह किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये नहीं है शिक्षण संस्थाओं के लाभ के लिये है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिये क्योंकि सार्वजनिक संस्थायें है और सार्वजनिक हित में है। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) भाग (ख) में "विश्वविद्यालय" के आगे सेमी कोलन को हटाकर शब्द "एवं मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि इसे 5 बजे तक समाप्त करना है । थोड़ा समय और बढा दिया जायेगा लेकिन पढ़कर सुनाते रहने से ज्यादा समय लगेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो विभिन्न नेताओं की समिति बैठी थी उसमें यह तय हुआ है कि जो आज का कार्यक्रम है वह उसी तरह से चलेगा जैसा कि ऐजेन्डे में दिया हुआ है । यानी नियम 52 वाला, वह आज लिया जायेगा । उसके बाद कल के लिये यह तय हुआ है कि कल 3 बजे, गन्ने के दाम क्या होने चाहिये, से संबंधित विषय लिया जायेगा । जो असरकारी कार्य है उसके संबंध में यह निश्चय हुआ है कि वह कल के बजाय 24 जनवरी, 1973 को लिया जायेगा । कल हम दो विधेयकों को लेंगे । एक तो यह विधेयक लिया जायेगा जिसकी कि आज सदन द्वारा अनुज्ञा मांगी गई है, उसको पेश किया जायेगा और उसका पारण होगा । दूसरा विधेयक जो कल लिया जायेगा वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों की उपलब्धियों, जो कि उपस्थिति हो चुका है, को पारित किया जायेगा । तो यह चीज तय हुई है । अतः इसके बारे में मैं कहता हूं कि अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है बल्कि जो संशोधन रखना चाहता हूं, मैं उसका नाम ले लेता हूं और मंत्री जी से उसके संबंध में पूछ लेता हूं कि वे उसे स्वीकार करते है या अस्वीकार करते है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"(ख) कृषि में शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय ।"

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"(ख) कृषि में शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) का (ङ) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जायः—

"ऐसी सहकारी समिति जो 15 एकड़ से अधिक भूमि धारण न करती हो और उनके सदस्यों में से प्रत्येक भूमिहीन हो और जिसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार ने सीधे अभिदान किया हो ।"

मेरा कहना है कि ऐसी सहकारी समिति के पास कम से कम 15 एकड़ जमीन होनी चाहिये । क्योंकि ज्यादा भूमि वाले सदस्य ही सहकारी समितियां इस तरह के बनाये हुए हैं । जैसे मुख्य मंत्री जी के जिले वाराणसी व मिर्जापुर में हजारों एकड़ के फार्म फर्जी सोसाइटीज के नाम पर बने हुए हैं । अगर इस संशोधन के जरिये आप जमीनें नहीं बचायेंगे तो हरिजनों व भूमिहीनों को देने के लिये कोई जमीन बचेगी नहीं । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें वरना इस पर वोटिंग करा लें ।

श्री उदित नारायण शर्मा--
मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) का (ङ) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जाय:--

"ऐसी सहकारी समिति जो 15 एकड़ से अधिक भूमि धारण न करती हो और उनके सदस्यों में से प्रत्येक भूमिहीन हो और जिसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार ने सीधे अभिदान किया हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--
मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) के उप उपखंड (ङ) को निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--
मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) के उपखंड (ङ) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--
मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) (च) निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम 1952 के अधीन संघटित भू-दान यज्ञ समिति को, आचार्य बिनोबा जी को देश में जितनी जमीनें मिली उनका ठीक से वितरण नहीं हुआ है । भू-दान समिति में सभी राजनीतिक दल के लोग तो हैं नहीं केवल शासक दल कांग्रेस के लोग ही हैं । उन लोगों ने तमाम अपने मित्रों और रिश्तेदारों के नाम हजारों एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया है । हजारों कैसेज अदालतों में भी चल रहे हैं जो कि बोगस और फरजी पट्टे हुए हैं । मैं कहता हूं कि इस संशोधन को मान लेने से हजारों एकड़ जमीन जो निलेगी वह भूमिहीनों व हरिजनों को वितरित की जा सकेगी। इसलिये माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लें ।

श्री उदित नारायण शर्मा--
मुझे यह स्वीकार नहीं है। किसी के पास सवा 6 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) (च) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

श्री गोबिन्द सिह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) के भाग (क) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये—

(क) परिवार वाले खातेदार की दशा में (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) एक सदस्यीय परिवार के लिये सिंचित भूमि के दस एकड़ तथा एक से अधिक सदस्य वाले परिवार की दशा में प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये 2 एकड़, किन्तु अधिकतम क्षेत्र किसी भी दशा में 18 एकड़ से अधिक न होगा और उसके साथ तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्रों के लिये जो स्वयं खातेदार न हों' सिंचित भूमि को 3 1/8 अतिरिक्त एकड़, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 9 3/8 एकड़ से अधिक न होगी ।

आपने 18 एकड़ इसमें रखा है । चाहे एक सदस्य का परिवार हो 5 सदस्य का परिवार हो । मेरा निवेदन यह है कि एक सदस्य के परिवार के लिये 10 एकड़ रखें ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उप धारा (3) के भाग (क) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय—

(क) परिवार वाले खातेदार की दशा में (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है)' एक सदस्यीय परिवार के लिये सिंचित भूमि के दस एकड़ तथा एक से अधिक सदस्य वाले परिवार की दशा में प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये 2 एकड़, किन्तु अधिकतम क्षेत्र किसी भी दशा में 18 एकड़ से अधिक न होगा और उसके साथ तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्रों के लिये जो स्वयं खातेदार न हों' सिंचित भूमि को 3 1/8 अतिरिक्त एकड़, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 9/3/8 एकड़ से अधिक न होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिह यादव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उप धारा (3) का उपखंड (क) निकाल दिया जाये और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जाये—

"(क) (1) परिवार वाले खाते की दशा में जहां कुटुम्ब में पति या पत्नी हों लेकिन बच्चे न हों उनको सिंचित भूमि के 3 1/8 एकड़ । या

(2) जहां परिवार में पति पत्नी' तथा एक अवयस्क बच्चा हो वहां सवा छः एकड़/या

(3) जहां परिवार में पति या पत्नी या दोनों तथा दो अवयस्क बच्चे हों । वहां दस एकड़ । या

(4) जहां परिवार में पति या पत्नी या दोनों एक वयस्क तथा दो अवयस्क बच्चे हों वहां साढ़े बारह एकड़/ या

(5) जहां परिवार में पति या पत्नी या दोनों तथा दो बालिग या तीन से अधिक नाबालिग बच्चे हों वहां 15 एकड़ ।

स्पष्टीकरण– एक परिवार के बालिग तथा नाबालिग सदस्यों की कुल भूमि को चाहे वह एक खाते में हो अथवा पृथक खातों में हदबन्दी (सीलिंग) के लिये एक साथ शामिल माना जाना चाहिये ।"

मान्यवर, हमें कहने की इजाजत दीजिये ताकि जनता सुन ले । यही प्रेस करना है ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब समय नहीं है ।

श्री रूपनाथसिंह यादव––

कांग्रेस की नीति यह रही है कि भूमिहीनों को जमीन दी जाय । हमने सुझाव रखा उसको माना जाये ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब समय नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) का उपखंड (क) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जावे––

"(क) (1) परिवार वाले खाते की दशा में जहां कुटुम्ब में पति या पत्नी हों लेकिन बच्चे न हों उनको सिंचित भूमि के 3 1/8 एकड़, या

(2) जहां परिवार में पति, पत्नी तथा एक अवयस्क बच्चा हो वहां सवा 6 एकड़, या

(3) जहां परिवार में पति या पत्नी या दोनों तथा दो अवयस्क बच्चे हों वहां दस एकड़, या

(4) जहां परिवार में पति या पत्नी या दोनों तथा एक वयस्क तथा दो अवयस्क बच्चे हों वहां साढ़े बारह एकड़, या

(5) जहां परिवार में पति या पत्नी या दोनों तथा दो बालिग या तीन से अधिक नाबालिग बच्चे हों वहां 15 एकड़ ।

स्पष्टीकरण––एक परिवार के बालिग तथा नाबालिग सदस्यों की कुल भूमि को चाहे वह एक खाते में हो अथवा पृथक खातों में हदबन्दी (सीलिंग) के लिये एक साथ शामिल माना जाना चाहिये ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) में भाग (क) को निम्न प्रकार रख दिया जाय––

परिवार वाले खातेदार की दशा में, अच्छी भूमि, औसत भूमि और निम्नकोटि की भूमि के 15, 20 और 25 एकड़ (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और खातेदार के 3 और 3 से अधिक पुत्र होने की दशा, अच्छी, में औसत और निम्नकोटि की क्रमशः 22.5, 30, 37.5 एकड़ और 30, 40, 50 एकड़ ।

श्री उदित नारायण शर्मा––

मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) में भाग (क) को निम्न प्रकार रख दिया जाय––

परिवार वाले खातेदार की दशा में, अच्छी भूमि, औसत भूमि और निम्नकोटि की भूमि के 15,20 और 25 एकड़ (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है)

[श्री उपाध्यक्ष]

और खातेदार के 3 और 3 से अधिक पुत्र होने की दशा में, अच्छी, औसत और निम्नकोटि की क्रमशः 22.5, 30, 37.5 एकड़ और 30, 40, 50 एकड़ ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री राजमंगल पांडेय--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायं और वर्तमान खंड (ख) (ग) तथा (घ) को पुनः संख्यांकित करके क्रमशः खंड (ग) (घ) तथा (ङ) कर दिये जायं--

"(क) किसी ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टेयर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टेयर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टेयर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टेयर से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टेयर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो 5 से अधिक हों तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हों या जिसके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हों सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टेयर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टेयर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टेयर से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण--खण्ड (क) तथा (ख) में पद 'वयस्क पुत्र' के अन्तर्गत ऐसा वयस्क पुत्र भी है जो मृत हो और अपने पीछे अवयस्क पुत्र अथवा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवस्क पुत्रियां छोड़ गया हो जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिनके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो।"

श्री उदित नारायण शर्मा--

मुझे स्वीकार है

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायं और वर्तमान खंड (ख) (ग) तथा (घ) को पुनः संख्यांकित करके क्रमशः खंड (ग) (घ) तथा (ङ) कर दिये जायं--

(क) किसी ऐसे खातेदर की दशा में जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टेयर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टेयर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टेयर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टेयर से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टेयर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो 5 से अधिक हों तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हों या जिनके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टेयर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टेयर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टेयर से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण---खंड (क) तथा (ख) में पद 'वयस्क पुत्र' के अन्तर्गत ऐसा वयस्क पुत्र भी है जो मृत हो और अपने पीछे अवयस्क पुत्र अथवा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियां छोड़ गया हो जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिनके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

श्रीमन् मैं प्रस्तावित करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उप धारा 3 के भाग (क) में अंक 7.30 हेक्टेयर निकाल दिया जाय उसके स्थान पर 5 हेक्टेयर (12.11 एकड़) रख दिया जाय।

मान्यवर आप सुन लें कि हमने इसको क्यों रखा है। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में प्राविधान है कि कोई नया आदमी साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है। जब तक जमींदारी एबालीशन ऐक्ट धारा 154 है इसको लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा संशोधन बहुत जरूरी है।

श्री उदित नारायण शर्मा---

स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) के भाग (क) में अंक 7.30 हेक्टेयर निकाल दिया जाये और उसके स्थान पर 5 हेक्टेयर (12.11 एकड़) रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामधारी शास्त्री---

आपके इस तर्क के विरोध में हम 3 मिनट के लिए वाक-आउट करते हैं।

(श्री रामधारी शास्त्री अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन् जब उन्होंने कहा कि हम वाक-आउट करते हैं तो अपने कहा कि ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके माने हम समझते हैं कि उन का प्रोटेस्ट सही है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं सही गलत में नहीं जाता, उसके बारे में हमारी रूलिंग अपनी जगह पर है। लेकिन ऐसे समय में अगर कोई चला जाता है तो उस पर मैं एतराज नहीं करता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) (क) की तीसरी पंक्ति में "2 अतिरिक्त हेक्टेयर" के स्थान पर "4 हेक्टेयर" रख दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा---

अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) (क) की तीसरी पंक्ति में, "2 अतिरिक्त हैक्टेयर" के स्थान पर "4 हैक्टेयर" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) (क) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया दिया जाय---

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि से होने वाली आय का उसी अनुपात में निश्चय किया जायगा जिस प्रकार शहरी सम्पत्ति की आय निर्धारित की जाय। साथ ही यह भी है कि कोई भी व्यक्ति शहरी और देहाती क्षेत्र में दोहरी सम्पत्ति रखने का हकदार न होगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि खातेदार की आय के अनुसार ही अन्य व्यवसाय और सेवाओं की भी आय निर्धारित होगी जिससे आय को एक रूपता हो सकेगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जो तिथि निर्धारित है वह सभी प्रकार की आय निर्धारण में लागू होगी।"

हमने इसमें इस बात की मांग की है कि एक व्यक्ति को शहर और देहात में दोहरी सम्पत्ति रखने का अधिकार न हो। मैं इस पर विभाजन चाहूंगा।

श्री उदित नारायण शर्मा---

अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) (क) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि से होने वाली आय का उसी अनुपात में निश्चय किया जायगा जिस प्रकार शहरी सम्पत्ति की आय निर्धारित की जाय। साथ ही यह भी है कि कोई भी व्यक्ति शहरी और देहाती क्षेत्र में दोहरी सम्पत्ति रखने का हकदार न होगा;

प्रतिबन्ध यह भी है कि खातेदार की आय के अनुसार ही अन्य व्यवसाय और सेवाओं की भी आय निर्धारित होगी जिस से आय की एकरुपता हो सकेगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जो तिथि निर्धारित है वह सभी प्रकार की आय निर्धारण में लागू होगी।"

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई, घंटी बजते समय...)

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, यह साबित हो गया है कि कौन-सी पार्टी पूंजीपतियों की दलाल नम्बर 1 है। ये सारी की सारी देहाती सम्पत्ति को इनके अधिकार में देना चाहते हैं। ये ही लोग कहते थे कि समाजवाद आयेगा। इनके फरेब का पर्दाफाश हो गया है। ये 5 लाख सम्पत्ति को शहर में भी रखवायेंगे और देहात में जाकर वह फार्मिंग भी करने का अधिकार इन्हें दिया जा रहा है। ढोल की पोल खुल गयी है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में---56,

विपक्ष में---142।)

श्री रूपनार्थसिंह यादव--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) का उपखंड (ख) में शब्द "20 हैक्टर" के स्थान पर "12 हैक्टर" लिख दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मुझे अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) का उपखंड (ख) में शब्द "20 हैक्टर" के स्थान पर "12 हैक्टर" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) के भाग (घ) को निम्न प्रकार कर दिया जाय--

"किसी अन्य खातेदार की दशा में अच्छी, औसत और निम्नकोटि की भूमि का 15, 20, 25 एकड़"।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) के भाग (घ) को निम्न प्रकार कर दिया जाय :

"किसी अन्य खातेदार की दशा में अच्छी, औसत और निम्नकोटि की भूमि का 15, 20, 25 एकड़"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामधारी शास्त्री--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) भाग (घ) में "7.30 हैक्टर" के स्थान पर "5 हैक्टर" रख दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) भाग (घ) में "7.30 हैक्टर" के स्थान पर "5 हैक्टर" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनार्थसिंह यादव--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) के भाग (घ) "7.30 हैक्टर" के स्थान पर "4 हैक्टर" रख दिया जाय।

श्रीमन्, बहुत बड़ा और घोर अन्याय हो रहा है। श्रीमन् समाजवाद के नाम पर घोर अन्याय हो रहा है। जहां पर 18 एकड़ की सीमा रख रहे हैं वह भ्रामक है। 18 एकड़ के बजाय 35 एकड़ दे रहे हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मुझे अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (3) के भाग (घ) में "7.30 हैक्टर" के स्थान पर "4 हैक्टर" रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी---

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 5 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में शब्द या अंक "उपधारा (6)" के बाद शब्द तथा अंक "तथा (7)" रख दिये जायं ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 5 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में शब्द तथा अंक "उपधारा (6)" के बाद शब्द तथा अंक "तथा (7)" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (4) को निकाल दिया जाय ।

इसमें श्रीमन्, कम्पनियों को छूट दी जा रही है ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (4) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) में शब्द और अंक "24 जनवरी, 71" के स्थान पर शब्द "24 फरवरी, 70" रख दिया जाय ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

अस्वीकार ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) में शब्द और अंक "24 जनवरी, 71" के स्थान पर शब्द "24 फरवरी, 70" रख दिया जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष---54,

विपक्ष---137 ।)

श्री रामधारी शास्त्री---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) की प्रथम पंक्ति में दिनांक "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर "उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960" रख दिया जाय ।

मान्यवर, यह सीलिंग ऐक्ट पास हुआ था इसलिये मैंने संशोधन रक्खा है। इन लोगों ने अपने संशोधन में दो-दो बीवियों के लिये भी संशोधन रख दिया है।

श्री उदित नारायण शर्मा--
अस्वीकार।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) की प्रथम पंक्ति में दिनांक "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर "उ० प्र० अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह नेगी--
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव रखता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) की द्वितीय पंक्ति में "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर "24 जनवरी, 1970" रख दिया जाय।

मान्यवर, सन् 71 वाली जो तारीख रक्खी है, अगर आप नेशनल एग्रीकल्चरल कमीशन की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने कहा कि यह गलत है।

श्री उदितनारायण शर्मा--
अस्वीकार।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) की द्वितीय पंक्ति म "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर "24 जनवरी, 1970" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथसिंह यादव--
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव रखता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) की दूसरी पंक्ति में शब्द "24 जनवरी 1971" निकाल दिया जावे और उसके स्थान पर "10-2-1959 या 1-4-1967 अथवा 24-2-1970" लिख दिया जाय।

मान्यवर, इस संशोधन को मानने पर तीस हजार एकड़ जमीन मिलेगी। अगर यह संशोधन न मानें तो.....

श्री उदित नारायण शर्मा--
अस्वीकार।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) की दूसरी पंक्ति में शब्द "24 जनवरी, 1971" निकल दिया जावे और उसके स्थान पर "10-2-1959 या 1-4-1967 अथवा 24-2-1970" लिख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम यादव--
मान्यवर, मैं आपकी आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) में परन्तुक के उप खंड (क) तथा (ख) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर नीचे लिखा परन्तुक जोड़ दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि 24 फरवरी, सन् 1970 के पश्चात् ऐसी भूमि के अन्तरण का क्षेत्रफल खातेदार के अधिकतम क्षेत्र में गिना जायगा।"

श्री उदित नारायण शर्मा--

अस्वीकार।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) में परन्तुक के उपखंड (क) तथा (ख) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर नीचे लिखा परन्तुक जोड़ दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि 24 फरवरी सन् 1970 के पश्चात् ऐसी भूमि के अन्तरण का क्षेत्र-फल खातेदार के अधिकतम क्षेत्र में गिना जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) के भाग (ख) को निकाल दिया जाय।

श्री उदितनारायण शर्मा--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) के भाग (ख) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) के बाद का प्रतिबन्ध तथा स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (6) के बाद का प्रतिबन्ध तथा स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) में शब्द और अंक "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर "24 जनवरी, 1970" रखा जाय।

श्री उदित नाराण शर्मा--

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) में शब्द और अंक "24 जनवरी, 1971" के स्थान पर "24 जनवरी, 1970" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्क्षक्ष--

श्री विश्वनाथ कपूर उपस्थित नहीं हैं।

श्री कल्याण सिंह उपस्थित नहीं हैं।

[श्री उपाध्यक्ष]

श्री रूपनाथसिंह यादव---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) की दूसरी पंक्ति में आये हुए अंक और शब्द "24 जनवरी, 1971" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर "10-2-1959" या "1-4-1967" या "24-2-70" लिख दिया जावे।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) की दूसरी पंक्ति में आये हुए अंक और शब्द "24 जनवरी, 1971" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर "10-2-1959" या "1-4-1967" या "24-2-70" लिख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) के "प्रतिबन्ध भाग (ख)" तथा "स्पष्टीकरण" को निकाल दिया जाये।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) के प्रतिबन्ध भाग (ख)" तथा "स्पष्टीरण" को निकाल दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) के प्रतिबन्ध और स्पष्टीकरण निकाल दिये जायं।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) के प्रतिन्ध और स्पष्टीकरण निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) को निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

श्रीमन्, खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) का परन्तुक वाक्य (क) और (ख) निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा---
श्रीमन्, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (7) का परन्तुक वाक्य (क) और (ख) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---
श्रीमन्, खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (क) निकाल दी जाय ।

श्री उदित नारायण शर्मा---
श्रीमन्, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (क) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामधारी शास्त्री---
श्रीमन, खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ख) में 'हो' के बाद "किन्तु किसी भी दशा में एक एकड़ से अधिक न हो" बढ़ा दिया जाय ।

श्री उदित नारायण शर्मा---
श्रीमन्, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ख) में 'हो' के बाद "किन्तु किसी भी दशा में एक एकड़ से अधिक न हो" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रूपनाथसिंह यादव---
श्रीमन, खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ख) तथा (ग) निकाल दी जाय ।

श्री उदित नारायण शर्मा---
श्रीमन, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---
प्रश्न यह है खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ख) तथा (ग) निकाल दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्दसिंह नेगी---
श्रीमन, खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (घ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रयुक्त हो" के बाद "कामा" के स्थान पर "विराम" रख दिया जाय और उसके बाद का अंश निकाल दिया जाय ।

श्री उदितनारायण शर्मा---
श्रीमन, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (घ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रयुक्त हो" के बाद "कामा" के स्थान पर "विराम" रख दिया जाय और उसके बाद का अंश निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

श्रीमन्, खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (घ) की प्रथम पंक्ति में "और वह भूमि" से द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति निकाल कर उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय-

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस समय ऐसी भूमि पर रोपास्थली न रहे उस समय इस भूमि पर अधिनियम के प्रतिबन्ध लागू होंगे ।"

श्री उदितनारायण शर्मा---

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (घ) की प्रथम पंक्ति में "और वह भूमि" से द्वितीय तथा तृतीय पंक्ति निकाल कर उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय :---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस समय ऐसी भूमि पर रोपास्थली न रहे उस समय इस भूमि पर अधिनियम के प्रतिबन्ध लागू होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामधारी शास्त्री---

श्रीमन्, खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (घ) निकाल दी जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (घ) निकाल दी जाय !

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, खंड 3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 6 के खंड (ङ) को निरस्त करके उसके स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय---

"(ङ) वह भूमि जो चौबीस जनवरी, 1971 के पहले से किसी स्टड फार्म के प्रयोजनों के लिए नियत सीमा तक धृत हो ।"

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, जरा इस खण्ड को देख लें। इसमें यह लिखा है---वह भूमि जो ऐसी भेषजकीय तथा जड़ी-बूटी तथा अन्य प्लान्टेशनों के लिये जिसे राज्य सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रयुक्त हो

आप इसको हटाकर घोड़ा फार्म खोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 6 के खंड (ङ) को निरस्त करके, उसके स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय--

"(ङ) वह भूमि जो 24 जनवरी, 1971 के पहले से किसी स्टड फार्म के प्रयोजनों के लिए नियत सीमा तक धृत हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह--

खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ङ) में "तथा अन्य प्लान्टेशनों" निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ङ) में "तथा अन्य प्लान्टेशनों" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ङ) निकाल दी जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ङ) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (च) में पहली पंक्ति में 'मई, 1959' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर '1-7-52 अथवा 10-2-1959' रख दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (च) में पहली पंक्ति में "मई, 1959" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर '1-7-52 अथवा 10-2-1959' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पांडेय--

खण्ड 3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली, अधिनियम की धारा 6 के खंड (च) में शब्द "सार्वजनिक धार्मिक" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्ति" रख दिये जायं।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली, अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (च) में शब्द "सार्वजनिक धार्मिक" के स्थान पर शब्द "सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्ति" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (च) निकाल दी जाय ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (च) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (च) (छ) (ज) को निकाल दिया जाय ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (च) (छ) (ज) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

खण्ड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (छ) को निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (छ) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रूपनाथसिंह यादव---

खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ज) को निकाल दिया जाय और (ज) के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य लिख दिया जाय :

"वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् बिड़ला के किपरा फार्म तथा अन्य बड़े उद्योगपतियों, अथवा सरकार के सेवारत या सेवा निवृत्त अधिकारी के किसी परिवार सदस्य को तराई के जिलों में खेती के लिये अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये पट्टे पर दी गयी है। वे सभी प्रकार के अस्थायी बंदोबस्त निरस्त होंगे और वह जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूर तथा राज्य को नियत सीमा तक ऐसी विशिष्ट फसल की खेती या अनुसंधान के लिये दी जायेगी ।"

श्री उदित नारायण शर्मा--
मान्यवर, मुझको यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि श्री रूपनाथ सिंह जी का संशोधन संख्या 37-कक स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--
पक्ष में 59,
विपक्ष में 146।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--
खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 में नया उप खंड निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय--
"वह भूमि जिसका क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न होगा जो खाद के गड्ढों या खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायें उपयोग में लायी जाती हो या लाये जाने के योग्य हो।"

श्री उदित नारायण शर्मा--
मान्यवर, मुझको यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 में नया उपखण्ड निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय--

"वह भूमि जिसका क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक न होगा जो खाद के गड्ढों या खलिहान या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायें उपयोग में लायी जाती हो या लाये जाने के योग्य हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्त लाल शर्मा--
खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ज) के बाद नया उप खंड निम्न प्रकार से रख दिया जाय--

"वह भूमि जो 24 जनवरी, 1971 के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था अथवा धर्मादा या शिक्षा संस्थान (ट्रस्ट या समिति) द्वारा धृत रही हो।"

श्री उदित नारायण शर्मा--
मान्यवर, मुझको यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 6 की उपधारा (ज) के बाद नया उपखंड निम्न प्रकार से रख दिया जाय:

"वह भूमि जो 24 जनवरी, 1971 के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था अथवा धर्मादा या शिक्षा संस्थान (ट्रस्ट या समिति) द्वारा धृत रही हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिनाथ तिवारी--
खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 8 को निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझको यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 3 द्वारा प्रस्तावित धारा 8 को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4 व 5

अधिकतम सीमा तथा विमुक्तियों के प्रयोजनार्थ क्षेत्र का अवधारण

4--(1) धारा 5 के अधीन अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के अधीन किसी विमुक्ति के प्रयोजनार्थ--

(1) खंड (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, असिंचित भूमि की डेढ़ हैक्टर भूमि या बाग-भूमि की दो हैक्टर भूमि अथवा ऊसर भूमि की ढाई हैक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हैक्टर के रूप में गिना जायगा ।

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात्--

(क) बुन्देलखंड;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग ।

(ग) यमुना की गहरी धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा के यमुना के इस पार के भाग ;

(घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ;

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के डग्गा उपरौंध और डग्गा चौरासी (बलाये पहाड़);

(च) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है;

(छ) मिर्जापुर जिले में परगना सकटेशगढ़ और तहसील चुनार के परगना अरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की अनुसूची 6 की सूची 'क' और 'ख' में उल्लिखित है; और

(ज) वाराणसी जिले में तहसील चकिया के भूतपूर्व नौगढ़ ताल्लुका का क्षेत्र किसी असिंचित भूमि की ढाई हैक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हैक्टर के रूप में गिना जायगा ।

अधिकतम सीमा का आरोपण

5--(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, कोई खातेदार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, अपने पर प्रयोज्य कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम;

(ख) विश्वविद्यालय;

(ग) स्नातकोत्तर कालेज;

(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक;

(ङ०) सहकारी समिति जिसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार ने सीधे अभिदान किया हो अथवा जिसको अंश पूजीं के निर्माण या वृद्धि में उसने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हो जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अध्याय 6 में व्यवस्थित है अथवा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई शीर्ष समिति;

(च) उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन संघटित भू-दान यज्ञ समिति ।

(3) उपधारा (4), (5) और (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

(क) परिवार वाले खातेदार की दिशा में, सिंचित भूमि के 7.30 हैक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्रों के लिये जो स्वयं खातेदार न हों, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हैक्टर, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हैक्टर से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाली डिग्री कालेज हों—सिंचित भूमि के 20 हैक्टर;

(ग) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला इन्टरमीडियेट कालेज हो,—सिंचित भूमि के 12 हैक्टर;

(घ) किसी अन्य खातेदार की दशा में—सिंचित भूमि का 7.30 हैक्टर ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय भूमि के किसी अंतरण या विभाजन की उपेक्षा निम्नलिखित के लिये भी की जायेगी—

(त) इस बात के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि किसी खातेदार का कोई वयस्क पुत्र खंड (क) के अर्थान्तर्गत स्वयं खातेदार है या नहीं;

(थ) धारा 9 के अधीन नोटिस तामील करने के प्रयोजनार्थ ।

(4) यदि कोई जोत किसी फर्म या सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय (चाहे वह निगमित हों या नहीं किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी नहीं है), द्वारा धृत हो तो उस जोत की इस अधिनियम के

प्रयोजनार्थ उसके सदस्यों द्वारा (चाहे वे भागीदार, अंशधारी या किसी अन्य नाम से कहे जाते हों) उक्त फर्म सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य समुदाय में उनके अपने-अपने अंश के अनुपात में धृत समझा जायगा।

(5) किसी असार्वजनिक न्यास द्वारा धृत किसी जोत के सम्बन्ध में—

(क) यदि ऐसे न्यास की आय में उसके लाभार्थियों का अंश ज्ञात अथवा अवधार्य हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस जोत में लाभार्थियों का अंश उसी अनुपात में समझा जायगा, जिस अनुपात में ऐसे न्यास की आय में उनका अलग-अलग अंश हो;

(ख) किसी अन्य दशा में यह उपधारा (3) के खंड (घ) द्वारा नियंत्रित होगा।

(6) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में, दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अंतरण की जो ऐसा अंतरण न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गई होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अंतरण;

(ख) कोई अंतरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे अप्रतिसंहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अंतरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या आस्थगित लाभ के लिये न हो।

स्पष्टीकरण—यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रतिबन्धात्मक खंड के खंड (ख) के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा।

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी विभाजन की जो ऐसा विभाजन न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी—

(क) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन विभाजन;

(ख) उक्त दिनांक को विचाराधीन किसी वाद या किन्हीं कार्यवाहियों में किया गया जोत का विभाजन:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि खातेदार और विभाजन के किसी दूसरे पक्ष के बीच दुरभिसंधि के कारण ऐसे दूसरे पक्ष को ऐसा अंश दिया गया है जिसके लिये वह हकदार नहीं था, अथवा जितने के लिये वह हकदार था उससे अधिक अंश दिया गया है, तो वह ऐसे विभाजन की उपेक्षा कर सकता है ।

स्पष्टीकरण---यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

श्री शिवराज सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 (2) की अंतिम पंक्ति में उपधारा (1) में "अभिदिष्ट" के स्थान पर "नियत" रख दिया जाय ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

इसे आप वापस ले लें ।

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, मैं इसे वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

खंड 4 (2) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनिमय के अधीन विवरण-पत्र देने के बाध्यता के अधीन हो, उस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर विवरण देने से इन्कार करेगा या उसमें जानबूझकर चूक करेगा या जानबूझकर अपूर्ण या अशुद्ध विवरण देगा,तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या 2,000 रु० जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनिमय के अधीन विवरण देने की बाध्यता के अधीन हो, ऐसा विवरण-पत्र देगा जिसके बारे में वह जानता हो, उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की या 5,000 रु० जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा ।"

मान्यवर, ऐसा है कि सीमा घटा रहे हैं और न बढ़ा रहे हैं । इन्कम टैक्स के बारे में सजा हो सकती है या छूट दे दी । कोई सूचना गलत दे दें तो ऐसा प्रावीजन होना चाहिये ।

यह तो माननीय मंत्री जी की तरफ से आना चाहिये था । अगर कोई व्यक्ति सही सूचना नहीं देगा तो उस पर जुर्माना हो और दो वर्ष की सजा हो ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 4 (2) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक वाक्य जोड़ दिया जाय:

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन विवरण-पत्र देने के बाध्यता के अधीन हो, उस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर विवरण देने से इंकार करेगा या उसमें जानबूझकर चूक करेगा या जानबूझकर अपूर्ण या अशुद्ध विवरण देगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष की हो सकेगी, या 2,000 रुपया जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन विवरण देने की बाध्यता के अधीन हो ऐसा विवरण-पत्र देगा जिसके बारे में वह यह जानता हो उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की या 5,000 रु० जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 व 5 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 6, 7, 8 व 9

अधिकतम सीमा के आरोपण से कतिपय भूमि की विमुक्ति

6—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का और उसकी अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, विचार नहीं किया जायगा, अर्थात्—

(क) वह भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये (अर्थात् माल के निर्माण, परिरक्षण, भंडारकरण या प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ) प्रयुक्त हो और जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 143 के अधीन घोषणा विद्यमान हो;

(ख) वह भूमि जो आवास-गृह द्वारा अध्यासित हो;

(ग) वह भूमि जो श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है;

(घ) वह भूमि जो चाय, काफी या रबर प्लान्टेशनों के लिये प्रयुक्त हो, और वह भूमि जो नियत सीमा तक उससे संलग्न प्रयोजनों के लिये तथा ऐसे प्लान्टेशनों के विकास के लिये अपेक्षित हो;

(ङ) वह भूमि जो ऐसी भेषजकीय तथा जड़ी-बूटी तथा अन्य प्लान्टेशनों के लिये जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रयुक्त हो;

(च) वह भूमि जो पहली मई, 1959 के पहले से किसी ऐसे सार्वजनिक धार्मिक वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था द्वारा या उसके अधीन धृत हो, जिसकी आय का पूर्ण उपयोग धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए किया जाता हो और वह एक ऐसा वक्फ, न्यास या विन्यास न हो जिसका पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभार्थी उसका संस्थापक या उसके परिवार के सदस्य या उसके वंशज हों;

(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक (उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) गोशाला द्वारा धृत हो;

(ज) वह भूमि जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सरकारी पट्टेदार को भूमि-सुधार तथा खेती के लिए अथवा ऐसी विशिष्ट फसल का खेती के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं पट्टे पर दी गई हों।

भूमि के अंतरण के लिये कतिपय संविदाओं के आधार पर वाद सम्बन्धी रोक

7—किसी भूमि के अन्तरण के लिए यदि ऐसा अन्तरण धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय हो, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किये जाने के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

अधिकतम सीमा क्षेत्र में धृत भूमि में खातेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार

8—यदि खातेदार की पत्नी या अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री द्वारा धृत भूमि को धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन खातेदार के परिवार द्वारा धृत भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है तो उनके पास बची भूमि को, उनके द्वारा संयुक्त रूप में, इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने के पूर्व उनके द्वारा क्रमशः धृत भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में, धृत भूमि समझा जायगा।"

धारा 9 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 9 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) करदी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं; अर्थात्—

"(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, नियत प्राधिकारी, तत्सदृश सामान्य नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे खातेदार को जिसके पास उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने पर उसके संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, ऐसी नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, उपधारा (1) में अभिदिष्ट विवरण-पत्र प्रस्तुत करने को कहेगा।

(3) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित किये जाने के योग्य हो, तो खातेदार उपधारा (1) में अभिदिष्ट अपने विवरण-पत्र के साथ ऐसे प्लान्ट या प्लाटों को रखने के सम्बन्ध में जिन्हें वे अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे, अपनी पत्नी की सम्मति भी प्रस्तुत करेगा और यदि उसकी पत्नी की सम्मति इस प्रकार प्राप्त न हो, तो नियत प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन उस (पत्नी) पर पृथक् रूप से नोटिस तामील करायेगा।"

धारा 10 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक "धारा 6 या 7 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 6 के अधीन" रख दिये जायं।

नयी धारा 12—क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

कतिपय मामलों के सिवाय खातेदार का विकल्प माना जाना

"12—क—धारा 11 या धारा 12 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने में नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, खातेदार द्वारा प्लाट या प्लाटों के सम्बन्ध में जिन्हें वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य, यदि कोई हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने पर या उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें, इंगित विकल्प को स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके द्वारा धारा 9 के अधीन अपने विवरण-पत्र में या किन्हीं अनुवर्ती कार्यवाहियों में इंगित किया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) नियत प्राधिकारी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र में सम्मिलित की जाने वाली भूमि की संपार्श्विकता को ध्यान में रखेगा;

(ख) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो, जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित की गई हो, और उसकी पत्नी ने उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखे जाने वाले प्लाट या प्लाटों के संबंध में खातेदार द्वारा इंगित विकल्प के बारे में सम्मति न दी हो, तो नियत प्राधिकारी, यथासम्भव ऐसी रीति से अतिरिक्त भूमि घोषित करेगा कि खातेदार की पत्नी द्वारा धृत भूमि में से लिय जाने वाले क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्र में वही अनुपात हो जो उसके (पत्नी) द्वारा मूलतः धृत क्षेत्र का परिवार द्वारा धृत कुल भूमि में हों;

(ग) यदि किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार या किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक या अन्य सहकारी समिति या निगम या किसी सरकारी कम्पनी के पास गिरवी रखी गई भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव इस प्रकार गिरवी रखी गई भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी;

(घ) यदि किसी व्यक्ति के पास धारा 5 की उपधारा (6) या उपधारा (7) में अभिदिष्ट किसी अन्तरण या विभाजन विषयक किसी भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथा सम्भव, ऐसे अन्तरण या विभाजन विषयक भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायेगी, और यदि अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो ऐसे अन्तरण या विभाजन का विषय हो तो ऐसा अन्तरण या विभाजन, जहां तक उसका सम्बन्ध अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित भूमि से है, शून्य समझा जायगा और सदैव स शून्य होगा; और

(1) अंतरिती अपने द्वारा अंतरक को अग्रिम दिये गये प्रतिफल की आनुपातिक धनराशि को, यदि कोई हो, लौटाने के लिए दावा कर सकता है, और यह धनराशि धारा 17 के अधीन अन्तरक को देय प्रतिकर पर और अधिकतम क्षेत्र के भीतर अंतरक द्वारा रखी गई किसी भूमि पर भी भारित होगी और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि को उस प्रभार की तुष्टि के लिये बेचा जा सकेगा;

(2) विभाजन से सम्बन्धित (ऐसे खातेदार जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित की गयी हो, से भिन्न) कोई पक्ष जिसकी भूमि उक्त खातेदार की अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित की गयी हो विभाजन को फिर से कराने का हकदार होगा।"

7—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ादी जाय, अर्थात्— नयी धारा 13—क का बढ़ाया जाना

कतिपय मामलों में अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण

"13—क (1) नियत प्राधिकारी, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट भूल की परिशुद्धि कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी परिशुद्धि जिससे अतिरिक्त भूमि में वृद्धि हो, तब तक न की जायगी जब तक कि नियत प्राधिकारी ने खातेदार को ऐसा करने के अपने अभिप्राय की नोटिस न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 10, 11, 12, 12–क, 13, 14 और 15 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे और धारा 10 को लागू करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन नोटिस धारा 9 के अधीन नोटिस समझी जायगी।"

धारा 14 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 14 की—

(1) उपधारा (2) के अन्त में उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय; अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि प्रभार यदि कोई हों अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायगा"

(2) उपधारा (3) में शब्द "या खातेदार से प्राप्त भूमि पर काबिज पट्टेदार" के पश्चात् शब्द" या उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितबद्ध व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं;

(3) उपधारा (7) में शब्द "या खातेदार के पट्टेदार" के पश्चात् शब्द "या उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितबद्ध व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं।

धारा 16 का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 16 निकाल दी जाय।

श्री शिव महेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 6 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 12–क की दूसरी पंक्ति में से शब्द 'यथा सम्भव' निकाल दिया जाय।

श्री अजित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 6 द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 12–क की दूसरी पंक्ति में से शब्द 'यथा संम्भव' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 6 में प्रस्तावित धारा 12 क के प्रतिबन्धात्मक खंड में निम्नलिखित पैरा भी बढ़ा दिये जायं।

(क) किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति नियत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर देय ऋण को अदा करने के लिये तैयार हो अथवा अपनी अन्य भूमि को वह अपने पास रखना चाहेगा, ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में, गिरवी रखने के लिये तैयार होती तो उसे अपने द्वारा पहले गिरवी रखी गयी भूमि को रखने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

(ख) जोत सीमा आरोपण के पूर्व किसी व्यक्ति को, यदि वह ऐसा चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी सहमति से, अपनी भूमि का विनिमय कर सकेगा, यदि विनिमय में दी जाने वाली और ली जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल बराबर हो, तथा अतिरिक्त भूमि का सीमांकन केवल ऐसे विनिमय के पश्चात् ही किया जायेगा।

श्री उदित नारायण शर्मा--
मान्यवर, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि खंड 6 में प्रस्तावित धारा 12-क के प्रतिबन्धात्मक खंड में निम्नलिखित पैरा भी बढ़ा दिये जायं।

"(क) किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति नियत प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर देय ऋण को अदा करने के लिये तैयार हो अथवा अपनी अन्य भूमि को वह अपने पास रखना चाहेगा। ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में, गिरवी रखने के लिये तैयार हो तो उसे अपने द्वारा पहले गिरवी रखी गयी भूमि को रखने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

(ख) जोत सीमा आरोपण के पूर्व किसी व्यक्ति को, यदि वह ऐसा चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी सहमति से, अपनी भूमि का विनिमय कर सकेगा, यदि विनिमय में दी जाने वाली और ली जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल बराबर हो, तथा अतिरिक्त भूमि का सीमांकन केवल ऐसे विनिमय के पश्चात् ही किया जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
कोई नहीं बोला, एक आदमी नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष--
उसका मतलब यही होता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
न्यूट्रल का क्या मतलब होता है?

श्री उदित नारायण शर्मा--
जी नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--
वह तो बड़ा जरूरी है। वह तो आपके फायदे का है। काश्तकार बैंक से ऋण नहीं ले सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--
अब समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 6, 7, 8 व 9 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 10 व 11

ी धारा 7-क का ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्—

कतिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना

"17-क (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपील पर दिये गये किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अन्य आदेश के परिणाम स्वरूप धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को अन्तरित या उसमें निहित किसी भूमि का कब्जा किसी खातेदार को या उसके हित-उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् लौटाना अपेक्षित हो तो प्रतिकर अधिकारी यह आदेश देगा कि वह दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण, धनराशि या जैसी भी दशा हो, अनुपातिक धनराशि वापस कर दें।

(2) ऐसी कोई धनराशि जो अदत्त रह जाय, राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप मे वसूल की जा सकेगी।"

ा 24 का ाला जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 24 निकाल दी जाय।

श्री राज मंगल पांडेय—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 10 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 17-क को, 17-ख कर दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा 17-क रख दी जाय :—

कतिपय ों, न्यासों, न्यासों, थाओं की ा में तिकर का धिकी के य में दिया ाना।

"17-क—धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सार्वजनिक, धार्मिक अथवा पूर्त वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था को जिसकी आय का आंशिक उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिए किया जाता हो, प्रतिकर के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था होगी, अर्थात् :—

(1) ऐसे वक्फ, न्यास, विन्यास अथवा संस्था द्वारा धृत अतिरिक्त भूमि को उस अनुपात में दो भागों में विभाजित समझा जायगा जिस अनुपात में उसकी आय का अंश धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो अथवा अन्यथा :

(2) जहां तक उक्त अतिरिक्त भूमि के उस भाग का संबंध है जिसकी आय का उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के स्थान पर, नियत रीति से अवधारित की जाने वाली ऐसी वार्षिक धनराशि दी जायगी जो 1 जुलाई, 19 2 के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वास्तविक शुद्ध लाभ के वार्षिक औसत के बराबर होगी, और धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबन्ध आवश्यक संशोधनों के साथ उक्त वार्षिक धनराशि के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के लिये लागू होते;

(3) शेष अतिरिक्त भूमि के संबंध में प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा।

स्पष्टीकरण—यदि कोई वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था यह दावा करे कि इस धारा के उपबन्ध उस पर लागू हैं तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा।"

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 द्वारा बढाई जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 17-क को, 17-ख कर दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा 17-क रख दी जाय;

"17-क--धारा 17 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सार्वजनिक, धार्मिक अथवा पूर्त वक्फ, न्यास विन्यास या संस्था को जिसकी आय का आंशिक उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, प्रतिकर के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था होगी, अर्थात्:--

(1) ऐसे वक्फ, न्यास, विन्यास अथवा संस्था द्वारा धृत अतिरिक्त भूमि को उस अनुपात में दो भागों में विभाजित समझा जायगा जिस अनुपात में उसकी आय का अंश धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो अथवा अन्यथा;

(2) जहां तक उक्त अतिरिक्त भूमि के उस भाग का संबंध है जिसकी आय का उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के स्थान पर, नियत रीति से अवधारित की जाने वाली ऐसी वार्षिक धनराशि दी जायगी जो 1 जुलाई, 1972 के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वास्तविक शुद्ध लाभ के वार्षिक औसत के बराबर होगी और धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबन्ध में आवश्यक संशोधनों के साथ उक्त वार्षिक धनराशि के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 17 में अभिदिष्ट प्रतिकर के लिये लागू होते;

(3) शेष अतिरिक्त भूमि के संबंध में प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा।

स्पष्टीकरण--यदि कोई वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था यह दावा करे कि इस धारा के उपबन्ध उस पर लागू हैं तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम बर्मा--

मान्यवर आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 10 को खण्ड (10-क) कर दिया जाय और उसके पहले खण्ड 10 को निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय।

मूल अधिनियम की धारा (17) को निम्न प्रकार कर दिया जाय:

इस अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का प्रतिकर उसी दर पर दिया जायेगा। जितना कि शहरी सम्पत्ति अधिकतम सीमारोपण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री बलवीर सिंह--

जरा मुल्हाजा करें गांव वालों की मदद करने के लिये शहर वालों को ज्यादा मुआवजा दिलवा रहे है। यह समाजवाद का नक्शा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

हम लोग बगैर मुआवजे वाले है। यह भी नोट कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा ठीक है।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 को खण्ड (10-क) कर दिया जाय और उसके पहले खण्ड 10 को निम्नलिलित रूप में जोड़ दिया जाय:

मूल अधिनियम की धारा (17) को निम्न प्रकार कर दिया जाय:—

इस अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का प्रतिकर उसी दर पर दिया जायगा जितना कि शहरी सम्पत्ति अधिकतम सीमारोपण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में 14,
विपक्ष में 1411

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 10 और खण्ड 11 इस विधेयक के अंग बन जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 12 व 13

धारा 27 का संशोधन — 12—मूल अधिनियम की धारा 27 की—

(1) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द 'गांव समाज' आये हों, उनके स्थान पर शब्द "गांव सभा" रख दिये जायं;

(2) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जायं; अर्थात्—

"(2) राज्य सरकार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या तो उपधारा (1) या उपधारा (3) के अनुसार कर सकती है या धारा 25 के अनुसार उसका प्रयोग कर सकती है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है या उसका प्रबन्ध कर सकती है अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, अन्यथा कार्यवाही कर सकती है";

(3) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्—

"(4) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से किसी मण्डल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सका सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायेगी, और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।"

धारा 28 का संशोधन — 13—मूल अधिनियम की धारा 28 में उपधारा (2) निकाल— दी जाय ।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 12 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

12-क—मूल अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 को निकाल दिया जाय और निम्नलिखित धारा 25 रखी जाय :

"25--राज्य सरकार अतिरिक्त भूमि केवल सम्बन्धित गांवों के भूमिहीन श्रमिकों में नियत रीति से खेती हेतु अलाभकारी जोतों के धारकों को इस प्रकार वितरित करने में करेगी कि उनकी जोतें लाभकारी जोत में परिवर्तित हो जांय और इस प्रकार के वितरण में हरिजनों को प्राथमिकता दी जायेगी।"

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि खंड 12 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"12-क--मूल अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 को निकाल दिया जाय और निम्नलिखित धारा 25 रखी जाय :--

"25--राज्य सरकार अतिरिक्त भूमि केवल सम्बन्धित गांवों के भूमिहीन श्रमिकों में नियमत रीति से खेती हेतु अलाभकारी जोतों के धारकों को इस प्रकार वितरित करने में करेगी कि उनकी जोतें लाभकारी जोत में परिवर्तित हो जांय और इस प्रकार के वितरण में हरिजनों को प्राथमिकता दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 12 उपखंड (2) निम्न प्रकार कर दिया जाय :--

अतिरिक्त भूमि सम्बन्धित गांव सभा के निवासी भूमिहीनों में इस प्रकार बांटी जाय जोकि उनके पास अपनी पहले की भूमि को मिलाकर कम से कम सवा तीन एकड़ हो जाय और ऐसी भूमि पाने वाले को ऐसे आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे वह उसमें समुचित खेती कर सकें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 12 उपखंड (2) निम्न प्रकार कर दिया जाय :--

अतिरिक्त भूमि सम्बन्धित गांव सभा के निवासी भूमिहीनों में इस प्रकार बांटी जाय जो कि उनके पास अपनी पहले की भूमि को मिलाकर कम से कम सवा तीन एकड़ हो जाय और ऐसी भूमि पाने वालों को ऐसे आवश्यक साधन उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे वह उसमें समुचित खेती कर सकें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 12 के उपखंड (2) के भाग (2) को निकाल दिया जाय और इसकी जगह पर निम्न रखा जाय :--

इस विधेयक से निकली भूमि का वितरण संबंधित गांव सभा या मंडल में निवास करने वाले भूमिहीन और पिछड़ी जातियों में होगा।

मान्यवर हरिजनों को भूमि अगर मिलनी है तो यह संशोधन मानना आवश्यक है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्वर, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्र न यह है कि खंड 12 के उपखंड (2) के भाग को निकाल दिया जाय और इसकी जगह पर निम्न रखा जाय:--

इस विधेयक से निकली भूमि का वितरण संबंधित गांव सभा या मंडल में निवास करने वाले भूमिहीन हरिजन और पिछड़ी जातियों में होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में 51,

विपक्ष में 139।)

श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड 12 (2) में 'ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे' के स्थान पर 'नियत रीति से' रख दिये जायं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर,, मुझे यह संशोधन स्वीकृत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 (2) में 'ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे के स्थान पर 'नियत रीति से' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अनिसुर्रहमान शेरवानी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड 12 का वर्तमान उपखण्ड (3) निरस्त कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायं :--

"(3) उपधारा (3) में शब्द "सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट मंडल में रहने की अर्हता लागू न होगी" निकाल दिये जायं ।

"(4) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात :--

(4) आयुक्त ऐसे बन्दोबस्त की स्वतः जांच कर सकता है तथा किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र, पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि बन्दोबस्त अनियमित है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त हुआ है, हेतुक दर्शित करने की नोटिस देने के पश्चात्--

(i) बन्दोबस्त और पट्टा यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है और तत्पश्चात्, किसी विधि या उपकरण में किसी बात के होते हुय भी उस व्यक्ति का, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त किया गया हो या पट्टा निष्पादित किया गया हो अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, ऐसी भूमि में, अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायगा तथा ऐसी भूमि राज्य सरकार को लौट जायगी, और

(ii) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय और उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन पारित आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा ।

(6) निम्नलिखित अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन स्वतः कार्यवाही करते हुये आयुक्त नोटिस जारी कर सकता है और उक्त उपधारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

(क) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व किये गये बन्दोबस्त या निष्पादित पट्टे की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, और

(ख) किसी अन्य दशा में उस आदेश के दिनांक से दो वर्ष के भीतर जब कलेक्टर ऐसे बन्दोबस्त के लिये निदेश दे।

(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से किसी मंडल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सका, सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायगी और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 12 का वर्तमान उपखंड (3) निरस्त कर दिया जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिये जायं :

"(3) उपधारा (3) में शब्द "सिवाय इसके कि उसमें निर्दिष्ट मंडल में रहने की अर्हता लागू न होगी" निकाल दिये जायं।

(4) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

(4) आयुक्त ऐसे बन्दोबस्त की स्वतः जांच कर सकता है तथा किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जांच करता और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि बन्दोबस्त अनियमित है, तो ऐसे व्यक्ति को जिसके पक्ष में बन्दोबस्त हुआ है, हेतुक दर्शित करने की नोटिस देने के पश्चात्—

(i) बन्दोबस्त और पट्टा यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है और तत्पश्चात् किसी विधि या उपकरण में किसी बात के होते हुये भी उस व्यक्ति का, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त किया गया हो या पट्टा निष्पादित किया गया हो अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का, ऐसी भूमि में, अधिकार आगम और स्वत्व समाप्त हो जायगा तथा ऐसी भूमि राज्य सरकार को लौट जायगी; और

(ii) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय और उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो।

(5) उपधारा (4) के अधीन पारित आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

(6) निम्नलिखित अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन स्वतः कार्यवाही करते हुये आयुक्त नोटिस जारी कर सकता है और उक्त उपधारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है।

[श्री उपाध्यक्ष]

(क) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व किये गये बन्दोबस्त या निष्पादित पट्टे की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष के भीतर; और

(ख) किसी अन्य दशा में उस आदेश के दिनांक से दो वर्ष के भीतर जब कलेक्टर ऐसे बन्दोबस्त के लिए निदेश दें ।

(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिन क से किसी मंडल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सका, सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायगी, और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड 12 में मूल अधिनियम की धारा 27 में प्रस्तावित उपधारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय:

"(5) उपधारा (1), (2) और (3) में किये गये उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार तहसील तथा जिला स्तर पर जनप्रिय कमेटियों का निर्माण करेगी जिसमें जोत हदबन्दी में आस्था रखने वाली राजनैतिक पार्टियों तथा किसानों व खेत मजदूरों के संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन समितियों में कम से कम पचास प्रतिशत भूमिहीन खेत मजदूरों के प्रतिनिधि अवश्य होंगे ।

यह समितियां साधिकार होंगी और इनके बहुमत की राय संबंधित अधिकारियों को मान्य होगी ।"

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 12 मूल अधिनियम की धारा 27 में प्रस्तावित उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय :—

"(5) उपधारा (1), (2) और (3) में किये गये उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार तहसील तथा जिला स्तर पर जनप्रिय कमेटियों का निर्माण करेगी जिसमें जोत हदबन्दी में आस्था रखने वाली राजनैतिक पार्टियों तथा किसानों व खेत मजदूरों के संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जायगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इन समितियों में कम से कम पचास प्रतिशत भूमिहीन खेत मजदूरों के प्रतिनिधि अवश्य होंगे ।

यह समितियां साधिकार होंगी और इनके बहुमत की राय सम्बन्धित अधिकारियों को मान्य होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 12 एवं 13 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 14 से 18

14—मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय ; अर्थात—

धारा 29 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

"29—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात्—

अग्रेतर भूमि का अतिरिक्त भूमि के रूप में अनुवर्ती घोषणा

(क) किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप या प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वरूप चिरभोग द्वारा कोई भूमि खातेदार द्वारा धृत हो जाय, और ऐसी भूमि उसके द्वारा पहले से ही धृत भूमि को मिलाकर, उसके लिए प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय ; या

(ख) कोई असिंचित भूमि राजकीय सिंचन कर्म द्वारा सिंचाई के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि हो जाय, या कोई बाग-भूमि बाग के रूप में न रह जाय, या इस अधिनियम के आधीन विमुक्त कोई भूमि विमुक्त श्रेणियों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत न रह जाय, तो अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण किया जायगा और तद्नुसार इस प्रकार पुनः अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहारित की जाने योग्य होगी।"

15—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, 'शब्द अक्षर' अंक तथा कोष्ठक "धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन या" निकाल दिये जायं। धारा 30 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जाय। धारा 34 का निकाला जाना

17—मूल अधिनियम की धारा 42 में,— धारा 42 का संशोधन

(1) पार्श्व शीर्षक में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963" रख दिये जायं ;

(2) शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5 तथा 12" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5, तथा 12" रख दिये जायं ;

18—मूल अधिनियम की धारा 43 में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन आपत्ति सुनने के अधिकार को छोड़कर" निकाल दिये जायं। धारा 43 का संशोधन

श्री हिम्मत सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 14 के उपखंड (ख) की पहली पंक्ति में से "राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा" निकाल दिया जाय।

श्री उमिल नारायण शर्मा—

अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 14 के उपखंड (ख) की पहली पंक्ति में से "राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 14 के द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 29(ख) की पहली पंक्ति में शब्द "राजकीय" के बाद शब्द "निजी" और कोष्ठ में "कूप" जोड़ दिया जाय और उसके अन्त में (ग) निम्न तौर पर रख दिया जाय:---

"(ग) ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन होते हुए कोई भूमि धारक हो और विमुक्ति की श्रेणियों में वह भूमि उपखंड (क) के अधीन विमुक्ति के श्रेणी में न रह जाय तो वह स्वयं जिला मजिस्ट्रेट को एक माह के भीतर लिखित सूचना नियत रीति से देगा और यदि वह ऐसा करने से चूक करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या एक हजार रूपया जुर्माना से दंडनीय होगा।"

श्री उदित नारायण शर्मा---

जी नहीं, अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 14 के द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 29 (ख) की पहली पंक्ति में शब्द "राजकीय" के बाद शब्द "निजी" और कोष्ठ में "कूप" जोड़ दिया जाय और उसके अन्त में (ग) निम्न तौर पर रख दिया जाय:---

"(ग) ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन होते हुए कोई भूमि धारक हो और विमुक्ति की श्रेणियों में वह भूमि उपखंड (क) के अधीन विमुक्ति के श्रेणी में न रह जाय तो वह स्वयं जिला मजिस्ट्रेट को एक माह के भीतर लिखित सूचना नियत रीति से देगा और यदि वह ऐसा करने से चूक करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या एक हजार रुपया जुर्माना से दंडनीय होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 14 के अन्तर्गत संशोधित मूल अधिनियम की धारा (29) का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा---

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 14 के अन्तर्गत संशोधित मूल अधिनियम की धारा (29) का उपखंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 14, 15, 16, 17 तथा 18 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 19, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

संक्रमणकालीन उपबंध

19—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष मूल अधिनियम की धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 या धारा 30 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिए विचाराधीन समस्त कार्यवाहियों का उपशमन हो जायगा और नियत प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2), जैसी कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के अधीन नोटिस जारी करके उक्त अधिनियम के अधीन अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के लिए फिर से कार्यवाहियां शुरू करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में अधिकतम क्षेत्र का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायगा —

(क) प्रथमत, अधिकतम क्षेत्र का अवधारण मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, के अनुसार किया जायगा ;

(ख) तत्पश्चात् अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में, जिससे सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तिम रूप से अवधारित कर दी गयी हो, मूल अधिनियम की धारा 14 या अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन कोई कार्यवाही ऐसी भूमि के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) और, 10—क, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के उपबन्धों की प्रयोज्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है ।"

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत—सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत—सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का ।ग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत—सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 19 का (क) व (ख) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय:—

"अधिकतम क्षेत्र का अवधारण उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण संशोधन, विधेयक, 1972 के उपबन्धों के अधीन होते हुए किया जायगा । अथवा

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

(ख) अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण मूल अधिनियम के उपबन्धों में जहां अच्छे प्रकार की भूमि 40 एकड़ है उस स्थान पर 15 एकड़ पढ़ा हुआ समझा जायगा ।"

मान्यवर, पुराना जो कानून है उसमें चल रहे हैं और कह रहे हैं 40 एकड़ तक मुताबिक फैसले होंगे । अभी जो 18 एकड़ है उसमें जो मुकदमें दाखिल होंगे उनको 40 एकड़ देंगे । यह नियम विरुद्ध है और गैर-समाजवादी है, इसलिये विरोध करता हूं । मैं विभाजन की मांग करता हूं ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

अस्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 19 का (क) व (ख) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्न रख दिया जाय:--

"अधिकतम क्षेत्र का अवधारण उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण संशोधन विधेयक, 1972 के उपबन्धों के अधीन होते हुए किया जायगा ।

अथवा

(ख) अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण मूल अधिनियम के उपबन्धों में जहां अच्छे प्रकार की भूमि 40 एकड़ है उस स्थान पर 15 एकड़ पढ़ा हुआ समझा जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में 60,

विपक्ष में, 143 ।)

श्री उपाध्यक्ष--

जो आखिरी संशोधन नेगी जी का नया खंड के बारे में है इसको मैं रूल आउट करता हूं क्योंकि इसका कोई स्थान नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खंड 19, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पिछले लगभग 14-15 वर्षों से मैंने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा जहां इतने महत्वपूर्ण बिल का इस प्रकार मखौल किया गया हो और सारी प्रक्रिया और नियमावली को धूल में मिला दिया गया हो । इससे तो अच्छा था कि शुरू में ही गिलोटिन कर देते । इन्होंने किसी एक भी संशोधन पर भली भांति चर्चा नहीं होने दी । प्रक्रिया नियमावली में चर्चा का प्राविधान इसलिये है कि विरोध पक्ष भी अपने विचार व्यक्त कर सके । हो सकता है उसे समझ कर उधर वाले व्यक्ति भी हमारे संशोधन से सहमत हो जायं और सारे प्रदेश के लोगों को विरोध पक्ष की नीति क्या थी और इनकी क्या थी यह मालूम हो सके । लेकिन इसका अवसर हमको नहीं मिल सका ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आप जवाब देंगे कि पिछले कई दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी। सही बात है, यह महत्वपूर्ण विषय था, जनरल डिस्कशन कई दिन तक हुआ। लेकिन आप स्वयं विचार करें कि आज तक कोई इतने महत्वपूर्ण बिल को इतनी जल्दी घुड़दौड़ करके पास किया है? मैंने कभी नहीं देखा। आपने तो यह भी नहीं समय पाया कि एक-एक संशोधन आप पढ़ दें, विरोध पक्ष के लिये उन पर तर्क देना तो दूर रहा। और हुआ क्या? ये भी इसे ढापना चाहते थे, केवल दो दिन इसके लिये रखे। हम तो बैठने के लिये तैयार थे। आप और समय रखते, इस पर पूरी चर्चा होती। लेकिन इनको बड़ी चिन्ता थी। जो संशोधन हमारे उधर के माननीय सदस्यों ने रखे उनसे केवल बड़े बड़े आदमियों और मन्त्रियों को बचाने की व्यवस्था की गयी है। कोई स्टेड का फार्म है तो उसमें भी कोई मन्त्री इंटरेस्टेड है, बुन्देलखंड है तो उसमें भी कोई मन्त्री बसता है, मिर्जापुर है तो उसमें भी किसी मन्त्री का इंटरेस्ट है। इस पर हमें पूरा अवसर अपने विचार व्यक्त करने का नहीं दिया गया।

लैंड पालिसी के साथ हमेशा आप खिलवाड़ करते रहे। सारे समाज के बीच में एक अनिश्चितता व्याप्त रही। हरी क्रांति बड़े-बड़े फार्म वालों के पास पहुंची होगी, छोटे किसानों के पास नहीं। जितनी शंकायें इधर से उठती हैं आप उनका निवारण नहीं कर सके। एक शख्स कहता है कि मैं अपना संशोधन पेश करता हूं। क्या संशोधन है आपका आपको कहने का अवसर नहीं मिला। उधर वह कहते हैं कि मैं इसको मंजूर नहीं करता। इतने महत्व-पूर्ण बिल के साथ इतना अत्याचार किया गया है और सारी बातों को छिपाने के लिये सरकारी पक्ष ने ऐसी व्यवस्था की है कि ऐसे समय यह बिल पास हो और जो बाकी आइटम्स पड़े हुए हैं, हम जानते हैं न सरकारी पक्ष मानेगा न अध्यक्ष महोदय मानेंगे। 10 बजे तक बैठिये, 12 बजे तक बैठिये लेकिन इस बिल के साथ बड़ा माखौल किया गया है।" ऐसे क्रूर बहुमत का उदाहरण मुझे पिछले 15 वर्षों में देखने को नहीं मिला।

*श्री कल्पनाथ सिंह---

आपके द्वारा मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से यह बिल पास किया जा रहा है और जिस प्रकार से संशोधनों को अस्वीकृत किया गया है उससे यह साबित हो गया है कि समाजवाद की आत्मा मर गयी है। गांव में रहने वाले गरीब और हरिजन को एकदम तिरस्कृत कर दिया गया है। दूसरी ओर बड़े-बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया गया है। मैं आज ही भविष्यवाणी किये देता हूं, भविष्य में इस सदन में आने वाले माननीय सदस्य देखेंगे कि इससे कहीं किसी गरीब का भला नहीं हुआ और केवल अपने ही लोगों की जमीनें बचाई हैं। यहां तक कि घोड़े के लिये भी फार्म करने की छूट दे रखी है। आज समाजवाद की आत्मा बैठ कर रो रही होगी। आज यह अवसर है जब कि हम सब को इसके लिये एक शोक प्रस्ताव पास करना चाहिये कि समाजवाद की आत्मा मर चुकी है और उस लोक प्रस्ताव को पास करके श्रीमती इन्द्रा गांधी के पास भेजना चाहिये और यह कहना चाहिये कि तुम्हारे चेलों ने समाजवाद की हत्या कर दी है और उसको सदा के लिये दफना दिया है। इसलिये आप मुझे इजाजत दें कि मैं एक शोक प्रस्ताव पेश कर सकूं।

श्री जयराम वर्मा--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जो अभी विचार के लिये हमारे सामने था। इस विधेयक के परिणामों को देखने के लिये गरीब जनता बहुत दिनों से उत्सुक थी क्योंकि सरकार ने जो समाजवाद की घोषणा की थी और जिसकी चर्चा वह सदैव करती रहती है उसके बारे में जनता जानना चाहती थी कि इस सरकार की क्या नीति है, उसकी कथनी और करनी में क्या अन्तर है। सरकार की यह घोषित नीति रही है कि गरीबी और बेकारी को बहुत जल्दी दूर किया जायगा, हरिजनों को भूमि दी जायगी, पूंजी पतियों की सम्पत्ति का बटवारा होगा और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

उनसे सम्पत्ति को निकाल कर गरीबों में बांटा जायगा, मगर आज जिस तरह से यह विधेयक पास हुआ है उससे यह लगता है कि कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ भी जमीन इससे अब निकलने वाली नहीं है। 9 मई, 1972 को जब विधेयक पहले वाला पेश किया गया था उस समय 3 लाख 60 हजार एकड़ भूमि निकलने वाली थी, मगर अब इस बिल से 20 हजार एकड़ भी जमीन नहीं निकल सकेगी। जो संशोधन किये गये हैं उससे अब 20 हजार एकड़ भी भूमि नहीं निकल पायगी। जहां से निकलने वाली थी वहां रोक दिया गया है।

कुछ विशेष व्यक्तियों को सामने रख कर ही इसमें संशोधन किये गये हैं। इसमें आपका दोष नहीं है, समय ही इस विधेयक के लिये इतना कम दिया गया और इसलिये कम दिया गया कि लोगों को कुछ जानकारी हो ही न सके। सरकार यही कोशिश हर कदम पर करती रही कि जो जमीन निकलने वाली है वह निकल न पाये और इस बात को भी यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि जो जमीन निकलेगी वह हरिजनों में या भूमिहीनों में बांटी जाएगी। विधेयक में इस तरह से बात लिखी हुई है---वह गांव में अगर जमीन सामुदायिक प्रयोजन के लिये न हो तो 15 एकड़ तक गांव सभा को दी जा सकती है। वही जमीन जो अतिरिक्त होगी, वही भूमिहीनों और हरिजनों में बांटी जा सकती है। आप फिर से काम के लिये एक्वायर करना चाहते थे उसमें इस्तेमाल की जाएगी। यह इसमें स्पष्ट नहीं होता है।

इस प्रशासन की तरफ से यह आदेश गया था कि गांव समाज की जो जमीन है जो किसी भूमिहीन को मिल सकती है, वह रोक दी जाय, वह बड़े बड़े उद्योगों के लिये रिजर्व कर दी जाए। इसका संकेत इसमें भी मिलता है। उस गांव में जमीन एक्वायर करने की जरूरत है तो वह प्रयोग की जा सकती है, लेकिन वह भूमिहीनों को नहीं दी जा सकती है। यह जमीन जो निकले, जैसी सरकार की घोषणा रही है, वह भूमिहीनों को दी जाएगी, उसके खाने-पीने का प्रबन्ध होगा, उसकी प्रतीक्षा में वह बहुत दिनों से बैठा था कि यह बिल आएगा और उनको उससे निकल कर जमीन मिलेगी, उस पर पानी फिर गया है और अब बहुत ही कम जमीन निकलने वाली है। यह सरकार ने माना नहीं यह निश्चित रूप से करने के लिये तैयार नहीं है कि जो जमीन निकले वह भूमिहीनों और हरिजनों को दी जाए। और इतनी दी जाये कि वह उस पर ठीक से खेती कर सके। यदि आप सचमुच उनकी मदद करना चाहते हैं तो उनको आवश्यक जमीन दें, और उनके लिये साधन जुटा दें, जिससे वे उस पर खेती करके अपना पालन कर सकें।

हमारे बहुत से साथी उधर चले गये कि उधर बहुत प्रगतिशीलता है, लेकिन अब वह सामने से मुंह छिपा कर जाते हैं और सीना तान कर खड़े नहीं हो सकते हैं। ये गरीबों के हित में बड़ी बड़ी बातें करने की हामी भरते थे, आज उनको पता चला होगा कि वे बातें कहां गईं। आप गरीबों की मदद नहीं करना चाहते हैं, आप गरीब को ही खत्म करना चाहते हैं। आप गरीबी नहीं हटाना चाहते हैं, आप गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी। इस तरह की बातें की गई हैं। श्रीमन्, अगर वक्त मिलता तो गांव के रहने वाले लोगों को यह पता चलता कि उनके साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है। इसके पहले जब वह दूसरा बिल पेश करना चाहते थे तो, राजस्व मन्त्री ने कहा था कि हम इसलिये उसे पेश करना चाहते हैं कि कहीं यह न कहा जाय कि हम शहरवालों के तरफदार हैं और गांव वालों के खिलाफ हैं। यह बेनामे रोके गये हैं, उसको ला रहे हैं, उसको लाने दिया जाये, नहीं तो दिसम्बर समाप्त हो जायगा और बेनामे होने लगेंगे। शहर के जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके ये हमदर्द हैं या नहीं, इसके लिये यह निश्चित संशोधन मैंने रखा था कि अतिरिक्त जमीन के लिये मुआवजा उसी दर से दिया जायगा, जिस दर से शहरों में निकली हुई जमीन या मकान के लिये दिया जायगा। इसको भी हमारी सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है। क्योंकि यह शहरों में 25 से 75 फीसदी मुआवजा देना चाहते हैं और गांव में केवल 5–6 प्रतिशत देना चाहते हैं। यह बड़े लोगों के कितने हमदर्द हैं यह इससे भी काफी सिद्ध हो गया है।

इसके अलावा यह भी देखने की चीज है कि शहरों में बड़े लोगों की सम्पत्ति केवल मकान और जमीन पर ही सीमा बांधी जाएगी, और उसमें भी उनके 25 से 75 प्रतिशत मुआवजा दिया जायगा। यह सरकार की नीति है और कहां वह ढिंढोरा पीटा करती है कि हम किसानों के और गरीबों के हमदर्द हैं। इससे यह बात पुष्ट हो गई है कि यह हमदर्द तो उन्हीं के हैं जिनसे पैसा लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। हम लोगों को समय मिल गया होता तो जो बहुत सी बातें जो छिपी रह गई हैं वह भी साफ हो सकती थीं। फिर यह कहने का मौका न होता और गांव के रहने वालों को, गरीबों को, भूमिहीनों को और हरिजनों को पता चल गया होता कि उनके प्रति सरकार के दिल में कितनी हमदर्दी है।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, विचाराधीन विधेयक, जिस दिन प्रस्तुत हम लोगों को मिला तो उससे आशा बंधी कि भूमिसुधार की दिशा में यह प्रदेश एक दो कदम आगे जायगा लेकिन जो विधेयक अब कानून बनने जा रहा है उससे तो मूल विधेयक से जमीन आसमान का फर्क हो गया है। इस विधेयक में सत्ता कांग्रेस के विधायकों ने अपने पूंजीवादी और सामन्ती चरित्र के अनुरूप ऐसे संशोधन पेश किये जिससे भूस्वामियों और सामन्तों का सीलिंग एरिया बढ़ गया है, खासकर श्री राजमंगल पांडेय द्वारा जो संशोधन पेश किये गये हैं, उनसे। मैं अदब से निवेदन करूंगा कि मूल विधेयक की जो मंशा थी, आत्मा थी वह आत्मा ही मार डाली गयी, उसका हनन कर दिया गया है। अच्छा होता इस बिल को पेश करने का यह सरकार ढोंग न रचती क्योंकि जहां हम पहले थे प्रायः उसी जगह पर हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि 26, 27, 28 दिसम्बर को कलकत्ता में उनके दल का बड़ा मेला होने जा रहा है। वहां पर गंगा और समुद्र का संगम भी हो जाता है, यह मृत समाजवाद जो है उसकी अर्थी उसके फूल वहीं पर लेते जायं और वहीं पर दफना करके आएं ताकि आगे यह धोखा इस प्रदेश में उनके बिल से न हो। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो अधिनियम की आत्मा का निधन हुआ है उसके शोक में यह सदन दो मिनट या एक मिनट खड़े होकर शोक मनाये। मान्यवर, मेरा दल शोक मनाता है।

(सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस (संगठन) के कुछ सदस्य खड़े हुए)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वास्तव में जिस तरीके से विधेयक में बिलम्ब किया गया और इन चीजों को रखा गया है उससे जाहिर होता है कि आज भी शासक दल के अन्दर ऐसे लोगों का काफी प्रबल बहुमत है जो उनकी घोषित नीति के विरुद्ध हैं। 15 तारीख से आज तक माननीय राजस्व मन्त्री पर दबाव डाला गया और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस दबाव के सामने वह झुक गये। इस बिल पर जो चर्चा हुई है, जिस ढंग के संशोधन आये हैं उनसे न केवल उनका बल्कि उधर बैठने वाले सब का नक्शा प्रदेश के सामने साफ हो चुका है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी कहूंगा। जब यह बिल आया तो सब को पता था कि यह बिल आ रहा है। लोगों को आशा थी कि इंदिरा जी ने कहा था कि समाजवाद आयेगा, हरिजनों को जमीन मिलेगी। हमारे एक साथी जो उधर बैठे हैं यही कहते थे कि हरिजन भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, मिलेगी। सारे प्रान्त के लोग आशा लगाये बैठे थे कि हरिजनों को जमीन मिलेगी। लेकिन इस बिल से जैसा कि वह पास हुआ है कोई जमीन हरिजन और भूमिहीनों को मिलने वाली नहीं है, राजाओं की घुड़सालों को जरूर जमीन मिले और गरीबों को जमीन न मिले यह बड़े अफसोस की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो इस बिल की आलोचना की है वह तथ्य से बिल्कुल परे है। श्रीमन्, पहली बात यह कही गयी कि हमने इस बिल को बहुत जल्दी में यहां पास किया। श्रीमन्, जो कुछ यहां पर हुआ है, जितनी घटनायें घटी हैं वे द्योतक हैं कि कौन इस बात को चाहता था कि यह बिल देर से पास हो। विरोधी पक्ष बराबर इस बात की कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरह से इसमें अड़ंगा लगे और यह कोशिश की कि यह पास न हो।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बिल्कुल गलत है। 8 मई को आपने कहा था। हम लोग तैयार थे। यह शासक कांग्रेस की ओर से बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मई में, जुलाई में, अगस्त में नहीं लाए, पांच महीने तक बिल नहीं लाये। आपका बयान बिलकुल झूठा और धोखा है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम अभ्यस्त हो गये हैं इस तरह की बातों के (व्यवधान) कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने अब यह तरीका अख्तियार किया है कि वह बोलेंगे तो दूसरे सुनेंगे और जब दूसरे बोलेंगे तो यह न तो सुनेंगे और न दूसरों को सुनने को देंगे। (अत्यधिक व्यवधान) एक बात यह कही गयी है बड़े जोरों से कि भूमि निकलेगी वह बड़े बड़े आदमियों को दी जायगी लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह केवल भूमिहीनों को ही दी जाने वाली है। उसकी व्यवस्था विधेयक में पहले से ही मौजूद है, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक एक अंश एक एक हिस्सा जो जमीन निकलेगी वह केवल भूमिहीनों को दी जावेगी। इसका सारा का सारा प्राविधान इस बिल के अन्दर मौजूद है।

श्रीमन्, दूसरी बात जिसकी बहुत चर्चा की गयी है वह स्टड फार्म की बात है। यहां तो बिला किसी का अपमान किये हुए, बिला किसी के इरादों पर अटैक किये हुए वे कोई चर्चा कर ही नहीं सकते। उनके पास कहने के लिये कोई तथ्य नहीं है कोई तर्क नहीं है, असलियत जब खोखली होती है तब दूसरों को गालियां देने के सिवाय कोई तरीका रह नहीं जाता और यही कारण है कि आज विरोधियों के पास कोई तर्क रह नहीं गया है केवल गालियां देने का काम रह गया है और हम उसके अभ्यस्त हो गये हैं। (व्यवधान)। स्टड फार्म की बात कही गयी है। सो उत्तर प्रदेश में केवल एक स्टड फार्म है और न केवल किसी मन्त्रिपरिषद् के सदस्य का, बल्कि कांग्रेस शासक दल के किसी सदस्य से उसका सम्बन्ध नहीं है। छूट देने का वास्तव में कारण केवल एक है और वह है श्रीमन् जो हमारी सेना की आवश्यकता है। हमारी सेना में घोड़े खच्चरों की आज जरूरत है और वह राष्ट्रीय आवश्यकता है और उसकी पूर्ति इतनी अनावश्यक है जिसको मैं यहां कह नहीं सकता। श्रीमन्, यह मैं आपसे और भी निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश में केवल एक स्टड फार्म है और उसके लिये केवल 80 एकड़ है और इसके आगे एक भी स्टड फार्म के लिये जमीन दी जानेवाली नहीं है। आज घोड़ों का नाम लेकर हमारा मजाक किया जा सकता है, उसका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है।

अब कौन समाजवादी है और कौन समाजवादी नहीं है उसके विषय में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितने संशोधन लाये गये हैं उनके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं खास तौर से बी० के० डी० के, जनसंघ के और कांग्रेस (ओ०) के जो संशोधन आये हैं और समाजवादी दल की तरफ से आये हैं उनमें से भी ज्यादातर आप अच्छी तरह से देख लें श्रीमन्, कि वे कितने प्रतिक्रियावादी थे और कितने वास्तविकता के विपरीत थे। इसके विपरीत जितने संशोधन हमारे दल की तरफ से आये हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहीं भूमिहीनों के खिलाफ जाता हो या बड़े लोगों को कोई विशेष अधिकार देता हो। (व्यवधान) इसको ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों को लाया गया है। उनके नामन प्रोसीडिंग्स में मौजूद हैं उनको देख लिया जाय। इससे समझा जा सकता है कि कौन समाजवादी है और कौन नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह---
यह प्रतिक्रियावादी तरीका अख्तियार किया जा रहा है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---
इस तरह से समाजवाद की हत्या की जा रही है ।

श्री उदित नारायण शर्मा---
इनके जिम्मे यही काम दिया गया है कि इतने जोर से बोलिये कि जो विवाद किया जा रहा हो उसे सुनने मत दो । इनके पास इसके सिवा दूसरा काम नहीं है कि सदन में खड़े होकर चिल्लाने लगो । उनका यह तरीका उन्हीं को मुबारक हो, मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---
इनका जो काम है दल बदलने का ।

श्री उदित नारायण शर्मा---
1971 इसलिये रखा गया है जिससे सारे भारतवर्ष में एक रुपता हो और नियम एक सा ही बने और कोई स्टेट यह न कह सके कि किसी के साथ पक्षपात किया गया है । आप देखेंगे कि सारे भारतवर्ष में जितने भी सीलिंग बिल्स आयेंगे उनमें 1971 ही रखा जायगा । इसकी इसलिये जरूरत थी ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---
प्रतिक्रियावादियों से और आशा ही क्या की जा सकती थी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---
एक भी संशोधन ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि हमारा इरादा कुछ और रहा । (व्यवधान) विरोधी दलों ने अपने दल के एक एक माननीय सदस्य को इसलिये मुकर्रर कर रखा है कि दूसरे पक्ष से कोई खड़ा हो तो उसे मत बोलने दो । यह बिल जो हम दुबारा लाये हैं यह पहले वाले बिल से कहीं अधिक प्रोग्रेसिव तथा प्रगतिशील है क्योंकि इसमें से हमने सहकारी समितियां, बाग व संस्थायें निकाल दिये । इन सब पर विपक्ष की तरफ से संशोधन थे । हमने कुछ विमुक्तियां भी दी हैं । पहले का बिल तथा सन् 60 का जो बिल है उसको आप देखें उसमें बुन्देलखंड को 40 एकड़ से लेकर 128 एकड़ तक जमीन दी गयी थी लेकिन इसमें 45 एकड़ से अधिक जमीन किसी सूरत में नहीं दी गयी है ।

इसके अलावा वहां सिंचित भूमि भी 18 एकड़ ही रखी गयी है । अगर मैं चाहता तो बड़ी आसानी से 18 के स्थान पर 36 एकड़ रख सकता था क्योंकि सभी जानते हैं कि वहां सिंचाई के साधन कैसे हैं और वहां की जमीन कैसी है? दूसरी जगह की सिंचित तथा यहां की सिंचित भूमि में भेद कर देता । पानी ऐसी चीज है जो इस बात को निर्धारित करता है कि किसी जगह की पैदावार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी । (व्यवधान) ये तथ्य ऐसे हैं जो छिपाये नहीं जा सकते और सारे तथ्य आपके सामने हैं । लेकिन विरोधीपक्ष के पास सिवा इसके कोई तर्क नहीं है कि वह आरोप लगाये, लोगों के इरादों पर हमला करे । इसके अलावा कोई तथ्य अथवा तर्क उनके पास नहीं है । तो मान्यवर, आज यही तरीका रह गया है । इसके हम लोग अभ्यस्त हो गये हैं और आप भी सुनने के अभ्यस्त हो गये हैं । तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन इस बिल को पारित करे ।

श्री बंशीधर पांडेय---
मान्यवर, ये ढाई लाख जमीन खा गये । मैं इसको चैलेंज करता हूं ।

श्री उदित नारायण शर्मा---
मैं भी चैलेंज करता हूं ।

श्री जयराम वर्मा---

अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी ने यह चार्ज लगाया कि बी० के० डी० के द्वारा जो संशोधन आये हैं वे प्रतिक्रियावादी थे और उनकी तरफ से जितने भी संशोधन आये हैं वे प्रगतिशील थे। मैं उनकी इस बात को चैलेंज करता हूं और कहता हूं कि आज ही इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय और निर्णय करे कि किसके संशोधन प्रगतिशील थे। अगर वह कमेटी हमारे संशोधन को प्रगतिशील समझे तो आपको इस्तीफा देना चाहिये और यदि आपकी तरफ के संशोधन ज्यादा प्रगतिशील वह समिति समझे तो मैं असेम्बली से इस्तीफा दे दूंगा। (मेजें थपथपाई गई)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री ने इशारा किया है कि हमने कुछ लोगों को शोर करने के लिये नियुक्त किया हुआ है उसी तरीके से मैं भी चार्ज लगाता हूं कि आप को मुख्य मन्त्री जी ने शोर करने के लिये एप्वाइन्ट किया हुआ है.... (घोर व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जैसा माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा है कि विरोध पक्ष के पास केवल आरोप लगाना ही रह गया है और कोई दलील उनके पास रह नहीं गई है और यही उनका मंजा-मंजाया आर्ग्युमेंट है। मैं तो यह नहीं कहूंगा लेकिन सिर्फ यही कहूंगा कि हम आरोप लगाते हैं और आप एक की भी जांच नहीं कराते हैं। आप के पास तो सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट रह गया है कि आप सी०आई०डी०से उसकी जांच करा रहे हैं। यही दलील आप देते हैं। प्रतिक्रियावादी तो यही हैं जिनके ऊपर कि भस्मासुर का भूत सवार हो गया है।

श्री मोतीलाल देहलवी---

(कुर्सी पर खड़े होकर)---इन्दिरा का समाजवाद धोखा है, इंदिरा का समाजवाद धोखा है।

(विरोध पक्ष की ओर से बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो गये और नारे लगाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष---

यह अत्यन्त अनुचित प्रदर्शन है। (घोर व्यवधान) मैं इस प्रश्न को रख रहा हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 जैसा कि संशोधित हुआ है पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, जिस प्रकार से डाल से छूटा हुआ बन्दर तिलमिला कर रह जाता है वही हाल बिल का भी है।.. (व्यवधान) (शासन पक्ष की ओर से मेजें थपथपाने पर).... श्रीमन्, ये देख लीजिये। इनकी तसवीर देख लीजिये। आप बजायें, जोर से बजायें।

श्री उपाध्यक्ष---

अब मैं आगे चलता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इन्होंने समाजवाद को तिलांजलि दे दी है.... (व्यवधान)

(व्यवधान के बीच) मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से डाल का गिरा हुआ बन्दर तिलमिला जाता है उसी तरह से यह दल तिलमिला रहा है। (व्यवधान) खूब मेजें बजाइये, मैं कल देखूंगा कि कैसे पंडित कमलापति जी बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन अवसर वादियों और दलबदलुओं को रोकिये। इस तरह की गुन्डागर्दी यहां पर नहीं चलेगी। हम इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

ये जबान बन्द करने वाले पूंजीपतियों के दलाल हैं। यह इनकी बदतमीजी की हद है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का है—"पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 जिलों में गन्ने की पेराई करना बन्द हो जाने से चीनी के उत्पादन में हानि।"

यह स्वीकार हुआ है। पहले जो स्वीकार हुआ है उसी में आपका नाम जोड़ दिया जायगा।

दूसरा श्री मोहन लाल कपूर का है—"मेरठ स्थित गांधी आश्रम के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिये भूख हड़ताल"

गांधी आश्रम स्वायत्तशासी संस्था है। इसलिये यह अस्वीकार किया गया है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर' मैंने भी एक दिया था लेकिन उसे आपने मंजूर नहीं किया था और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न देने के लिये कहा था। लेकिन उसको भी आपने मंजूर नहीं किया। तो कल उसे ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, ले लिया जायेगा।

तीसरा सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, राम बिलास पांडेय' विश्वनाथ कपूर और चन्द्रमोहन सिंह नेगी का है—"लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बी० ए० के छात्र पर किसी अजनबी द्वारा विश्वविद्यालय के प्रांगण के अन्दर गोली मार कर हत्या करने के प्रयास से असन्तोष।"

यह प्रश्न आज ही' इसके स्वीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

चौथा श्री नित्यानन्द स्वामी का है—"प्रदेश में चीनी के महान अभाव के कारण चीनी मूल्य में अत्यधिक वृद्धि—

यह पहले ही से मंजूर है।

पांचवा श्री हरिवंश सहाय का है—"श्री श्रद्धानन्द त्रिपाठी ग्राम नोनापार जिला देवरिया का विधान भवन के समक्ष अपनी मांग पूर्ति हेतु आमरण अनशन।"

इसके बारे में सबेरे भी हो चुका है। इस पर आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

छठवां सर्व श्री कल्पनाथ सिंह व बंशीधर पांडेय का है—"गोरखपुर के एक एडवोकेट के प्रति पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के फलस्वरुप गोरखपुर के नागरिकों में असन्तोष।

इस पर अल्पअसूचित प्रश्न कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

गोरखपुर में जो यह घटना हुई उस पर वहां के बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास किया है और हड़ताल भी करने वाले हैं। इसलिये अगर आप इसको नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो कल इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

भेजवा दूंगा। कल और भी दूसरे विषय हैं और बहुत तनातनी में लोग रहेंगे। कल देख लेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

केवल वक्तव्य के लिये कह दीजिये कि वक्तव्य आ जाय।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

श्री श्रद्धानन्द तिवारी जो विधान भवन के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं वे मरने की स्थिति में हैं। अगर वे कहीं मर जायेंगे तो उसके लिये आप जिम्मेदार होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

सबेरे इस पर चर्चा हुई थी।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

15 तारीख से वे कौंसिल हाउस के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या जब वे मर जायेंगे तब जाकर आप देखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे नेता व आपके नेता का कहना है कि हर आमरण अनशन करने वाला जब तक मर न जाय या पूर्व जो न मरे वह आमरण अनशनकारी नहीं है। तो इसपर आप क्यों जोर दे रहे हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर' हमने एक दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक माननीय शिव कैलाश और अनन्तराम जायसवाल जी की सूचना है कि आलमबाग, लखनऊ स्थित भाता बदल हाते के मालिक द्वारा वहां के हरिजन किरायेदारों की पुलिस की साजिश से पिटाई व घर बेदखली। इसका उपचार कानूनी हो सकता है। वैसे आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, प्रश्न तो हम कर लेंगे लेकिन आप इसको सरकार के पास भेज दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा भेज देते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, हमारा दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष—

हम कार्यवाही के लिये भेज देंगे।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, हमें लिख कर मिला है कि राधेश्याम शर्मा के घर को एस० पी० ने लूट कर तिजोरी तुड़वाई और चांदी के जेवरात लूट लिये गये वहां की पुलिस राधेश्याम जी से कह रही है कि अपना मामला वापस लो वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

जितनी कार्यवाही हुई है वह कानूनी ढंग से हुई है।

श्री मोती लाल देहलवी—

उपाध्यक्ष महोदय, डिप्टी मिनिस्टर ने लिख कर मुख्य मंत्री को दिया। वहां से एस० डी० के पास भेज दिया गया। एस० पी० ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भेज दिया। किसी

हास्यास्पद बात है कि सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जांच है उसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं। एक आदमी की जान खतरे में है और पुलिस वाले उनको धमकी दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको कार्यवाही के लिये भेज दिया है। एक श्री शम्भूनाथ चौधरी और शफीक अहमद का है' उसको अस्वीकार किया गया है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

हमने भी जिले के संबंध में एक भेजा था। उसके लिये कुछ नहीं कहा गया।

हाथरस पालीटेकनिक में हरिजन एवं सवर्ण छात्रों के संघर्ष में एक छात्र की मृत्यु के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

उपाध्यक्ष महोदय' उपलब्ध सूचना के अनुसार मुरलीधर गजानन टेकनिकल इंस्टीट्यूट हाथरस के छात्रावास में रहने वाले छात्रों के दलों की वैमनस्यता ने दिनांक दिसम्बर 13, 1972 को सांयकाल लगभग 7 बजे अचानक भीषण रूप धारण कर लिया और इंस्टीट्यूट के कई छात्रों ने राधा स्वामी बगीचे में जाकर एक परिगणित जाति के छात्र जो सरस्वती डिग्री कालेज का विद्यार्थी था और वहीं ठहरा था' कोमा रा पीटा और जिन छात्रों ने उसको बचाने की कोशिश की उन्हें भी मारा। आक्रमण के फलस्वरूप कई परिगणित जाति के छात्रों को चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गयी तथा गंभीर रूप से घायल एक छात्र राजन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजन सिंह की मृत्यु हो गयी।

इस घटना की सूचना दूसरे दिन प्रातः जिलाधिकारियों को मिलते ही समुचित फोर्स के साथ परगना मजिस्ट्रेट और सर्किल अफसर को हाथरस भेजा गया। घटना के संबंध में धारा 147/148/307 (जो बाद में धारा 302 में परिवर्तित किया गया) /342 भा० दं० वि० तथा 5/7 अनटचेबिलटी ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। कुल 85 सवर्णों की गिरफ्तारी की गयी। मारने वाले अपराधियों में से 12 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। परिगणित जाति के छात्रों द्वारा की गयी शिकायत के (आधार पर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल' प्राक्टर तथा वार्डन को अनटचेबिलटी ऐक्ट की धारा 5।7 के अन्तर्गत तथा 70 छात्रों को धारा 107/117/151 जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। नगर में 15 दिनों के लिये धारा 144 लागू कर दी गयी है तथा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों को फिलहाल संस्था को बन्द रखने का आदेश दिया गया है। छात्रावासों में रहने वाले परिगणित जाति के छात्रोंको घर भेजे जाने के लिये सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को निगरानी में आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध कर दिये गये हैं तथा नगर में समुचित पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी कर दी गयी है। वहां पर अब स्थिति नियंत्रण में है और नगर का वातावरण शान्त है।

घटना से संबंधित मुकदमे की जांच तत्परता से की जा रही है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

वक्तव्य में कहा गया है कि छात्रों के दो दलों के बीच पहले से वैमनस्य चल रहा था तो क्या यह बात पहले से अधिकारियों को मालूम थी और यदि थी तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई पहले से ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कालेज के अधिकारियों को तो मालूम था लेकिन उन्होंने इसकी सूचना पहले से जिलाधिकारियों को नहीं दी थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आपने जो 2 छात्रों के दल का जिक्र किया तो वे किस प्रकार के दल थे, किस आधार पर थे और किस बात की दुश्मनी थी और क्या उनमें कोई पुरानी दुश्मनी थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सवर्णों और परिगणित जाति के छात्रों के आपस में 2 अलग दल थे, आपस का भेदभाव ऊंचनीच, छोटा बड़ा, छूतछात ही वह कारण थे जिन के आधार पर पार्टीबाजी वहां थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने कहा कि 2 दलों में पहले से वहां वैमनस्य था तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस वैमनस्यता का रूप क्या था और अगर कालेज के अधिकारियों को उस का पहले से ज्ञान था तो उन्होंने क्या कदम उसके विरुद्ध उठाया ? अगर नहीं तो आप ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाया ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

वैमनस्यता का कारण तो वक्तव्य में स्पष्ट बताया है कि ऊंचनीच, छूतछात की भावना रही। पालीटेकनिक के अधिकारियों को अपनी जगह पर उसकी जानकारी थी लेकिन उन्हों ने उसकी सूचना जिलाधिकारियों को नहीं दी इसलिये धारा 5/7 अस्पृश्यता कानून के अन्तर्गत उनकी भी गिरफ्तारी की गई और उन पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

यह घटना जो बगीचे पर हुई है, जिन लोगों के साथ वह घटी है और जिन लड़कों को सुरक्षा के साथ घर भेजा गया तो उस होस्टल में वह कितने लड़के थे जिनको सुरक्षा से भेजा गया ? वह कितने लड़के थे जो छोड़ कर चले गये थे या बाहर के ही थे ? और मारने का कारण क्या था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब 11 तारीख को इस संघर्ष की रूपरेखा शुरू हुई और उस दिन जब दोनों दलों में संघर्ष शुरु हुआ तो परिगणित जाति का एक लड़का बगीचो में चला गया। उसको सवर्ण ग्रुप ने घेरा और पूछा कि होस्टल के लड़के कहां हैं' वहां पर बाहर का जो लड़का उनके बीच में था और उनके आमंत्रण पर जो आया था वह मिला और उससे उनका संघर्ष हुआ और उसका स्टिक और लाठी डंडे से मारपीट की गयी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उस छात्रावास में कितने हरिजन छात्र रहते थे और क्या उनसे पहले भी कोई ऐसा झगड़ा हुआ था और क्या उसकी सूचना वहां के प्रधानाध्यापक और जिला निरीक्षक को थी यदि थी तो उन्होंने ऐसे पग क्यों नहीं उठाये कि फिर ऐसा संघर्ष न हो ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

शासन की जानकारी में तो यह घटना जांच के बाद आई, हत्या के बाद में आई लेकिन पहला संघर्ष विकृत रूप में 11 तारीख को हुआ था। उसकी सूचना जाब्ते से जिला अधिकारियों को नहीं हुई है और अब यह मारपीट की घटना हो गई और यह स्थिति आई तब उनको सूचना हुई और तत्काल उचित कार्य वाहीं की गई।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि हमारे संविधान के वजूद में आने के बाद इस देश में उनके द्वारा अछूत को समाप्त किया गया। और निदेशात्मक सिद्धान्तों के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को मिला हुआ है, तो संविधान के इस

प्राविधान और इस कानून के रहते हुये जिन्होंने वहां छुआछूत चलाई यानी जो वे हां के प्रिंसिपल प्राक्टर या जो अधिकारी हैं जो वहां के नौकर हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई और जिन छात्रों ने वहां छुआछूत बरती है उनको उस विद्यालय से निकाल कर उन पर पढ़ने से रोक लगायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

कानून के अन्तर्गत जो वैधानिक कार्यवाही सम्भव है वह हो रही है, तात्कालिक कार्यवाही की गई है जो सम्भव है, एक दम से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जो कानून के बाहर हो, कानून को हाथ में लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल, वार्डन टीचर्स और विद्यार्थी जो दोषी पाये गये हैं उन सब पर मुकदमा कायम किया गया है।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि 11 तारीख को जो घटना हुई, उसकी सूचना जिलाधिकारी को नहीं थी लेकिन स्थानीय पुलिस स्टेशन इन्चार्ज को मिल गयी थी और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। जो उनमें वैमनस्य बढ़ा वह मैस में खाने पीने से हुआ और इस वैमनस्यता में वहां का प्रिंसिपल भी शामिल था, जिनका बाद में चालान किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रिंसिपल का चालान तो हो गया लेकिन वह निलंबित क्यों नहीं किया गया ? इसकी जिला निरीक्षक को सूचना थी।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

11 तारीख को पहले जो साधारण सी घटना हुयी आपस में वाद विवाद और संघर्ष हुआ उस समय करीब 25 परिगणित जाति के लड़के थे। उनमें से कुछ तो अपने मित्रों के यहां चले गये और कुछ दूसरे छात्रावासों में चले गये। कुछ उनमें से बगीचे में चले गये। उस समय जो प्राप्त सूचना है, उसके अनुसार जिलाधिकारियों को इसकी सूचना नहीं थी। जैसा कि माननीय सदस्य ने सूचना दी कि उन्हें सूचना थी, यदि उनको सूचना थी तो अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो लड़का मरा है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ और उसने 4 लड़कों की नामजद रिपोर्ट की। 2 लड़के पकड़े गये। बाद में 10 लड़के पकड़े गये और उनकी कार्यवाही शनाख्त हुयी। तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन लड़कों ने जो गिरफ्तार हुये थे, उन्होंने उनकी शनाख्त की या अन्य व्यक्तियों के द्वारा करायी गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस बारे में कोई डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हुआ। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट जरूर है। लेकिन जिन 4 लड़कों के बारे में सुरागरसी हुयी, तुरन्त उनकी गिरफ्तारी के आदेश हुए। 2 लड़के गिरफ्तार हो गये हैं, जब तक हमारे पास सूचना आयी है, और 2 के विरुद्ध 87-88 दफा की कार्यवाही हो रही है और उनको भी पकड़ने का प्रयास हो रहा है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि छुआछूत के कारण संघर्ष रहा तो क्या छात्रावास में हरिजन और अन्य विद्यार्थियों का वही भोजनालय रहा और उनके चौके को छूने आदि या थाली में जूठन आदि डालना कारण रहा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर यह 120 लड़कों का छात्रावास है। जिसमें से 25 परिगणित जाति के और शेष सवर्ण जाति के थे। उनमें छोटे बड़े, खान पान और छुआछूत के कारण संघर्ष की भावना बढ़ती गयी जिसने अंत में यह रूप ले लिया। यह है इसकी रूपरेखा।

श्री गोवन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उस पौलीटेकनिक के प्रिंसिपल के विरुद्ध भी मुकदमा कायम किया गया है? आपने चालान तो अवश्य किया लेकिन उसको निलंबित करने में क्या कठिनाई है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

श्रीमन्, यह एक प्राइवेट संस्था है और इसका प्रबन्ध भी प्राइवेट लोगों के हाथ में रहता है। हम तो कानून के अन्तर्गत जो होगा वही कार्यवाही करेंगे और वह कर भी दी गयी है। इसके बारे में मैं देखूंगा कि अभी तक प्रिंसिपल को क्यों निलंबित नहीं किया गया है। यदि उचित होगा तो उन्हें निलंबित करने का प्रयास करूंगा। ऐसे व्यक्तियोंके प्रति हमें कोई सहानुभूति नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, सारे प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है और बढ़ गया है। दिनमान पत्रिका में देख लें। उत्तर प्रदेश के 54 जिलोंमें से 23 जिलों में ये घटनायें हुई हैं। मान्यवर, उपमंत्री और श्रम मंत्री ने मुख्य मंत्री का ध्यान खींचा इस ओर कि सवर्ण लोग हमला कर रहे हैं हरिजनों पर उनकी रक्षा की जाय। उसके बावजूद भी घटना में मार डाला गया। बावजूद सूचना के इनके अधिकारी और सरकार, मान्यवर अवहेलना कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ठोस कदम उठायेंगे जिससे हरिजनों पर अत्याचार खत्म हों। देश का जहर ब्राह्मणवाद या हरिजनवाद, यह कब टूटेगा?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो जनरल सवाल हुआ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इस घटना के बाद उसकी गम्भीरता को देखते हुए जो कार्यवाही की गई है, मेरी तुच्छ राय में वह ना काफी है। अपने संविधान की रक्षा के लिये अमेरिका के प्रेसीडेंट कैनेडी ने विश्वविद्यालयों में हब्शियों को दाखिला दिलाने के लिये मिलिटरी का सहारा लिया था। क्या आप अपने संविधान की आत्मा की रक्षा के लिये उसको एन्फोर्सकरने के लिये उन बच्चों को पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे और वार्डेन और प्रिंसिपल को नौकरी से अलग करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

प्राइवेट स्कूल है न।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, संविधान तो प्राइवेट स्कूल पर भी लागू होता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट स्कूलों की ओर प्रक्रिया है अगर उनको निकालना भी है तो.....

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, जितनी भी संस्थायें हैं उनमें जो भी कार्यवाही चल रही हैं वे सब संविधान के अन्तर्गत ही चलती हैं। उसको देखकर ही तो स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्या संविधान को एफैक्टीवली एन्फोर्स करने के लिये क्या आप कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जैसा कि दूसरे देश करते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

अवश्य कार्यवाही करेंगे सब कार्यवाही जो कानूनन की जा सकती है।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

माननीय मंत्री जी ने मान्यवर, कहा कि वह सरकारी संस्था नहीं है। क्या राज्य सरकार से इस संस्था को कोई सहायता मिलती है। यदि हां तो क्या उनकी सहायता को बन्द कर देगें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ग्रान्ट बन्द करना तो हमारे अधिकार में है। ऐसी संस्थाओं की ग्रान्ट तो बन्द कर देनी चाहिये और जो सस्पेन्ड करने की बात है उसकी एक प्रक्रिया है। उसकी भी कार्यवाही करने की प्रक्रिया की जायेगी।

श्री रामप्रसाद देशमुख---

मान्यवर, सात बजे प्रिन्सिपल के सामने वे लड़के भी मौजूद थे, लड़के बागीचे में ही रहते थे। दूसरे दिन जो सूचना मिली तो पुलिस वालों ने भी निगाह नहीं डाली। यह सारी सूचना सोते हुए भी अधिकारियों को दूसरे दिन सूचना मिलती है यह आश्चर्य है, और बड़े अफसोस की बात है। ये सारी घटनायें जान बूझकर करवाई गई हैं। तो मेरा यह कहना है कि प्रिन्सीपल को आज तक क्यों नहीं सस्पेन्ड किया और पुलिस ने धांधलेबाजी की दूसरे दिन मजिस्ट्रेट को और अधिकारियों को खबर दी, क्यों नहीं उसी दिन खबर दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि प्रिन्सीपल को सूचना देनी चाहिए थी। जब स्कूल में ऐसी स्थिति थी तो प्रिन्सीपल का कर्त्तव्य था कि इसकी सूचना देते और सख्ती से कार्यवाही करते। उन्होंने नहीं किया यह उनकी गलती है। वह गिरफ्तार किए गए हैं। उनको सस्पेन्ड करने या निकालन या ग्रान्ट बन्द करने की जो भी कार्यवाही उचित होगी वह की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आगे चलिए--कार्यसूची 15।

श्री मोहनलाल कपूर---

एक प्रश्न और कर लेने दीजिए। 13 तारीख की रात को सात बजे यह काण्ड होता है और सुबह जिलाधिकारी आते हैं। जांच आपकी प्रिन्सीपल के खिलाफ तो हो रही है लेकिन स्थानीय पुलिस और जिलाधिकारियों के खिलाफ भी जांच कराएंगे कि उन्होंने क्यों लापरवाही की और उनको दण्ड देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह जवाब तो उन्होंने दे दिया है।

एक सदस्य---

श्रीमन्, छात्रों ने मुख्य मंत्री के नाम भी एक प्रार्थना-पत्र भेजा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल –

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक राजन सिंह के परिवार को कोई कम्पनशेसन दिया गया है ? यदि नहीं तो देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण––

अभी तक तो कोई कम्पनशेसन नहीं दिया गया है लेकिन इस पर सहानभूतिपूर्वक विचार अवश्य करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी। अब सात बजने में 10 मिनट हैं . . .

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)––

श्रीमन्, आज फिर प्रेस गैलरी खाली हो गयी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

श्रीमन् आज का दिन मखौल का दिन रहा। (व्यवधान) श्रीमन्, हम बीमार आदमी हैं। अब साढ़े नौ बजे तक नहीं बैठ पाएंगे। मेरा निवेदन है कि इसे कल के लिए रख दें।

श्री उपाध्यक्ष––

लेकिन आपका जो और है चीनी वाला ?

श्री अनन्तराम जायसवाल––

कल तो अन्तिम दिन है। कल रात 10 बजे तक बैठ लेगें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)––

एक उपाय और है, श्रीमन्, कल सुबह नौ बजे से बैठ सकते हैं। पहले दो बार ऐसा हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष––

कल ढाई घंटे का एक और भी हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

श्रीमन, क्या यह चाहते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर काम न करे फिर भी हम बैठे रहें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

प्रातःकाल 9 बजे बैठना तो सम्भव नहीं है। आज कल जितनी सर्दी शाम को पड़ती है उतनी ही सुबह भी पड़ती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

अगर मुख्य मंत्री जी का काम होता तो हमें 9 बजे ही बिठा देते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मान्यवर, हमने (विरोधी पक्ष) ने बड़ी उदारता दिखायी है।

श्री बंशीधर पांडेय––

शनिवार को भी सरन्डर कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष––

कल दो बिल हैं––जल्दी पास कर दीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

कल सांयकाल ही बैठ जाइये घन्टे–दो घंटे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---
दो शब्द कह दूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---
अब तो थोड़े से लोग रह गये हैं--प्रेस वाले भी चले गये हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---
यही मैं कह रहा हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---
इसीलिए सर्दी लग रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---
आज अवश्य ही कर लीजिए--तो यह तो हमारे साथ जबरदस्ती हो रही है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---
अगर उचित समझें तो इस समय घन्टा-सवा घन्टा बैठ जाएं और नहीं बैठते हैं तो कल किसी वक्त के लिए रखें । कल क्वैश्चन आवर है । अगर 10 बजे से बैठते हैं तो फिर बाद में क्वेश्चनआवर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि सवाल जो छपकर आए हैं वे मिल जाएं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---
कोई तरीका निकालें । कैस साढ़े नौ बजे तक बैठेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---
कल 2 बिल हैं जिनमें कोई विवाद नहीं है---प्राय: स्वीकृत हैं । उन बिलों के बाद इस पर विवाद ले लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष---
कल का काम होने के बाद यह ले लिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---
हां, ले लिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---
तो अब मैं शुरू कर देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---
अब क्या करेंगे शुरू करके । यह तो आपके ऊपर है जितनी जल्दी बिल पास कर दें उतनी ही जल्दी इसको लेने का मौका मिल जाएगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---
यह ठीक है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---
मुख्य मंत्री जी का सुझाव मान लीजिए कि 10 बजे से बैठ जाएं--बिल भी हो जायंगे और उसके बाद इस पर चर्चा ले ली जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह उन्होंने नहीं कहा। 11 बजे आपका निश्चित समय है। प्रश्न वाले भी नहीं आएंगे और हमारे कर्मचारियों को भी--सब को इत्तला नहीं होगी क्योंकि चले गये होंगे। तो कठिनाई पड़ जाएगी अगर 10 बजे से शुरू करते हैं तो।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजर कर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
21 दिसम्बर, 1972।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1013 पर)

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 13/14 10–1972 को हुई हत्याकांड की रिपोर्ट दिनांक 14/10-1972 को प्रातः 8–15 बजे थाना अलीगंज पर श्री देवीदीन पुत्र बाबूराम निवासी सराय अगत द्वारा करायी गयी थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी तथा उसके चचेरे भाइयों के बीच भूमि संबंधी झगड़ा था। रिपोर्ट में इस मान का भी उल्लेख किया गया कि अभियुक्त घर से जेवर व नकदी ले गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध संख्या 273 धारा 396 भा० दं० विधान के अंकित हुआ जिसकी विवेचना उसी दिन आरम्भ की गयी। प्रारम्भिक विवेचना से यह पाया गया कि यह घटना उस समय हुई जब घर के पुरुष रामलीला देखने गये थे। यह भी पाया गया कि अभियुक्त छत के रास्ते से मकान में दाखिल हुये थे, सभी हताहतों की गर्दन के ऊपर ही चोटें थीं, तथा छत के ऊपर पाखाना भी किया गया था। इन सब बातों से यही सन्देह उत्पन्न हुआ कि यह जघन्य अपराध क्रिमीनल ट्राइब के किसी गिरोह द्वारा किया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी तथा थाना-ध्यक्ष ने किया था तथा क्षेत्राधिकारी ने 15–10–72 से 18–10–72 तक घटनास्थल पर ही कैंप किया। बाद में डी० आई० जी० भी गांव में गये और उनसे गांव वालों ने पुलिस के विरुद्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने की शिकायत की। डी० आई० जी० को ज्ञात हुआ कि गांव में जबरदस्त पार्टी बन्दी है। अतः सही तथ्यों की जानकारी के लिए मामले की तथा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग के सुपुर्द की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1025 पर)

गोंडा जिले के उन गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची जिनका वेतन वितरण खाता अनुसूचित बैंक में नहीं खुला है।

1—लोकमान्य तिलक इण्टर कालेज, पंचपेड़वा (गोंडा)
2—श्री रमा शंकर उ० भा० वि०, मथुरा बाजार (गोंडा)
3—भारतीय उ० भा० वि०, कटरा बाजार (गोंडा)
4—श्री गांधी आदर्श उ० मा० वि०, खरगपुर, (गोंडा),
5—किसान उ० मा० वि०, साबुल्लानगर, (गोंडा)
6—डी० ए० बी० उ० मा० वि०, नवाबगंज, (गोंडा),
7—श्री गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, नवाबगंज (गोंडा)
8—श्री गांधी विद्यामन्दिर इण्टर कालेज, (गोंडा)।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1026 पर)

सदस्यों की सूची

निगम निदेशन समिति

1—वित्त मंत्री
2—प्राविधिक शिक्षा एवं लघु उद्योग, मंत्री
3—राज्य मन्त्री उद्योग, खाद्य तथा रसद, तथा गन्ना विकास
4—राज्य मंत्री परिवहन
5—अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य कृषि उद्योग निगम
6—अध्यक्ष, उ० प्र० शुगर कारपोरेशन
7—अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम
8—अध्यक्ष, यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन
9—अध्यक्ष, यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन
10—अध्यक्ष, यू० पी० स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
11—अध्यक्ष, प्रादेशिक इंडस्ट्रियल ऐण्ड एन्वेस्टमेंट कारपोरेशन
12—अध्यक्ष, यू० पी० फाइनेंस कारपोरेशन
13—अध्यक्ष, पर्वतीय विकास निगम
14—अध्यक्ष, पुर्वांचल विकास निगम
15—अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास निगम
16—मुख्य सचिव
17—विधि सचिव
18—वित्त सचिव
19—नियोजन सचिव
20—उद्योग सचिव।

निगम समन्वय समिति

1—प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य कृषि उद्योग निगम
2—प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० शुगर कारपोरेशन
3—प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० स्टेट सीमेंट करपोरेशन,
4—प्रधान प्रबंधक, उ० प्र०, राज्य सड़क परिवहन निगम
5—प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० इंडस्ट्रियल कारपोरेशन
6—प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन
7—प्रबन्ध निदेशक, यू० पी०, फाइनेंस कारपोरेशन
8—प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक इन्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन
9—प्रबन्ध निदेशक, पर्वतीय विकास निगम
10—प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विकास निगम
11—प्रबन्ध निदेशक, बुन्देलखण्ड विकास निगम
12—निदेशक, संस्थागत, वित्त विभाग
13—नियोजन सचिव ..... संयोजक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1037 पर)

सूची

दिनांक 1-1-1972 से 30-9-1972 तक जिला सुल्तानपुर के विभिन्न थानों में प्राप्त नकबजनी, राहजनी, डकैती व हत्या की घटनाओं की रिपोर्टों का विवरण।

क्र० सं०	नाम थाना		मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गई			
			नकबजनी	राजहनी	डकैती	हत्या
1	कोतवाली	..	127	6	17	7
2	कूड़ेभार	..	33	10	9	3
3	जयसिंहपुर	..	62	8	6	4
4	कादीपुर	..	36	2	6	3
5	दोस्तपुर	..	17	..	4	4
6	लम्भुआ	..	35	2	10	2
7	बल्दी राय	..	22	1	5	1
8	पीपरपुर	..	20	1	6	1
9	रायपुर	..	24	8	11	1
10	गौरीगंज	..	20	2	10	2
11	मुसाफिरखाना	..	30	1	1	1
12	जगदीशपुर	..	46	4	1	2
13	बाजार शुक्ल	..	25	1	3	..
	योग	..	497	46	89	31

उत्तर प्रदेश विधान सभा